

विधानसंडल में दिल्ली
को उपस्थापित किया गया
1.aid before the State
-dilatature on

18 MAR 2016

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक


का

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन सं०-४



विषय-सूची


विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	vii
विहंगावलोकन	-	ix-xvi
अध्याय-I		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप	1	
परिचय	1.1	1
उत्तरदायित्व रूपरेखा	1.2-1.4	1-2
बिहार सरकार का अंश	1.5	2-3
राज्य सांक्षेपिता में निवेश	1.6-1.7	3-4
वर्तमान वर्ष की अवधि में वित्तीय सहायता एवं प्रतिफल	1.8	5-6
वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन	1.9	6-7
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये	1.10-1.12	7-9
पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.13	9-10
लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	1.14	10
अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सांक्षेपिता का कार्य-निष्पादन	1.15-1.18	10-12
अकार्यशील सांक्षेपिता का समापन	1.19-1.20	12-13
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.21-1.22	13-14
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.23	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया	1.24-1.26	14-16
इस प्रतिवेदन का क्षेत्र	1.27	16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.28	16
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	2	
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	-
कार्यकारी सारांश	-	17-19
प्रस्तावना	2.1.1	19-20
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	2.1.2	21

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.3	21
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.1.4	21
लेखापरीक्षा परिणाम	-	22
निधि प्रबन्धन	2.1.5-2.1.8	22-24
परियोजनाओं का निष्पादन	2.1.9	24
पुलों का निर्माण	2.1.10	24
नाबांड द्वारा पोषित पुलों का निर्माण	2.1.11-2.1.19	24-32
मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत पुलों का निर्माण	2.1.20-2.1.23	32-35
भवनों एवं अन्य ढाँचाओं का निर्माण	2.1.24-2.1.26	35-37
अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियन्त्रण	2.1.27-2.1.32	37-40
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	-	40
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	
कार्यकारी सारांश	-	41-42
परिचय	2.2.1	42-43
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	2.2.2	43-44
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2.3	44
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.2.4	44
लेखापरीक्षा परिणाम	-	44
वित्तीय प्रबन्धन	2.2.5-2.2.8	44-47
आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन	2.2.10	47
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2.2.11-2.2.17	48-54
राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन०जी०आर०बी०ए०)	2.2.18-2.2.19	54-55
राज्य पोषित आधारभूत विकास परियोजनाएँ	2.2.20-2.2.21	56-58
अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण	2.2.22-2.2.23	58-60
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	-	60-61

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय— III		
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
संवेदक को अनुचित लाभ	3.1	63-64
राजस्व की हानि	3.2	64-65
संविदा माँग की वृद्धि में विलम्ब	3.3	65-66
न्यून दर पर विपत्रीकरण के कारण राजस्व की हानि	3.4	66-67
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड		
कार्यादेशों का अनियमित प्रदान होना	3.5	67-68
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ		
लेबर सेस की कटौती न करना	3.6	68-69
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.7	69-70
उपभोक्ता का गलत वर्गीकरण	3.8	70-71
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		
पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्रय पर परिहार्य व्यय	3.9	71-72
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
क्रय किए गए गेहूँ के अनुचित भंडारण के कारण हानि	3.10	72-73
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड		
मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान	3.11	73-74

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड		
अधिशेष निधि का अतार्किक निवेश	3.12	74-75
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड		
नियोजन का अभाव	3.13	75-76
कम्पनी को हानि	3.14	76-77
परिशिष्ट		
1.1 अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	1.1 एवं 1.15	79-85
1.2 सा०क्षेत्रोऽज्ञनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.11	86-87
2.1.1 कम्पनी को आवंटित परियोजनाओं एवं कम्पनी द्वारा पूर्ण किये गए परियोजनाओं की विवरणी	2.1.1 एवं 2.1.24	88
2.1.2 संगठनात्मक चार्ट	2.1.2	89
2.1.3 वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	2.1.5	90
2.1.4 विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्ण हुए पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.14	91
2.1.5 विभिन्न मदों के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.14	92
2.1.6 मु०मं०से०नि०यो० मद के अन्तर्गत पूर्ण हुए पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.22	93
2.1.7 मु०मं०से०नि०यो० मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.22	94

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
2.1.8 पूर्ण हुए अथवा पूर्ण होने वाले छात्रावासों को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.26	95-96
2.2.1 विभिन्न योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.1, 2.2.11, 2.2.18 एवं 2.2.20	97-100
2.2.2 संगठनात्मक चार्ट	2.2.1	101
2.2.3 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	2.2.5	102-103
2.2.4 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में योजना-वार निधि प्राप्ति को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.6	104
2.2.5 सी0एस0क्यू0सी0 को अधिभुगतान/निष्फल व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.22	105



प्रस्तावना


यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) के अनुसार सम्मिलित कम्पनियाँ) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा अभिप्रामाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 के अधिकारियों द्वारा, की जाती है और जिसपर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सन्-दी लेखाकार) के प्रतिवेदनों को सम्पूरक करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सी0ए0जी0 द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क के अन्तर्गत विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सी0ए0जी0, सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं की संबंध में, प्रतिवेदन, सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2014–15 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ—साथ वे मामले भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। 2014–15 के उपरान्त की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामलों में लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप, संचालित की गई हैं।



विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर एक विहंगावलोकन, लेखाओं के साथ—साथ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें एवं 14 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी भारत के सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा क्रमशः सम्बन्धित विधानों के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को, बिहार राज्य में 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (30 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) तथा 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं जिनमें कुल 17,281 कर्मचारी कार्यरत थे। अपनी अन्तिमीकृत अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 11,619.64 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। 30 सितम्बर 2015 तक अपनी अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 36.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.2, एवं 1.3)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2015 को, राज्य के 73 सा0क्षे0उ0 में ₹ 33,783.37 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। 2014–15 के कुल निवेश का 81.90 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। सरकार ने, 2014–15 के दौरान, ₹ 6467.54 करोड़ अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के लिए योगदान दिया।

(कंडिकाएँ 1.6, 1.7 एवं 1.8)

सा0क्षे0उ0 का कार्य-निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 16 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 463.59 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 के लेखाओं में शून्य लाभ/हानि शामिल था एवं दो सा0क्षे0उ0 ने अभी तक अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य बिवरेजे ज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (₹ 72.63 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) मुख्य थे। सा0क्षे0उ0 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 268.69 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

(कंडिका 1.16)

लेखों की गुणवत्ता

सा०क्षे०उ० के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए सभी 45 लेखाओं पर, सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण-पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था चूँकि लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 11 मामले पाए गए।

(कंडिका 1.21)

लेखों का बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2015 को 33 कार्यशील सा०क्षे०उ० में से 30 सा०क्षे०उ० की 206 लेखाएँ बकाए में थे। बकाया लेखाओं की अवधि एक से 24 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा०क्षे०उ० थीं, जिनमें 10 समापन की प्रक्रिया में थीं।

(कंडिका एँ 1.10 एवं 1.12)

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

2009–14 की अवधि के दौरान सी०ए०जी० की प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 57 कंडिकाओं में से आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 49 कंडिकाएँ विचार-विमर्श हेतु लम्बित थे (सितम्बर 2015)।

(कंडिका 1.25)

2.1 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य नई पुलों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण तथा उनका संधारण व सुधारात्मक कार्य करना था। कम्पनी ने 2010–15 की अवधि के दौरान केवल निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया एवं संविदा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रतियोगात्मक निविदा प्रक्रिया में सहभागिता नहीं किया।

कम्पनी की संरचनात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा निम्नवत् है :

निधि प्रबन्धन

- अनुबन्ध बिना 70 परियोजनाओं के निष्पादन के मद में कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की शत्रू (सेन्टेज) शुल्क की हानि हुई एवं एक पुल की संशोधित प्राक्कलन पर ₹ 16.49 करोड़ की शत्रू शुल्क का भी दावा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.7)

नाबाड़ द्वारा पोषित पुलों का निर्माण

- कम्पनी द्वारा निर्माण की गई 542 पुलों में से 281 पुलों का निर्माण 2010–15 की अवधि के दौरान सम्पन्न हुआ था जिसमें से 149 पुलों (53 प्रतिशत) का निर्माण-कार्य

विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 261 पुलों का निर्माण—कार्य अपनी पूर्णता के विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन था जिसमें 94 पुलों के निर्माण—कार्य में एक से 64 महीनों का विलम्ब हो गया है।

(कंडिका 2.1.11)

- नमूना जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों में 81 पुलों का निर्माण सम्पन्न हुआ था जिसमें से 45 पुलों का निर्माण एक से 30 महीनों के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था तथा 17 पुलों का निर्माण ₹ 36.19 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

(कंडिका 2.1.11)

- छ: प्रमण्डलों की नमूना जाँच में पूर्ण किए गए 224 पुलों में से 49 मामलों में निविदा बोलियों की वैद्यता अवधि के व्यतीत होने पर निविदाओं का अन्तिमीकरण आठ से 356 दिनों के विलम्ब से हुआ था।

(कंडिका 2.1.12)

- कम्पनी ने सी0भी0सी0 मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 126.92 करोड़ के आठ कार्यादेश, बिना निविदा आमंत्रित किए, नामांकन के आधार पर निर्गत किया।

(कंडिका 2.1.13)

- स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 42.13 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों का निर्माण—कार्य का परित्याग कर दिया गया। पाँच पुलों के मामलों में पुलों को जोड़ने वाले पहुँच पथ के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 14.95 करोड़ की व्यय की गई राशि सात से 15 महीनों की परास की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कंडिका 2.1.14)

- छ: निर्माणाधीन पुलों के सम्बन्ध में, यद्यपि पुलों के मद में निर्माण कार्य ₹ 69.23 करोड़ की लागत पर सम्पन्न हो चुका था तथापि इन पुलों को जोड़ने हेतु पहुँच—पथ का निर्माण कार्य सात से 34 महीनों की परास की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.14)

- धनहा—रतवलघाट पुल से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य संवेदक को वास्तविक कार्य के दर पर नहीं प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 9.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.16)

- भागलपुर के विजयघाट पुल से सम्बन्धित बुनियादी कुओं की गहराई की बढ़ोतरी हेतु संवेदक को ₹ 4.29 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.17)

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन पुलों का निर्माण

- कम्पनी द्वारा निर्माण किए गए 710 पुलों में से 540 पुलों का निर्माण, 2010–15 की अवधि के दौरान हुआ था जिसमें से 312 पुल (58 प्रतिशत) विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 170 पुलों का निर्माण–कार्य पूर्ण होने की विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन था जिसमें 61 पुलों के निर्माण–कार्य में एक से 84 महीनों तक का विलम्ब हो गया है।

(कंडिका 2.1.20)

- नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों में 248 पुलों का निर्माण–कार्य पूर्ण हो गया जिसमें 141 पुलों (56.85 प्रतिशत) का निर्माण 10 दिन से 51 महीनों की परास अवधि की विलम्ब से पूर्ण हुआ था एवं 26 पुलों का निर्माण–कार्य ₹ 7.48 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

(कंडिका 2.1.20)

- नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों द्वारा निर्मित किए गए 337 पुलों में 57 के मामलों में निविदा बोली की वैधता अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब 10 से 369 दिनों की परास अवधि का था।

(कंडिका 2.1.21)

- स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 2.70 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों के निर्माण–कार्य का परित्याग जून 2012 से ही कर दिया गया था। दस पुलों के मामलों में उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच–पथों के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 16.40 करोड़ की राशि छ: से 30 महीनों की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कंडिका 2.1.22)

- चार पुलों के मामलों में यद्यपि पुल के हिस्से का निर्माण–कार्य ₹ 10.57 करोड़ की लागत पर पूर्ण हो गया था तथापि उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच–पथों का निर्माण कार्य 13 महीनों से 45 महीनों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.22)

मवनों का निर्माण

- वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान के निर्माण के मामले में मूल्य वृद्धि मद में ₹ 18.51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान संवेदक को किया गया। साथ ही कम्पनी ने सरकार की दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 3.81 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.1.25)

- प्रशासनिक स्थीकृति की तिथि से पाँच वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी कम्पनी द्वारा निर्माण किए जाने वाले 38 छात्रावासों में से केवल सात छात्रावासों का निर्माण कार्य सार्व 2015 तक सम्पन्न हो पाया था।

(ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.1.26)

ଆନୁଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ନିୟମଣ

- पर्यवेक्षीय परामर्शियों (एस०सी०) की नियुक्ति हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं थी। एस०सी० को भुगातान किया गया ₹ 32.54 करोड़ के व्यय को शताता शुल्क से प्रतिपूर्ण करने के बजाए इसे कार्य-व्यय मद में भारित कर दिया गया था।

(कर्जितका २.१.२८)

- पूर्ण परियोजनाओं की लेखों का सम्बन्धित विभागों की लेखों से समाशोधन नहीं करने के कारण वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखों में ₹ 11158.91 करोड़ की राशि बिहार सरकार से प्राप्त जमाराशि के रूप में प्रदर्शित हो रहा था।

(କର୍ତ୍ତକା 2.1.31)

2.2 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत विकास योजनाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क, सड़क और जल निकासी एवं नदी मुख्य निकास, इत्यादि से संबंधित शहरी आधारभूत परियोजनाओं में तेजी लाने के मुख्य उद्देश्य से पूर्ण रचायित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 16 जून 2009 को किया गया था। कम्पनी को भारत सरकार की योजना यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जोएन०यूआर०एम०) के अन्तर्गत आवंटित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गोड्डल एजेंसी के रूप में भी नियमित किया गया था।

સુરક્ષા

- कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक की अवधि के दौरान ₹ 940.30 करोड़ रुपये प्राप्त किया। उपर्युक्त अवधि के दौरान निधि की उपयोगिता मात्र 1.03 प्रतिशत से 42.13 प्रतिशत के बीच रही। निधि की अल्प उपयोगिता का मुख्य कारण प्रारंभिक वर्षों में कम्पनी की अत्यंगतिविधि परियोजनाओं का धीमी गति से निष्पादन और निविदा का नियमिकारण था।

(कंडिका 2.2.6)

- दानापुर जलपूर्ति परियोजना में, मोबलाईजेशन अग्रिम के विरुद्ध दिए गए बैंक गारंटी की वैधता अवधि को नवीनीकरण कराने में कम्पनी असफल रही और निविदा को समाप्त कर दिया गया। परिणामतः ₹ 6.70 करोड़ की मोबिलाईजेशन अग्रिम की वास्तवी नहीं हो सकी।

(ቍ.፳፭፻፲ ፲.፲.፯)

जे०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- संवेदक द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना, पटना जलापूर्ति परियोजना और दानापुर जलापूर्ति परियोजना की संविदाएँ निरस्त कर दी गयीं। एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य के शेष भाग को दूसरे संवेदक को आवंटित नहीं किए जाने के कारण ₹ 77.70 करोड़ की निधि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त योजना से मिलने वाले अभीष्ट लाभ से राज्य को वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका एँ 2.2.13, 2.2.14 एवं 2.2.15)

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पोषित परियोजनाएँ

- कम्पनी ने ₹ 441.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (ए०ए०) के साथ वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान बक्सर, हाजीपुर, बेगुसराय और मुंगेर में सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज शोधन संयंत्र की चार परियोजनाएँ आरंभ की जिनके पूर्ण होने की तिथि दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच थी। कार्य को विलम्ब से संवेदक को आवंटित किए जाने, जमीन की अनुपलब्धता और संवेदक द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 16 से 19 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी जुलाई 2015 तक कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र 1.57 प्रतिशत से 18.14 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.2.18)

राज्य पोषित परियोजनाएँ

- कम्पनी द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 270.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति से 12 निर्माण परियोजनाएँ आरंभ की गई जिसमें मात्र पाँच परियोजनाएँ 18 महीनों के विलम्ब से पूर्ण की गई (जुलाई 2015)। सात परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था। जुलाई 2015 को निर्धारित तिथि से 9 से 26 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी इन परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति मात्र 7.45 से 73.08 प्रतिशत थी। विलम्ब का कारण कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण डी०पी०आर० तैयार किया जाना, संवेदक को विलम्ब से कार्य आवंटित किया जाना, इत्यादि था।

(कंडिका 2.2.20)

अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण

- कम्पनी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार (सी०एस०क्य०सी०) के भुगतान को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध करने में विफल रही परिणामतः ₹ 9.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 2.2.22)

3. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपकरणों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती हैं। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :

- नियमों, दिशा—निर्देशों, प्रक्रियायों, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से छः मामलों में ₹ 27.66 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिकाएँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एवं 3.11)

- नियमों एवं दिशा—निर्देशों के अनुपालन नहीं होने से दो मामलों में ₹ 31.46 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.3 एवं 3.11)

- त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण तीन मामलों में ₹ 25.82 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.4, 3.10 एवं 3.14)

- संगठन के वित्तीय हितों की ध्यान नहीं देने के दो मामलों में ₹ 1.27 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएँ 3.9 एवं 3.12)

- त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण एक मामले में ₹ 47.57 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.13)

कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश निम्न प्रकार है :

सी०भी०सी० की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, चलंत अग्रिम की वसूली नहीं होने पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी०भी०सी० की दिशा—निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.04 करोड़ के कार्यों का नामांकन के आधार पर अनियमित रूप से आवंटन हुआ।

(कंडिका 3.5)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ संवेदकों के विपत्र से ₹ 12.93 करोड़ के लेबर सेस की अनिवार्य कटौती करने में विफल रहीं।

(कंडिका 3.6)

स्ट्रीट लाईट उपभोक्ता के कम्पनी द्वारा गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका विपत्रीकरण न्यून दर पर किये जाने के परिणामस्वरूप नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.8)

कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मरों (पी0टी0आर0) की क्रय में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

(कंडिका 3.9)

अनुचित भंडारण एवं क्रय किए गए गेहूँ की ससमय ढुलाई में विफलता के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट तथा कमियों के कारण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 20.09 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.10)

नियोजन के अभाव के साथ-साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय सारणी का पालन करने में बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को, बी0एस0पी0 द्वारा दण्ड की कटौती से ₹ 47.57 करोड़ की हानि हुई।


(कंडिका 3.13)

सेट निर्माताओं द्वारा पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट-निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल कर पाने में बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

(कंडिका 3.14)

अध्याय - I

**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का
क्रियाकलाप**



अध्याय – I

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा०क्षे०उ० की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती है। 31 मार्च 2015 को बिहार में सा०क्षे०उ० की कुल संख्या 73¹ थी। इनमें से कोई भी कम्पनी रस्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014–15 की अवधि में न तो किसी सा०क्षे०उ० का समामेलन किया गया और न किसी सा०क्षे०उ० का समापन हुआ। 31 मार्च 2015 को बिहार के राज्य सा०क्षे०उ० से संबंधित विवरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका सं० : 1.1 : 31 मार्च 2015 को सा०क्षे०उ० की कुल संख्या

सा०क्षे०उ० का प्रकार	कार्यशील सा०क्षे०उ०	अकार्यशील सा०क्षे०उ० ²	योग
सरकारी कम्पनियाँ ³	30	40	70
सांविधिक निगमें	3	—	3
योग	33	40	73

स्रोत : सूचना सा०क्षे०उ० के आँकड़ों के अनुसार

सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा०क्षे०उ० ने ₹ 11,619.64 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। यह आवर्त्त वर्ष 2014–15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) का 2.89 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा०क्षे०उ० ने कुल ₹ 36.58 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2015 को उन्होंने 17281⁴ कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

31 मार्च 2015 को 40 अकार्यशील सा०क्षे०उ० थे जो 10 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में थे एवं जिसमें कुल निवेश ₹ 729.02 करोड़ था। यह एक चिन्ताजनक स्थिति है चूँकि अकार्यशील सा०क्षे०उ० में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य

¹ परिशिष्ट-1.1 के अनुसार।

² अकार्यशील सा०क्षे०उ० वो हैं जिन्होंने अपने कार्य–कलापों को बन्द कर दिया है।

³ सरकारी सा०क्षे०उ० में वो कम्पनियाँ भी शामिल हैं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित हैं।

⁴ 43 सा०क्षे०उ० के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

सरकारों के पास है, एवं वैसी कम्पनी जो इन सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। अग्रेटर, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), आवश्यकतानुसार, एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी, “जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) द्वारा अधिशासित हैं” के लेखाओं का नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा इस नमूना लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अंक प्रावधान लागू होंगे। अतः एक सरकारी कम्पनी या अन्य कम्पनी (अन्य कम्पनी) जिनका स्वामित्व या नियत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, किया जाता है, की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। किसी कम्पनी की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित है, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों की समाप्ति के पूर्व सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन साठेक्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक पर्षद में मुख्य कार्यपालक एवं निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका साठेक्षेत्रों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करती है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 की टिप्पणियों एवं वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में धारा 394 के अन्तर्गत या सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अंके अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है।

बिहार सरकार का अंश

1.5 साठेक्षेत्रों में राज्य सरकार का वृहद वित्तीय अंशदान है। यह अंशदान तीन रूप में है:

- **अंश पूंजी एवं ऋण** – अंश पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार साठेक्षेत्रों को समय-समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशिष्ट वित्तीय सहायता** – राज्य सरकार साठेक्षेत्रों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसाहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- प्रत्याभूति – राज्य सरकार साझेदारों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं उनके ब्याज के पुर्णभुगतान के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है।

राज्य साझेदारों में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, राज्य साझेदारों में ₹ 33,783.37 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है।


तालिका सं 1.2 : साझेदारों में कुल निवेश

साझेदारों के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			(₹ करोड़ में)
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील साझेदारों	21175.57	10917.01	32092.58	185.51	776.26	961.77	33054.35
अकार्यशील साझेदारों	180.79	548.23	729.02	–	–	–	729.02
योग	21356.36	11465.24	32821.60	185.51	776.26	961.77	33783.37

स्रोत : सूचना साझेदारों द्वारा समर्पित

31 मार्च 2015 तक राज्य के साझेदारों में कुल निवेश का 97.84 प्रतिशत कार्यशील साझेदारों में तथा शेष 2.16 प्रतिशत अकार्यशील साझेदारों में था। इस कुल निवेश का 63.76 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 36.24 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2010–11 के ₹ 10,865.23 करोड़ से 210.93 प्रतिशत बढ़कर 2014–15 में ₹ 33,783.37 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेखन संख्या : 1.1 में दर्शाया गया है।

आरेखन सं 1.1 : साझेदारों में कुल निवेश



1.7 31 मार्च 2015 को साठेहोत्रो में प्रक्षेत्र-वार निवेश का विवरण नीचे दर्शाया गया है:


तालिका सं0 : 1.3 : साठेहोत्रो में प्रक्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी / अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें	कुल योग	निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील			
ऊर्जा	9	—	—	9	27668.44
विनिर्माण	3	12	—	15	432.37
वित्त	4	4	1	9	589.05
विविध	2	10	—	12	85.88
सेवाएँ	3	1	2	6	4600.52
आधारभूत	6	1	—	7	256.06
कृषि एवं समवर्गी	3	12	—	15	151.05
	30	40	3	73	33783.37

स्रोत : सूचना साठेहोत्रो द्वारा समर्पित

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार-चार्ट में दी गयी हैं। विगत पाँच वर्षों में साठेहोत्रो में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्तमान वर्ष की अवधि में, यह वर्ष 2010–11 के ₹ 8,989.17 करोड़ से 207.80 प्रतिशत बढ़कर 2014–15 में ₹ 27,668.44 करोड़ हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश का मुख्य कारण तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों⁵ में विघटन एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होना था। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में ₹ 3,930.10 करोड़ के बहुद् निवेश के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश में भी वर्ष 2010–11 की तुलना में 2014–15 में 225.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आरेखन सं0 : 1.2 : साठेहोत्रो में क्षेत्रवार निवेश (₹ करोड़ में)



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

⁵ बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

वर्तमान वर्ष की अवधि में वित्तीय सहायता एवं प्रतिफल

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के विभिन्न स्वरूपों द्वारा सा०क्षे०उ० को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014–15 को समाप्त हुए तीन वर्षों में सा०क्षे०उ० से संबंधित अंशों, ऋणों, अनुदानों/अर्थसाहाय्यों, अपलिखित ऋणों एवं माफ किये गये व्याज के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं० : 1.4 : सा०क्षे०उ० को बजटीय बहिर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	4	1,481.94	4	744.73	4	2443.01
2.	बजट से दिये गये ऋण	4 ⁶	677.17 ⁷	4	1079.54	4	203.33
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	6 ⁸	2,934.97 ⁹	6	2060.29	7	3821.20
4.	कुल बहिर्गमन ¹⁰ (1+2+3)	11	5,094.08	11	3884.56	9	6467.54
5.	माफ किए ऋण एवं व्याज	—	—	—	—	—	—
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	—	—	5	2648.83	2	818.40
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	73.06	5	2910.89	7	3732.97

स्रोत : सूचना सा०क्षे०उ० द्वारा समर्पित

अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों से संबंधित विगत पाँच वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेखन संख्या : 1.3 में दिया गया है :

⁶ इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।


⁷ इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।

⁸ इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।

⁹ इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।

¹⁰ वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

आरेखन सं0 : 1.3 : अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों से सम्बन्धित बजटीय बहिर्गमन



राज्य सरकार द्वारा, अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के रूप में 2010–11 से 2014–15 के वर्षों में बजटीय समर्थन के बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2010–11 के ₹ 2,024.48 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 6,467.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 की अवधि में, ₹ 6,467.54 करोड़ में से, ऊर्जा क्षेत्र ने राज्य सरकार से कुल ₹ 6,392.67 करोड़ (राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 98.84 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, सात¹¹ साठें०७० के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 3,732.97 करोड़ बकाया था।

साठें०७० को बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुये प्रत्याभूति प्रदान करती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जाता है। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता वर्ष 2012–13 के ₹ 73.06 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 3732.97 करोड़ हो गई। प्रत्याभूति शुल्क के मद में बिहार राज्य वित्त निगम के विरुद्ध वर्ष 1982–83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरुद्ध वर्ष 2013–14 की अवधि से संबंधित कुल ₹ 1.63 करोड़ बकाया थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

1.9 राज्य साठें०७० के अभिलेखों के अनुसार अंशों, ऋणों एवं अदत्त प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित साठें०७० एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2015 की स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

¹¹ बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

तालिका सं० : 1.5 : वित्त लेखों एवं राज्य सांक्षेतिक के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों ¹² के अनुसार राशि	सांक्षेतिक के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	5903.74	11967.16	6063.42
ऋण	4036.22	4623.76	587.54
प्रत्याभूतियाँ	1741.79	3539.97	1798.18

स्रोत : सूचना सांक्षेतिक एवं वित्त लेखे, बिहार सरकार 2015, द्वारा समर्पित

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि यह अन्तर 45 सांक्षेतिक के सम्बन्ध में थे एवं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिये समाशोधन हेतु लम्बित थे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सांक्षेतिक को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बाबते

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

नीचे दी गयी तालिका कार्यशील सांक्षेतिक द्वारा 30 सितम्बर 2015 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

तालिका सं० : 1.6 कार्यशील सांक्षेतिक के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्रम सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यशील सांक्षेतिक की संख्या	25	26	31 ¹³	33	33
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	34	23	26	31	26

¹² ये सूचनाएँ उन 45 सांक्षेतिक (73 सांक्षेतिक में से) के सम्बन्ध में हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों में किया गया है।

¹³ उक्त आँकड़ों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवंबर 2012 से आरम्भ हुआ है।

3.	बकाए लेखों की संख्या	186	191	196	199 ¹⁴	206
4.	बकाए लेखों वाले कार्यशील सांक्षेतिकों की संख्या	23	25	29	29	30
5.	बकाए लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 21	1 से 22	1 से 22	1 से 23	1 से 24

स्रोत : सूचना सांक्षेतिकों द्वारा समर्पित

यह देखा जा सकता है कि बकाए लेखों की संख्या 186 (वर्ष 2010–11) से बढ़कर 206 (वर्ष 2014–15) हो गई है और यह स्थिति चिन्ताजनक है। 30 सितम्बर 2015 को 33 कार्यशील सांक्षेतिकों में से केवल तीन¹⁵ सांक्षेतिकों ने वर्ष 2014–15 के अपने लेखों को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 30 कार्यशील सांक्षेतिकों के विरुद्ध 206 लेखे अन्तिमीकरण को बकाया थे। 30 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 24 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन का अभाव था।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2015)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सांक्षेतिकों के निवल मूल्य का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

1.11 जैसा कि **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 18 सांक्षेतिकों में ₹ 8,770.21 करोड़ अंश : ₹ 2,464.91 करोड़ (8 सांक्षेतिकों), ऋण : ₹ 1,926.25 करोड़ (10 सांक्षेतिकों), अनुदान : ₹ 1,430.41 करोड़ (9 सांक्षेतिकों) तथा अन्य (अर्थसाहाय्य) : ₹ 2,948.64 करोड़ (6 सांक्षेतिकों)] का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी कि नहीं, इस प्रकार सांक्षेतिकों में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की जाँच से वंचित रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2015 तक अकार्यशील सांक्षेतिकों के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 40 अकार्यशील सांक्षेतिकों में से 10 सांक्षेतिकों

¹⁴ वर्ष 2012–2013 में कार्यशील सांक्षेतिकों की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से सम्मिलित नहीं होने के कारण, वर्ष 2012–2013 (30 सितम्बर) के अंत में लेखों के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

¹⁵ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्त निगम।

समापन की प्रक्रिया में थे जिनके लेखे 20 से 36 वर्ष तक की अवधि के लिए बकाये में थे। शेष 30 अकार्यशील सालों में बकाए लेखों की सीमा 10 से 31 वर्षों तक थी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.13 नीचे वर्णित विवरण सांविधिक निगमों के लेखे पर सीलेडी द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2015 तक) पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पूलेप्र०प्र०) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाता है।

तालिका सं० : 1.7 : पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रम सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पूलेप्र०प्र० विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पूलेप्र०प्र० विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई	
			पूलेप्र०प्र० का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	28 फरवरी 2011 8 जनवरी 2014 20 फरवरी 2015
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2013–14	—	—
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2005–06 (32) विवरण निम्नवत् 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–2000 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06	09 जून 1997 02 सितम्बर 1998 02 सितम्बर 1998 04 दिसम्बर 1998 18 अप्रैल 2000 19 मार्च 2004 19 अक्टूबर 2004 12 अप्रैल 2005 07 अक्टूबर 2005 24 सितम्बर 2007 26 अक्टूबर 2007 25 जनवरी 2010 20 मई 2014 10 फरवरी 2015 29 सितम्बर 2015

स्रोत : सूचना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा समर्पित

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमज़ोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में

विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई प्रगति नहीं पायी गयी। महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र जून 2015 में भेजा गया। सरकार को पूले0प0प्र0 को तत्परता से विधायिका को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर (कंडिका 1.10) में इंगित किया गया है लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव के साथ-साथ सम्बन्धित विधानों की प्रावधानों के उल्लंघन का जोखिम बना रहता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाये की स्थिति के कारण वर्ष 2014–15 के लिए राज्य जी0डी0पी0 में सा0क्षे0उ0 के वास्तविक योगदान का निर्धारण नहीं किया जा सका एवं सरकारी राज्यकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि :

- सरकार बकाये को समाप्त करने हेतु एक प्रकोष्ठ गठित कर सकती है एवं प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है जिसका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा सकता है।
- जहाँ उचित कर्मियों या विशेषज्ञों का अभाव है वहाँ सरकार लेखाओं को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य को बहिःस्रोतन करने पर विचार कर सकती है।

अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य-निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट-1.1** में वर्णित है। सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी तालिका 2014–15 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 को दर्शाता है :

तालिका सं0 : 1.8 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
आवर्त ¹⁶	4031.46	7811.28	2813.70	7924.89	11619.64
राज्य का जी0डी0पी0	203554	343269	293616	343663	402283
राज्य के जी0डी0पी0 का आवर्त प्रतिशत	1.98	2.28	0.96	2.31	2.89


स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

1.16 वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा अर्जित/वहन की गयी लाभ/हानि नीचे बार चार्ट में दर्शायी गयी है:

¹⁶

30 सितम्बर को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार आवर्त।

आरेखन सं0 : 1.4 : कार्यशील सांकेतिकों के लाभ/हानि



कुल हानि वर्ष 2010–11 में ₹ 1293.43 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 2594.46 करोड़ हो गया। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः ₹ 1.19 करोड़ एवं ₹ 36.96 करोड़ का मामूली लाभ हुआ। तथापि, वर्ष 2014–15 में पुनः ₹ 36.58 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान 33 कार्यशील सांकेतिकों में से, 16 सांकेतिकों ने ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 सांकेतिकों ने ₹ 463.59 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सांकेतिकों में से तीन¹⁷ सांकेतिकों ने शून्य लाभ/हानि अर्जित/वहन की एवं दो सांकेतिकों¹⁸ ने अभी तक (सितम्बर 2015) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (₹ 72.63 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 268.69 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

1.17 कार्यशील सांकेतिकों के कुछ अन्य प्राचलिक नीचे दर्शाये गये हैं :

तालिका सं0 : 1.9 : कार्यशील सांकेतिकों के प्राचलिके

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	—	—	18.41	1.91	0.44
ऋण	9692.35	11193.13	4030.88	9349.36	11693.27
ऋण/ आवर्त अनुपात	2.40	1.43	1.43	1.18	1.01
ब्याज का भुगतान	1227.93	1558.11	78.86	248.56	168.30
संचित लाभ (हानि)	(-)7039.19	(-)9648.57	(-)1129.86	(-)1875.61	(-)3137.76

स्रोत : सूचना सांकेतिकों द्वारा समर्पित

¹⁷ बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

¹⁸ पीरपेंटी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ 18.41 प्रतिशत (2012–13) से घटकर 0.44 प्रतिशत (2014–15) हो गया। सचित हानि तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विद्युत के कारण 2012–13 में प्रबल रूप से घट गया। यह पुनः ₹ 1129.86 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 3137.76 करोड़ (2014–15) हो गया।

1.18 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपकरणों को न्यूनतम लाभांश देना है। 16 साठें०७० ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया। तथापि, 16 साठें०७० में से केवल तीन कम्पनियों अर्थात् बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 5 करोड़, ₹ 5 करोड़ एवं ₹ 3 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

अकार्यशील साठें०७० का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को 40 अकार्यशील साठें०७० (सभी कम्पनियाँ) थीं। इनमें से 10 साठें०७० समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे।

चूँकि अकार्यशील साठें०७० वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं राज्य के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान करने में विफल हो रहे हैं, अतः इन साठें०७० के समापन अथवा इनके पुनर्जीवित करने हेतु विचार किया जा सकता है।

1.20 अकार्यशील साठें०७० के सम्बन्ध में इनकी समापन की अवस्था निम्नतः दर्शित है :

तालिका सं० : 1.10 : अकार्यशील साठें०७० का समापन

क्रम सं०	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील साठें०७० की कुल संख्या	40	—	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त गया था)	5 ¹⁹	—	5
(ब)	बन्द, अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं	5 ²⁰	—	5

झोत : सूचना सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समर्पित।

वर्ष 2014–15 के दौरान किसी साठें०७० का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे लम्बी अवधि से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होती है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार को 30 अकार्यशील साठें०७०, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू

¹⁹ कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

²⁰ बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड।

रहने या नहीं रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2014–15²¹ में 17 कार्यशील कम्पनियों²² ने अपने 23 अंकोक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से आठ कम्पनियों के आठ लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों का विवरण तालिका संख्या : 1.11 में दी गई है :

तालिका सं0 : 1.11 : कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रभाव

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	8.76	2	51.20	2	692.89
2.	हानि में वृद्धि	7	7.28	7	49.20	4	121.18
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	2.70	9	4914.22	2	401.37
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	—	—	4	357.95	7	1088.69

झोत : सूचना कम्पनियों द्वारा समर्पित

वर्ष के दौरान 20 कम्पनियों²³ द्वारा अन्तिमीकृत 45 लेखाओं²⁴ पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सशर्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान आठ²⁵ कम्पनियों के 11 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 11 मामले पाये गये।

1.22 इसी प्रकार, 2014–15²⁶ के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन लेखाओं²⁷ को महालेखाकार को अग्रसारित किया जो कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती हैं। 2014–15 के दौरान उचित अभिलेखों/दस्तावेजों के अभाव के कारण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2005–06 के लेखाओं पर अस्वीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।

²¹ अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि तक।

²² परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 3, अ 4, अ 6, अ 7, अ 8, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 16, अ 18, अ 19, अ 20, अ 22, अ 23, अ 26, एवं अ 30।

²³ कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (17) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (3)

²⁴ कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (23) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (22)

²⁵ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 4, अ 6, अ 12, अ 13, अ 18, अ 19, अ 26 एवं अ 30।

²⁶ अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि तक।

²⁷ बिहार राज्य भंडार निगम (2010–11), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2005–06) एवं बिहार राज्य वित्त निगम (2014–15)।

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी हैं:

तालिका सं0 : 1.12 : सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.19	1	3.75	1	8.47
2.	हानि में वृद्धि	—	शून्य	1	0.64	—	—
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	2.70	1	4.05	—	—

स्रोत : सूचना सांविधिक निगमों द्वारा समर्पित

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव/सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर उत्तर भेजने के निवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 14 कंडिकाएँ निर्गत की गई। तथापि 14 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के सम्बन्ध में उत्तर राज्य सरकार से अप्राप्त (दिसम्बर 2015) थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

लम्बित जवाब

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम रिति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनसे कार्यपालिका उचित एवं सामायिक उत्तरदायित्व का निष्कर्षण कर सके। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) है कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना भारत के सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिका/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणीयाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतिकरण के तीन माह पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तालिका सं0 : 1.13 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 को)

लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/साठेश्वरी)	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या		वैसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या जिनके उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणी अप्राप्त थे	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2009–10	20.07.2011	02	10	0	03
2010–11	06.08.2012	02	09	02	07
2011–12	01.08.2013	02	12	01	09
2012–13	15.07.2014	03	12	02	07
2013–14	07.04.2015	02	14	01	03
कुल योग		11	57	06	29

स्रोत : कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 68 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 13 विभागों की 35 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा की स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई, अप्राप्त थे (सितम्बर 2015)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

1.25 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा०क्षे०उ०) में उद्धृत एवं लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा विचार-विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं कि स्थिति निम्न है:

तालिका सं० : 1.14 : 30 सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित समीक्षाओं/कंडिकाएँ एवं इन पर परिचर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		विचार विमर्श की गयी कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाओं	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009–10	02	10	02	07
2010–11	02	09	—	01
2011–12	02	12	—	—
2012–13	03	12	—	—
2013–14	02	14	01	—
कुल योग	11	57	03	08

स्रोत : कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार।

2009–14 की अवधि के दौरान सी०ए०जी० की प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 57 कंडिकाओं में से आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 49 कंडिकाएँ विचार-विमर्श हेतु लम्बित थे (सितम्बर 2015)।

लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 मार्च 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू के चार प्रतिवेदनों की छः कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थे (सितम्बर 2015) जो कि नीचे दर्शायी गयी हैं :

तालिका सं० : 1.15 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	वैसी अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके ए०टी०ए०न० अप्राप्त थे
2009–10	01	01	01
2010–11	01	03	03
2011–12	01	01	01
2012–13	—	—	—
2013–14	01	01	01
कुल योग	04	06	06

स्रोत : लोक उपक्रम समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

कोपू के इन प्रतिवेदनों में एक विभाग की कंडिकाओं से सम्बन्धित अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं जो कि भारत के सी०ए०जी० के वर्ष 1996–97 से 2005–06 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय—सूची के अनुसार स्पष्टीकरण टिप्पणी/कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कोपू द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणी का जवाब (ब) निर्धारित अवधि में हानि की वसूली/अदत्त अग्रिम/अधिभुगतान एवं (स) लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुपालन हेतु तंत्र का पुर्णनिर्माण करना, सुनिश्चित कर सकती है।

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.27 प्रतिवेदन में 14 कंडिकाएँ एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ अर्थात् ‘बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियाँ एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड’ जिसमें ₹ 309.37 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सम्मिलित थे।


सा०क्षें०उ० का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.28 राज्य सरकार द्वारा सा०क्षें०उ० के विनिवेश के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा०क्षें०उ० की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 सा०क्षें०उ० की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ—साथ प्रबन्धन के बैंटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा०क्षें०उ०²⁸ के सम्बन्ध में ही किया गया है (सितम्बर, 2015)।

²⁸ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल—विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

अध्याय - II

**2.1. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
की संरचनात्मक गतिविधियों पर
निष्पादन लेखापरीक्षा**



अध्याय – II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य नई पुलों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण तथा उनका संधारण व सुधारात्मक कार्य करना था। कम्पनी ने 2010–15 की अवधि के दौरान केवल निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया एवं संविदा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रतियोगात्मक निविदा प्रक्रिया में सहभागिता नहीं किया।

कम्पनी की संरचनात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा निम्नवत् है :

निधि प्रबन्धन

- अनुबन्ध बिना 70 परियोजनाओं के निष्पादन के मद में कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की शत्ता (सेन्टेज) शुल्क की हानि हुई एवं एक पुल की संशोधित प्राक्कलन पर ₹ 16.49 करोड़ की शत्ता शुल्क का भी दावा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.7)

नाबार्ड द्वारा पोषित पुलों का निर्माण

- कम्पनी द्वारा निर्माण की गई 542 पुलों में से 281 पुलों का निर्माण 2010–15 की अवधि के दौरान सम्पन्न हुआ था जिसमें से 149 पुलों (53 प्रतिशत) का निर्माण–कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 261 पुलों का निर्माण–कार्य अपनी पूर्णता के विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन था जिसमें 94 पुलों के निर्माण–कार्य में एक से 64 महीनों का विलम्ब हो गया है।

(कंडिका 2.1.11)

- नमूना जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों में 81 पुलों का निर्माण सम्पन्न हुआ था जिसमें से 45 पुलों का निर्माण एक से 30 महीनों के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था तथा 17 पुलों का निर्माण ₹ 36.19 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

(कंडिका 2.1.11)

- छ: प्रमण्डलों की नमूना जाँच में पूर्ण किए गए 224 पुलों में से 49 मामलों में निविदा बोलियों की वैद्यता अवधि के व्यतीत होने पर निविदाओं का अन्तिमीकरण आठ से 356 दिनों के विलम्ब से हुआ था।

(कंडिका 2.1.12)

- कम्पनी ने सी०मी०सी० मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 126.92 करोड़ के आठ कार्यादेश, बिना निविदा आमंत्रित किए, नामांकन के आधार पर निर्गत किया।

(कंडिका 2.1.13)

० स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 42.13 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों का निर्माण—कार्य का परित्याग कर दिया गया। पाँच पुलों के मामलों में पुलों को जोड़ने वाले पहुँच पथ के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 14.95 करोड़ की व्यय की गई राशि सात से 15 महीनों की परास की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कांडिका 2.1.14)

छ: निर्माणाधीन पुलों के सम्बन्ध में, यद्यपि पुलों के मद में निर्माण कार्य ₹ 69.23 करोड़ की लागत पर सम्पन्न हो चुका था तथापि इन पुलों को जोड़ने हेतु पहुँच—पथ का निर्माण कार्य सात से 34 महीनों की परास की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक अपूर्ण था।

(कांडिका 2.1.14)

० धनहा—रत्वलघाट पुल से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य संवेदक को वास्तविक कार्य के दर पर नहीं प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 9.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कांडिका 2.1.16)

० भागलपुर के विजयघाट पुल से सम्बन्धित बुनियादी कुआँ की गहराई की बढ़ोतरी हेतु संवेदक को ₹ 4.29 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

(कांडिका 2.1.17)

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन पुलों का निर्माण

० कम्पनी द्वारा निर्माण किए गए 710 पुलों में से 540 पुलों का निर्माण, 2010–15 की अवधि के दौरान हुआ था जिसमें से 312 (58 प्रतिशत) पुल विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 170 पुलों का निर्माण—कार्य पूर्ण होने की विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन था जिसमें 61 पुलों के निर्माण—कार्य में एक से 84 महीनों तक का विलम्ब हो गया है।

(कांडिका 2.1.20)

० नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों द्वारा निर्मित किए गए 337 पुलों में 57 के मामलों में निविदा बोली की वैधता अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब 10 से 369 दिनों की परास अवधि का था।

(कांडिका 2.1.20)

० नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों द्वारा निर्मित किए गए 337 पुलों में 57 के मामलों में निविदा बोली की वैधता अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब 10 से 369 दिनों की परास अवधि का था।

(कांडिका 2.1.21)

० स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹ 2.70 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों के निर्माण—कार्य का परित्याग जून 2012 से ही कर दिया गया था। दस पुलों के मामलों में उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच—पथों के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 16.40 करोड़ की राशि छ: से 30 महीनों की अवधि तक अवरुद्ध रहा।

(कांडिका 2.1.22)

- चार पुलों के मामलों में यद्यपि पुल के हिस्से का निर्माण—कार्य ₹ 10.57 करोड़ की लागत पर पूर्ण हो गया था तथापि उन्हें जोड़ने हेतु पहुँच—पथों का निर्माण कार्य 13 से 45 महीनों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.22)

भवनों का निर्माण

- वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान के निर्माण के मामले में मूल्य वृद्धि मद में ₹ 18.51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान संवेदक को किया गया। साथ ही कम्पनी ने सरकार की दिशा—निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 3.81 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.1.25)

प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से पाँच वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी कम्पनी द्वारा निर्माण किए जाने वाले 38 छात्रावासों में से केवल सात छात्रावासों का निर्माण कार्य मार्च 2015 तक सम्पन्न हो पाया था।

(कंडिका 2.1.26)

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण

- पर्यवेक्षीय परामर्शियों (एस0सी0) की नियुक्ति हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं था। एस0सी0 को भुगतान किया गया ₹ 32.54 करोड़ के व्यय को शत्‌ता शुल्क से प्रतिपूर्ण करने के बजाए इसे कार्य—व्यय मद में भारित कर दिया गया था।

(कंडिका 2.1.28)

- पूर्ण परियोजनाओं की लेखों का सम्बन्धित विभागों की लेखों से समाशोधन नहीं करने के कारण वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखों में ₹ 11158.91 करोड़ की राशि बिहार सरकार से प्राप्त जमाराशि के रूप में प्रदर्शित हो रहा था।

(कंडिका 2.1.31)

प्रस्तावना

2.1.1 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य नई पुलों/अन्य संरचनाओं का निर्माण एवं उनका संधारण तथा सुधारात्मक कार्य करना था। कम्पनी मुख्यतः पुलों के निर्माण—कार्य का निष्पादन करती है एवं इसके अतिरिक्त अन्य संरचनात्मक कार्यों यथा छात्रावासों, चिकित्सालयों, बाढ़ शिविरों, सम्मेलन केन्द्र, पार्कों इत्यादि के निर्माण—कार्य का भी निष्पादन करती है।

कम्पनी दो प्रकार के कार्यों का निष्पादन करती है (i) निष्केप कार्य एवं (ii) निविदाओं में सहभागिता के माध्यम से संविदा कार्य। बिहार सरकार (जी0ओ0बी0), कम्पनी का अपने उपरि—व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु, निष्केप कार्यों का आवंटन लागत योग आधार अर्थात् अधिसूचित लागत तथा शत्‌ता शुल्क¹ पर करती है। कम्पनी ने 2010–15 की अवधि में

¹ ₹ 100 करोड़ की आवर्त्त पर 13.5 प्रतिशत, ₹ 100 करोड़ से ₹ 250 करोड़ की आवर्त्त पर 12.5 प्रतिशत तथा ₹ 250 करोड़ से अधिक आवर्त्त पर नौ प्रतिशत तथा एक प्रतिशत आकस्मिकता शुल्क।

केवल निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया था एवं संविदाएँ प्राप्त करने हेतु किसी प्रतियोगात्मक निविदा प्रक्रिया में सहभागिता नहीं किया था।

कम्पनी कथित अवधि के दौरान निक्षेप कार्यों का निष्पादन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़), योजना, गैर-योजना, इत्यादि एवं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (एम०एम०एस०एन०वाई०) से प्राप्त निधियों से किया। अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि में कम्पनी को आवंटन किए गए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पुलों/परियोजनाओं का विवरण निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका सं० : 2.1.1

कम्पनी को आवंटन की गई विभिन्न परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
विभिन्न शीर्ष	1010.29 (149)	1131.77 (173)	1975.83 (129)	4461.52 (267)	330.77 (17)	8910.18 (735)
एम०एम०एस०एन०वाई०	415.79 (196)	108.93 (49)	402.06 (138)	75.49 (27)	350.45 (114)	1352.72 (524)
कुल	1426.08 (345)	1240.70 (222)	2377.89 (267)	4537.01 (294)	681.22 (131)	10262.90 (1259)

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार

कोष्ठक में दी गई संख्या पुलों/योजनाओं को इंगित करती है।

कम्पनी ने, अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान ₹ 4344.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 914 परियोजनाओं का कार्य सम्पन्न किया एवं 01 अप्रैल 2015 तक ₹ 10136.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 626 परियोजनाएँ अपने पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में थी (यथा परिशिष्ट-2.1.1 में निर्दिष्ट)। नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों में पूर्ण किए गए 329 परियोजनाओं में से 186 परियोजनाएँ (56.53 प्रतिशत) विलम्ब से पूर्ण किए गए थे।

कम्पनी 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान निरन्तर लाभ अर्जित किया जो 2010–11 में ₹ 70.63 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 139.09 करोड़ हो गया। कम्पनी का संचय एवं आधिक्य 2010–11 में ₹ 166.50 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 464.86 करोड़ हो गया। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 हेतु कम्पनी की लेखे बकाए में थे।

कम्पनी का प्रबन्धन सात निदेशकों वाली निदेशक मण्डल में निहित है। निदेशक मण्डल की सर्वांगीण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन, प्रबन्ध निदेशक, कम्पनी की दिन प्रतिदिन व्यवसाय हेतु उत्तरदायी है। प्रबन्ध निदेशक को उनके कार्य-निष्पादन में तीन उप-मुख्य अभियन्ताएँ, वित्तीय परामर्शी-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी एवं कम्पनी के सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। कम्पनी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट-2.1.2 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.1.2 वर्ष 2005–10 हेतु कम्पनी पर एक निषादन लेखापरीक्षा का चित्रण 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), बिहार सरकार (जी0आ०बी0) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया था। कथित निषादन लेखापरीक्षा पर लोक उपक्रम समिति (कोपू) ने परिचर्चा आरम्भ कर दिया है जो पूर्ण होना शेष है।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति में मार्च 2015 से जून 2015 के दौरान कम्पनी मुख्यालय, नियोजन अंचल, गुणवत्ता नियंत्रण संकंठ तथा कम्पनी की 14 कार्य प्रमण्डलों में 2010–14 की अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय के 47.35 प्रतिशत व्यय करने वाली छः कार्य प्रमण्डलों (कार्य प्रमण्डल मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, नालन्दा, भगलपुर एवं पटना-2) में अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि से सम्बन्धित संधारण की गई अभिलेखों का जाँच शामिल था। विस्तृत संवीक्षा के उद्देश्य हेतु कार्य प्रमण्डलों का चयन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पिछले चार वर्षों की कार्य-निषादन की मात्रा के आधार पर यादृच्छिक प्रातिदर्श पद्धति के अनुसार किया गया था।

13 मार्च 2015 को आहूत प्रवेश सम्मेलन में शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराया गया था एवं प्रबन्धन एवं सरकार के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर परिचर्चा 08 अक्टूबर 2015 को आहूत निकास सम्मेलन में की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन एवं सरकार को उनकी टिप्पणी हेतु प्रारूप निषादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्मात की गई थी। सितम्बर 2015 एवं अक्टूबर 2015 में क्रमशः प्रबन्धन एवं सरकार से प्राप्त जवाब को निषादन लेखापरीक्षा में समावेश समुचित रूप से कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 कम्पनी का निषादन लेखापरीक्षा यह आकलन एवं निर्धारण करने हेतु किया गया था कि:

- निधियों का प्रबन्धन प्रभावी एवं मितव्यप्रितापूर्ण था;
- कम्पनी द्वारा अपनाई गई विभिन्न परियोजनाएँ/योजनाओं का निषादन मितव्ययता, प्रभावी एवं दक्षपूर्वक ढंग से हो रहा था एवं कम्पनी समय एवं लागत-वृद्धि की जोखिम के प्रति संजीदा था; एवं
- कम्पनी में एक पर्याप्त एवं प्रभावी अनुश्रवण /आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली व्याप्त था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाए गए मापदण्ड निम्नलिखित से उद्भृत किए गए थे :

- कम्पनी का मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसियेशन, कम्पनी का विनियमन एवं व्यवसायिक उप-विधि, मानक संविदा प्रलेख;
- बिहार वितीय नियम एवं बिहार लोक निर्माण विभाग विधान;
- केन्द्र सरकार /राज्य सरकार मार्गदर्शिकाएँ / परियोजना मार्गदर्शिकाएँ; एवं
- मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (एम०एम०एस०एन०वाई०) मार्गदर्शिका ।

लेखापरीक्षा परिणाम

निधि प्रबन्धन

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.1.5 31 मार्च 2010–15 को समाप्त हुए पाँच वर्षों हेतु कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट-2.1.3** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि शतता शुल्क, अर्थात् कम्पनी की मुख्य आय का स्रोत, संवीक्षा की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा था। शतता आय से कुल आय की प्रतिशतता का परास 67.31 से 82.69 था जबकि सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज की कुल आय से प्रतिशतता 11.24 से 19.23 के परास में था।

निधि उपलब्धता एवं उनकी उपयोगिता

2.1.6 2010–15 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त निधि एवं उनकी उपयोगिता का विवरण नीचे तालिका में दी गई है :

तालिका सं0 : 2.1.2

2010–15 की अवधि के दौरान निधि उपयोगिता को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग में लाइ गई निधि	अन्त शेष	उपयोगिता प्रतिशतता
2010–11	729.65	1625.41	2355.06	1244.58	1110.48	52.85
2011–12	1110.48	1635.84	2746.32	1410.88	1335.44	51.37
2012–13	1335.44	1356.87	2692.31	1389.26	1303.05	51.60
2013–14	1303.05	1778.77	3081.82	1606.78	1475.04	52.14
2014–15	1475.04	2167.14	3642.18	1881.46	1760.72	51.66

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2010–15 की अवधि के दौरान कम्पनी की निधि उपयोगिता 2010–11 में 52.85 प्रतिशत से घट कर 2014–15 में 51.66 प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार, आधारभूत परियोजनाओं/योजनाओं से सम्बन्धित ₹ 1110.48 करोड़ से ₹ 1760.72 करोड़ के परास की महत्वपूर्ण निधि कम्पनी की खाताओं में पड़ा हुआ था।

शतता शुल्कों की हानि

2.1.7 हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

बिना अनुबन्ध के 70 परियोजनाओं के निष्पादन के कारण कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की शतता शुल्कों की हानि हुई

बिहार के कोसी क्षेत्र में बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (बी0ए0पी0ई0पी0एस0) द्वारा आवंटित विभिन्न पुल-निर्माण का कार्य, कम्पनी ने बी0ए0पी0ई0पी0एस0 से बिना अनुबन्ध किए लिया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को भुगतेय शतता शुल्कों का

अनिमीकरण नहीं किया जा सका। परियोजनाओं के सम्पन्न करने के उपरांत कम्पनी ने अपनी शतता शुल्कों का दावा प्रस्तुत किया जिसे बी०ए०पी०ई०पी०ए०स० ने खारिज कर दिया। इस प्रकार 2011–15 की अवधि के दौरान परिपूर्ण की गई 70 परियोजनाओं के मामलों में कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की कुल शतता शुल्क की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि कम्पनी ने बी०ए०पी०ई०पी०ए०स० से शतता शुल्कों की भुगतान हेतु मुद्दों को उठाया है एवं राज्य सरकार से इसकी माफी हेतु आग्रह भी किया है। तथ्य यही है कि कम्पनी, अनुबच्च में शतता शुल्कों की प्रावधान को, सुनिश्चित करने में विफल रहा एवं जिसके फलस्वरूप कम्पनी को हानि वहन करनी पड़ी।

कम्पनी बढ़ी हुई शतता शुल्कों का दावा नहीं करने के कारण अपनी वित्तीय हितों को रक्खा में विफल रहा

③ पटना में बेली रोड पर फ्लाई ओवर के निर्माण की लागत ₹ 161.98 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 321.40 करोड़ कर दिया गया था। तथापि पुनर्रक्षित लागत के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को मामला उपर्याप्त करने पर कम्पनी द्वारा शतता शुल्कों में आवश्यक वृद्धि के मद में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बढ़ी हुई शतता शुल्कों के मद में दावा प्रस्तुत नहीं करने में कम्पनी अपनी वित्तीय हितों की रक्खा करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि पुनर्रक्षित लागत में, स्वीकार्य शतता शुल्कों को प्रस्तावित किया गया था, तथापि राज्य सरकार ने इसे वास्तविक अनुमोदित राशि तक सीमित कर दिया था। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रेषित पुनर्रक्षित तकनीकी अनुमोदन में पुनर्रक्षित लागत पर शतता शुल्कों का दावा नहीं किया गया था।

संग्रहण शुल्कों के प्रतिधारण नहीं करने एवं अम सेच की कटौती नहीं करने के कारण हानि

2.1.8 हमलागों ने प्रेषित किया कि :

कम्पनी संवेदकों से संग्रहित राशि में से संग्रहण शुल्क के प्रतिधारण में विफल रहा

④ भवन एवं अन्य सञ्जनर्माण श्रमिक कल्याण (नियुक्ति एवं सेवा शर्त विनियमन) विनियम, 1996 की प्रावधान, भवन एवं अन्य सञ्जनर्माण श्रमिक कल्याण सेस विनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सञ्जनर्माण श्रमिक कल्याण सेस नियम, 1998 की प्रावधानों के साथ पठित, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती है कि नियोक्ता द्वारा वहन किया गया निर्माण-लागत की एक प्रतिशत के दर से संवेदक पर सेस भारित एवं संग्रहित किया जाएगा तथा इस प्रकार कुल संग्रहित राशि का एक प्रतिशत का अपरोधन किया जाएगा। हमलोगों ने प्रेषित किया कि नमूना जाँच में जाँच किए गए कम्पनी का छ: कार्य प्रमणल 2010–15 की अवधि के दौरान संवेदकों से संग्रहित ₹ 31.38 करोड़ की राशि के मद में ₹ 31.38 लाख की राशि, प्रतिधारण करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि भविष्य में अनुपालन हेतु इसे ध्यान में रख लिया गया है।

⑤ कम्पनी उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन में नालन्दा राजारी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के मामले में संवेदकों के विपत्र से ₹ 28.10 लाख की श्रमिक सेस की कटौती करने में विफल रहा और इसके बदले में इसे अपनी निधियों से जमा किया। इस प्रकार कम्पनी ने न केवल ₹ 28.10 लाख का परिहार्य आतिरिक्त व्यय किया बाल्कि उत्तरी ही राशि के बराबर संवेदक को अनुचित लाभ भी प्रदान किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि श्रमिक सेस हेतु अनुमोदित प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया गया था एवं संवेदक द्वारा कटौती करने से पूर्व अपने विपत्रों में लेबर सेस के मद में अतिरिक्त एक प्रतिशत का दावा किया गया था जिसे कम्पनी ने तदनुसार किया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बिहार राज्य में वर्ष 2008 से ही लेबर सेस लागू था एवं निविदा प्रलेखों (दिसम्बर 2009 में निर्गत) में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत किए गए दर में सभी प्रकार की करों एवं सेस को सम्मिलित माना जाएगा। इस प्रकार, कम्पनी की निधियों से लेबर सेस जमा करने के बजाय कम्पनी को संवेदकों के विपत्रों से लेबर सेस की कटौती करनी चाहिए थी।

अनुशंसा

कम्पनी को इसके द्वारा किए गए सभी अनुबन्धों में प्रावधानित शतांश शुल्कों का दावा करने में सतर्क रहना चाहिए।

परियोजनाओं का निष्पादन

2.1.9 कम्पनी दो प्रकार के कार्यों यथा पुलों का निर्माण एवं अन्य संरचनाओं जैसे भवनों, छात्रावासों, बाढ़ शिविरों एवं पार्कों का निष्पादन कार्य करती है।

पुलों का निर्माण

2.1.10 पुलों के निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा, विभिन्न शीर्षों यथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़), योजना, गैर-योजना इत्यादि एवं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (एम०एम०एस०एन०वाई०) के अन्तर्गत कम्पनी को निधि उपलब्ध कराया जाता है। 2010–15 की अवधि के दौरान ₹ 11578.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त 542 पुलों का निर्माण–कार्य कम्पनी ने नाबाड़, योजना, गैर-योजना इत्यादि शीर्ष के अन्तर्गत लिया। इसके अतिरिक्त, एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत कम्पनी ने ₹ 1916.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 710 पुलों के निर्माण–कार्य का निष्पादन किया।

कम्पनी द्वारा पुलों के निर्माण कार्य का आरम्भ बिहार सरकार (जी०ओ०बी०) द्वारा कार्य आवंटन के उपरान्त किया जाता है। कम्पनी सरकार द्वारा चयन किए गए स्थल का सर्वेक्षण करने के उपरांत परियोजना की लागत निर्धारण करने व सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति (ए०ए०) प्राप्त करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०)/आरेखण/लागतें तैयार करवाती है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, कम्पनी वास्तविक कार्य–निष्पादन की मात्रा–निर्धारण हेतु तकनीकी स्वीकृति (टी०एस०) प्रदान करती है। कार्यों का निष्पादन निविदा आमंत्रण अथवा नामांकन आधार के माध्यम से किया जाता है। निविदाओं के अन्तिमीकरण के उपरांत कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं कार्य–निष्पादन की शुरुआत हेतु संवेदकों से आदर्श संविदा प्रलेख में अनुबन्ध किया जाता है।

नाबाड़ द्वारा पोषित पुलों का निर्माण

2.1.11 कम्पनी ने 2010–15 की अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षों यथा नाबाड़, योजना, गैर-योजना इत्यादि के अन्तर्गत ₹ 11578.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 542 पुलों का निर्माण–कार्य लिया जिसमें पूर्व के वर्षों की ₹ 2939.11 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 54 पुलों भी सम्मिलित थीं। इसमें से कम्पनी ने ₹ 2825.30 करोड़ की लागत पर 281 पुलों का निर्माण–कार्य सम्पन्न किया जिसमें से 149 पुलों (53 प्रतिशत) का निर्माण–कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ था। 31 मार्च 2015 तक, ₹ 8753.25 करोड़ की

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 261 पुलों अपनी पूर्णता के विभिन्न स्तरों में निर्माणाधीन थे जिनमें से 94 पुलों के निर्माण-कार्य में एक से 64 महीनों का विलम्ब हो गया है।

नमूना जाँच में जाँच किए गए छः कार्य प्रमण्डलों द्वारा योजना, गैर-योजना, नाबार्ड एवं अन्य शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण किए गए पुलों के निर्माण का विवरण नीचे तालिका में दी गई है :

तालिका सं0 : 2.1.3

अन्य शीर्षों के अन्तर्गत निर्मित पुलों में समय एवं लागत वृद्धि को दर्शाने वाली तालिका

क्रम सं0	कार्य-प्रमण्डल का नाम	पूर्ण गए पुलों की संख्या	विलम्ब से पूर्ण की गई पुलों की संख्या	विलम्ब का परास (महीनों में)	लगत-वृद्धि से पूर्ण की गई पुलों की संख्या	लगत-वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	मुजफ्फरपुर	12	3	6 से 18	3	3.68
2	सीतामढ़ी	19	16	1 से 30	8	2.92
3	बेतिया	3	2	7 से 12	1	24.03
4	नालन्दा	18	8	1 से 8	1	2.26
5	भागलपुर	16	9	1 से 20	4	3.30
6	पटना-2	13	7	3 से 16	0	0
कुल		81	45		17	36.19

स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 81 पूर्ण पुलों में से :

- 45 पुलों अर्थात् 55.56 प्रतिशत का निर्माण-कार्य एक से 30 महीनों के परास अवधि के विलम्ब से पूर्ण हुआ था और इन विलम्बों का मुख्य कारण निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, ससमय निष्पादन में संवेदकों द्वारा विलम्ब, पुल हिस्सों एवं पहुँच पथ के निर्माण-कार्य का पृथक्करण इत्यादि था।
- इसके अतिरिक्त 17 पुलों का निर्माण कार्य ₹ 36.19 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था जिसका मुख्य कारण वस्तुतः पुल की लम्बाई की वृद्धि के कारण आरेखण में परिवर्तन, निविदा के अन्तिमीकरण के उपरांत अतिरिक्त कार्य एवं कार्यादेशों के निर्गत करने में विलम्ब इत्यादि था।

नाबार्ड, योजना, गैर-योजना, इत्यादि शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण किए पुलों के कुछ अर्थवान् त्रुटियों की परिचर्चा संक्षिप्त रूप से निम्नवत् है :

निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब

2.1.12 कम्पनी विभिन्न आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) निर्गत करती है। तकनीकी बोलियों की खुलने की तिथि से निविदाकर्ताओं की बोली 120 दिनों तक प्रभावी रहती है।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि नमूना जाँच में जाँच किए छः कार्य-प्रमण्डलों द्वारा नाबार्ड, योजना, गैर-योजना, इत्यादि शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण किए गए 224 पुलों में से, 49 एन0आई0टी0 के मामलों में बोलियों की प्रभावी अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाओं का अन्तिमीकरण आठ से 356 दिनों के परास के विलम्ब से हुआ था। उपर्युक्त वर्णित 49 एन0आई0टी0 में 17 एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण आठ से 100 दिनों के विलम्ब,

तथा 12 एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण 100 से 200 दिनों के विलम्ब से हुआ था। इसके अतिरिक्त, 20 एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण 201 से 356 दिनों के विलम्ब से हुआ था।

इसके अतिरिक्त, चार पुलों वस्तुतः लखीसराय जिला में मलिया एवं तेतरहाट पुल, मुजफ्फरपुर जिला में रंधईघाट और पिलखीघाट पुल एवं पूर्वी चम्पारण में जटवाघाट पुलों के मामलों में कम्पनी ने बोलियों की वैद्यता अवधि व्यतीत होने की तिथि से एक वर्ष उपरांत असाधारण विलम्ब से चार कार्यादेश निर्गत किया। इसके परिणामस्वरूप पुलों का निर्माण—कार्य एक वर्ष से विलम्बित हो गया एवं कम्पनी को मूल्य—वृद्धि के मद में ₹ 1.84 करोड़ की राशि का अधिव्यय करना पड़ा जो परिहार्य था। इसके फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹ 2.02 करोड़ की क्षति (कम्पनी का शतता शुल्क सहित) हुई।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2015) कि प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में एन0आई0टी0 प्रकाशित की गई थी और ससमय प्रशासनिक अनुमोदन नहीं प्राप्त होने एवं संवेदकों द्वारा समर्पित अभिलेखों की सत्यापन नहीं होने के कारण निविदा बोली की वैद्यता अवधि के अन्तर्गत एन0आई0टी0 अन्तिमीकृत नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य यही है कि प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करने में/प्राप्त करने में विलम्ब के फलस्वरूप परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि हुई।

निविदा प्रक्रिया में अनियमितता

2.1.13 नाबार्ड शीर्ष के अन्तर्गत निर्मित पुलों से सम्बन्धित निविदा प्रक्रिया की अभिलेखों की संवीक्षा के क्रम में हमलोगों ने निम्नलिखित त्रुटियों का प्रेक्षण किया :

- हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कार्य—प्रमण्डल (डब्ल्यू0डी0) एवं उप—मुख्य अभियन्ता (डी0सी0ई0) स्तर पर तकनीकी बोलियों के अन्तिमीकरण में अपेक्षित कर्मिष्ठता नहीं बरती गई थी। धनकुटवा में तिरुमुहान नदी के पार से डब्ल्यू0डी0, बेतिया में शिवपुर पथ तक की पहुँच पथ सहित पुल निर्माण के मामले में हमलोगों ने प्रेक्षण किया कि वरीय परियोजना अभियन्ता (एस0पी0ई0), डब्ल्यू0डी0, बेतिया एवं उप—मुख्य अभियन्ता (डी0सी0ई0), उत्तर बिहार अंचल द्वारा चार निविदाकर्ताओं को तकनीकी रूप से योग्य करार किया गया था। तथापि, मुख्यालय की संवीक्षा के दौरान केवल एक ही निविदाकर्ता तकनीकी रूप के योग्य पाया गया। इसी प्रकार डब्ल्यू0डी0, नालन्दा में मलिया एवं तेतरघाट के बीच पुल निर्माण के मामले में आठ निविदाकर्ताओं में से एस0पी0ई0 द्वारा दो निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाए गए थे परन्तु मुख्यालय द्वारा आयोग्य घोषित किए गए थे तथा दूसरा निविदाकर्ता जो कार्य—प्रमण्डल द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए थे को कार्यादेश प्रदान किया गया। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन हेतु तुलनात्मक विवरणियाँ अभिलेखों में नहीं पाई गई थी। इससे इंगित हुआ कि कार्य—प्रमण्डल तथा डी0सी0ई0 स्तर पर बोलियों का मूल्यांकन समुचित नहीं था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि एस0पी0ई0 ने तकनीकी रूप से योग्य किसी भी निविदाकर्ता की अनुशंसा नहीं की थी जिसके कारण मुख्यालय कार्यालय के स्तर पर निर्णय लिया गया। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है चूंकि एस0पी0ई0 ने अपनी टिप्पणियों में तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं के सम्बन्ध में अनुशंसा की थी।

- डब्ल्यू0डी0 नालन्दा में सूरजीचक के समीप हरोहर नदी के पार एक पुल—निर्माण के मामले में कार्यादेश वैसे निविदाकर्ता को प्रदान हुआ जो प्रथम बोली में तकनीकी रूप से आयोग्य पाया गया एवं साथ ही इस निविदाकर्ता के अनुरोध पर पुलों की लम्बाई अनुभव की मापदण्ड को 100 मीटर के घटाकर 90 मीटर कर दिया गया जिसे अग्रेतर घटाकर 70 मीटर कर दिया गया। यह न केवल अनियमित था बल्कि कथित निविदाकर्ता को अनुचित लाभ—विस्तारन में भी फलित हुआ।

डब्ल्यू0डी0 एवं डी0सी0ई0 स्तर पर निविदा मूल्यांकन समुचित नहीं था

निविदाकर्ता के अनुरोध पर योग्यता मापदण्ड कमतर कर दिया गया

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि पहली निविदा में दोनों निविदाकर्ता 100 मीटर पुल लम्बाई मापदण्ड की योग्यता पूर्ण नहीं कर पाए थे। अतः अपेक्षित पुल-लम्बाई की योग्यता को पुनर्निविदा में घटा कर 90 मीटर कर दिया गया था जिसे पुनर्निविदा के पूर्त में आहूत बैठक में निविदाकर्ताओं के अनुरोध पर घटाकर 70 मीटर कर दिया गया था।

प्रबन्धन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, चूंकि पहली निविदा में एक निविदाकर्ता पुल-लम्बाई मापदण्ड की अहर्ता को पूर्ण कर रहा था एवं उसके पास कम्पनी हेतु 154 मीटर लम्बी पुल के निर्माण का अनुभव भी प्राप्त था। इसके अतिरिक्त केवल एक ही निविदाकर्ता ने लम्बाई अहर्ता को घटाने के लिए अनुरोध किया था एवं इस निविदाकर्ता को लाभान्वित करने हेतु इसके अनुरोध को स्वीकार किया गया था और अन्ततः इसी निविदाकर्ता को कार्यादेश प्रदान किया गया था।

- वर्ष 2006 की विशेष अनुमति याचिका (एस0एल0पी0)(असेंजिक) सं0 10174 में माननीय भारत की सर्वोच्च न्यायालय की केसला पर आधारित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0भी0सी0) का दिनांक जुलाई 2007 का आदेश, अन्य बातों के साथ, केवल लोक निलामी/लोक निविदा के माध्यम से ही सरकारी संविदा प्रदान करना प्रावधानित करता है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संविदाओं के प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रष्ट/अनियमित आवरणों पर पूर्णविराम लगाना है। कठिन आदेश, उपर्युक्त नियम से केवल विशेष सामलों में विचलन वित्तिदृष्ट करता है जहाँ सरकारी संविदाएँ नामांकन आधार पर भी प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के उल्लंघन में कम्पनी ने नाबाई शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 126.92 करोड़ की पुलों एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु आठ कार्यादेश नामांकन आधार पर प्रदान किया जो सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के अनुसार अपवाद वाले मामले नहीं थे और न ही कम्पनी ने इन कार्यादेशों के प्रदान हेतु अमिलेखों में इसके औचित्य/कारण दर्ज कराया। यह न केवल अनियमित एवं देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध था बल्कि यह सरेकों को अनुचित लाभ विस्तारन के रूप में भी फलित हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि कम्पनी की व्यावसायिक सन्नियमों के अनुसार कार्य नामांकन आधार पर प्रदान किए गए थे, तथापि लेखापरीका द्वारा इस मामलों को इंगित करने पर, यह प्रक्रिया जून 2015 से समाप्त कर दी गई है।

मूमि अधिग्रहण में विलम्ब

2.1.14 लोक-उपयोग हेतु पुलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पुलों का निर्माण-कार्य इस तरह नियोजित होना चाहिए कि न केवल पुलों बल्कि इनको जोड़ने वाले पहुँच पथों का निर्माण-कार्य एक साथ ही सम्पन्न हो जाए। इसके अलावा पुल परियोजना की समस्या निषादन हेतु सरमम्य भूमिअधिग्रहण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतः स्थल-उपलब्धता की आकलन कार्यारम्भ के पूर्व कर लेना चाहिए एवं भूमि-अधिग्रहण में गतिरोधों को पुल निर्माण पर व्यय करने से पूर्व पहचान कर लेना चाहिए। तथापि, हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- भूमि-अधिग्रहण नहीं होने के कारण ₹ 42.13 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों यथा जमुई जिला में देमधाट निजुआरा नदी के पार पुल (मार्च 2004 से ही) एवं मुंगर जिला में बरियापुर में रेलवे उपरिपुल (मार्च 2010 से ही) का निर्माण-कार्य का परित्याग कर दिया गया। बरियापुर पर परित्याग किए गए रेलवे उपरि पुल की छवि निम्नवर्त है :

₹ 42.13 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों के उपरिपुल नदी के पार पुल (मार्च 2004 से ही) एवं मुंगर जिला में बरियापुर में रेलवे उपरिपुल (मार्च 2010 से ही) का निर्माण-कार्य का परित्याग कर दिया गया। बरियापुर पर परित्याग किए गए रेलवे उपरि पुल की छवि निम्नवर्त है :

कम्पनी ने सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के उल्लंघन में कुल ₹ 126.92 करोड़ का कार्यादेश नामांकन आधार पर प्रदान किया



भागलपुर में बरियारपुर पर परित्याग किए गए रेलवे उपरि पुल (आर0ओ0बी0) की छवि

पहुँच-पथ के निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ

छ: निर्माणाधीन पुलों के मामलों में, इनको जोड़ने वाले पहुँच पथों का निर्माण सात से 34 महीना व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण था

- पाँच पुलों के मामलों में यद्यपि ₹ 14.95 करोड़ की लागत पर पुलों के हिस्से का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया था तथापि इन पुलों को जोड़ने वाले पहुँच पथों के निर्माण-कार्य की सम्पन्नता में असाधारण विलम्ब हुआ जिसका परास सात महीनों से लेकर 15 महीनों के मध्य था (परिशिष्ट-2.1.14 में निर्दिष्ट)।

- छ: निर्माणाधीन पुलों के मामलों में, यद्यपि पुलों के हिस्से का निर्माण-कार्य ₹ 69.23 करोड़ की लागत पर सम्पन्न हो गया था तथापि इनको जोड़ने वाले पहुँच पथों का निर्माण-कार्य सात से 34 महीनों (परिशिष्ट-2.1.15 में निर्दिष्ट) के व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण (जून 2015) था। ऐसी ही एक अप्रयुक्त पुल की हालिया छवि निम्न प्रदर्शित है :



शिवहर जिला में मंडारघाट पर अपूर्ण पुल

उपर्युक्त के फलस्वरूप उल्लेखित 13 पुलों पर अभी तक (जून 2015) लोक निधि का ₹ 126.31 करोड़ व्यय न केवल अवरुद्ध रहा बल्कि जनता को भी वांछित लाभों से वंचित होना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि विभिन्न कारणों से यथा भूमि-अधिग्रहण में विलम्ब, अन्य विभागों से सहमति, संवेदकों द्वारा चूक, इत्यादि पहुँच-पथों को पूर्ण नहीं किया जा सका। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी को भूमि-अधिग्रहण में गतिरोधों की पहचान हेतु भूमि-उपलब्धता का आकलन आरम्भ में ही कर लेना चाहिए था।

संवेदक द्वारा विलम्ब

2.1.15 अनुबन्ध की उप-वाक्य 5 के अनुसार परियोजनाओं में विलम्ब हेतु उत्तरदायी घटना घटित होने की तिथि से 14 दिनों के अन्तर्गत संवेदक द्वारा समय-विस्तार हेतु आवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की उप-वाक्य 2 के अनुसार विलम्ब हेतु कार्य-निविदा मूल्य का प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से भरपाई (अधिकतम पाँच प्रतिशत तक) की कटौती की जानी चाहिए।

लखीसराय जिला में मलिया एवं तेतरहाट के बीच पुल निर्माण के मामले में हमने प्रेक्षित किया कि:

० पूर्णता की नियत तिथि से 13 महीनों के उपरांत संवेदक ने मार्च 2015 में समय-विस्तारन हेतु आवेदन किया एवं कम्पनी ने भी उप-वाक्य 5 की उल्लंघन में संवेदक द्वारा चूक के फलस्वरूप विलम्ब फलित होने की जानकारी के बावजूद समय-विस्तार प्रदान कर दिया।

० विलम्ब की क्षति पूर्ति हेतु ₹ 94.55 लाख की अपेक्षित राशि के विरुद्ध कम्पनी ने संवेदकों की विपत्रों से केवल विपत्र राशि का दो प्रतिशत ₹ 8.48 लाख की क्षति राशि की कटौती किया जो विलम्ब क्षति-पूर्ति हेतु ₹ 86.07 लाख की अल्प-कटौती में परिणत हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि जुलाई 2012 में स्थल पर नक्सली हमले हुए थे एवं संवेदक ने कम्पनी से सहायता अनुरोध कर समय-विस्तार की आवश्यकता का जिक्र किया था। प्रबन्धन ने अग्रेतर कहा कि संवेदक को समय-विस्तार प्रदान किए जाने की प्रत्याशा में उनके विपत्रों से क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि स्थल पर गतिरोध जुलाई 2012 में घटित हुई थी एवं इस घटना के घटित होने के 32 महीनों एवं पूर्णता की नियत तिथि से 13 महीनों के उपरांत संवेदक द्वारा समय-विस्तार हेतु आवेदन किया गया था। इसके अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति दावों से सम्बन्धित अनुबन्ध के निर्देशों को लागू करना चाहिए था।

अनुशंसा

कार्य की पूर्णता में विलम्ब के मामलों में समय-विस्तारन से सम्बन्धित संविदा की नियमों एवं शर्तों को लागू करना चाहिए एवं संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त मदों के निष्पादन में अधि-भुगतान

2.1.16 बिहार लोक निर्माण विभाग (बी०पी०डब्ल्य०डी०) संहिता की उप-वाक्य 182 के अनुसार अतिरिक्त मदों के निष्पादन हेतु संवेदकों से समपूरक अनुबन्ध किया जाना चाहिए एवं अतिरिक्त मदों का दर प्राथमिक अनुबन्ध में उद्धृत दरों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम्पनी ने पश्चिमी चम्पारण जिला में धनहा-रतवलघाट में गंडक नदी पर टर्न-की आधार पर पुल सहित पहुँच-पथ एवं गाईड-बण्ड का निर्माण-कार्य ₹ 219 करोड़ (अनुमानित लागत से 26 प्रतिशत कम) की लागत पर कार्यादेश प्रदान (सितम्बर 2009) किया।

समान दरों अर्थात्
अनुमानित लागत से
26 प्रतिशत कम पर
संवेदक को अतिरिक्त
कार्य प्रदान किया
गया। यह ₹ 9.24
करोड़ की अधिव्यय में
फलित हुआ

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), रुड़की द्वारा पुल पर अतिरिक्त सुरक्षा कार्य हेतु अनुशंसा (मार्च 2011) की गई थी एवं कम्पनी ने 100 मीटर की एक नई पुल एवं इस पुल की पहुँच-पथ पर बोल्डर पीचिंग के निर्माण-कार्य करने का निर्णय लिया। उक्त कार्यों हेतु जनवरी 2009 की अधिसूचित दर (एस0ओ0आर0) के आधार पर ₹ 35.55 करोड़ का अनुमान तैयार किया गया एवं एस0ओ0आर0 के आधार पर कार्यादेश उसी संवेदक को नामांकन आधार पर प्रदान कर (जून 2012) दिया गया। यह ₹ 9.24 करोड़ की अधिव्यय (₹ 35.55 करोड़ का 26 प्रतिशत) में फलित हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि सम्बन्धित मदों के दर में 2009 से 2012 के दौरान अच्छी खासी वृद्धि हुई थी अतः 2009 की अधिसूचित दर पर अतिरिक्त कार्यों के कार्यादेश प्रदान करने से कम्पनी ने लागत में बचत हासिल की थी। जवाब स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि सम्बन्धित मदों की मूल्य में वृद्धि हेतु लागत-वृद्धि का भुगतान संवेदक को प्राथमिक अनुबन्ध के अनुसार हुआ था।

अनुशंसा

कम्पनी को संवेदकों के साथ समपूरक अनुबन्ध करते समय बी0पी0डब्ल्यू0डी0 संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

संवेदक को अविवेकशील भुगतान

2.1.17 विजयघाट, भागलपुर पर पुल के निर्माण हेतु ₹ 257 करोड़ की अनुमानित लागत से 14.60 प्रतिशत कम ₹ 219.47 करोड़ की लागत पर संवेदक को कार्यादेश निर्गत (जुलाई 2010) किया गया। कथित अनुमानित लागत में पुल की आधार कुआँ की गहराई को 40 मीटर माना गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- संवेदक ने नई आरेखण समर्पित किया जिसमें 15 पायों एवं 19 पायों हेतु आधार कुआँ की गहराई को घटा कर क्रमशः 31.2 मीटर एवं 32.2 मीटर कर दिया गया जिसका कम्पनी ने पुल-निर्माण हेतु, अनुमोदन 13 दिसम्बर 2010 को कर दिया था। आगे, यद्यपि मई 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान पुल का एक नमूना जाँच प्रक्रियाधीन था, कम्पनी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0) रुड़की की जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किए बिना संवेदक द्वारा समर्पित आरेखण को अनुमोदित कर दिया।
- आई0आई0टी0, रुड़की ने 22 दिसम्बर 2010 को यह अनुशंसा किया कि किसी भी परिस्थिति में आधार कुआँ की गहराई को 40 मीटर से नहीं घटाया जाए। तदनुसार, कम्पनी ने संवेदक को आधार कुआँ की गहराई बढ़ाने हेतु निर्देश (अप्रैल 2011) दिया और संवेदक ने कार्य निष्पादित किया।
- संविदा राशि के अतिरिक्त, संवेदक के आरेखण के विरुद्ध कम्पनी ने, आधार कुआँ की गहराई में 31.2 / 32.2 मीटर से 40 मीटर की वृद्धि हेतु, संवेदक को ₹ 4.29 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। यह इंगित करता है कि कम्पनी ने शुरुआत से ही आधार कुआँ की गहराई में घटोत्तरी की लागत परिणाम की जाँच करने में विफल रहा जो न केवल ₹ 4.29 करोड़ की परिहार्य अधिव्यय में फलित हुआ बल्कि संवेदकों को अनुचित-लाभ के विस्तारण में भी फलित हुआ।

कम्पनी आधार कुआँ की गहराई में घटौती करने से लागत परिणाम की जाँच करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप ₹ 4.29 करोड़ का परिहार्य अधिव्यय हुआ

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) की जब कोई कार्य टर्न-की आधार पर निष्पादन किया जाता है, तब निविदा की औपबन्धिक ढाँचा एवं संवेदक द्वारा आरेखण की गई ढाँचा की लागत तुलना नहीं किया जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि आई0आई0टी0 की लम्बित अनुशंसा के विरुद्ध कम्पनी ने संवेदक की कम मात्रा वाली आरेखण का अनुमोदन करने के क्रम में अपनी वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

अनुशंसा

कम्पनी को आई0आई0टी0 इत्यादि द्वारा प्रक्रियाधीन जाँच की पूर्णता के उपरांत ही संवेदक के आरेखण का अनुमोदन करना चाहिए।

मूल्य परिवर्तन के मद में अधि-भुगतान

2.1.18 शिवहर जिला में पिपराहीघाट एवं सीतामढ़ी जिला में मन्दारघाट पर दो पुलों के निर्माण हेतु कम्पनी ने दो कार्यादेश निर्गत किया। अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदा खुलने की तिथि (अर्थात् जनवरी 2009) से 28 दिन पूर्व की तिथि पर विद्यमान लागत तत्वों की मूल्यों को लागत वृद्धि निर्धारण हेतु आधार मूल्य माना जाना था।

कम्पनी ने ₹ 10.60 करोड़ की स्वीकार्य राशि के विरुद्ध ₹ 11.27 करोड़ की लागत वृद्धि विपत्रों का भुगतान संवेदकों को किया।

हमलागों ने प्रेक्षित किया कि अनुबन्ध के प्रावधानों के उल्लंघन में कम्पनी ने फरवरी 2009 को आधार माह मानते हुए ₹ 10.60 करोड़ की स्वीकार्य राशि के विरुद्ध ₹ 11.27 करोड़ की लागत वृद्धि विपत्रों का भुगतान संवेदकों को किया। इसके फलस्वरूप ₹ 67.23 लाख का परिहार्य अधिभुगतान/व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2015) करते हुए कहा कि संवेदक से राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

रुन्नीसैदपुर-कटरा-केवत्सा पथ पुल का विघटन

2.1.19 मुजफ्फरपुर जिला में रुन्नीसैदपुर-कटरा-केवत्सा पथ पर 26.15 किलोमीटर पर एक पुल निर्माण हेतु परामर्शदाता द्वारा कम्पनी को नवम्बर 2011 में आरेखण सहित एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) समर्पित किया गया था। डी0पी0आर0 के अनुसार पुल की लम्बाई 111.84 मीटर, प्रत्येक आधार कुआँ की गहराई 30 मीटर एवं एक आधार कुआँ में चार पाईल होना था। पहुँच-पथ सहित पुल की कुल लागत ₹ 5.94 करोड़ थी।

हमलागों ने प्रेक्षित किया कि:

- उपर्युक्त वर्णित पुल का डी0पी0आर0 का अर्थवान रूप से पुनर्विक्षण (जनवरी 2014) कर दिया गया जिसमें पुल की लम्बाई 111.84 मीटर से घटाकर 99.6 मीटर कर दिया गया जिसमें चार स्पैन 24 मीटर का कर दिया गया एवं आधार कुआँ की गहराई को घटाकर 20 मीटर कर दिया गया था जिसमें एक आधार कुआँ में छः पाईल होना था।
- 27 अगस्त 2014 को एक पॉयर जिस पर ढाँचा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण था नदी में धूंस गया एवं पॉयर का कैप जमीन की तरफ झुक गया। इसके फलस्वरूप पुल का श्रेष्ठ ढाँचा ढह गया एवं धूंसी हुई पॉयर पर झुक गई जिसके कारण यह पुल प्रयोग योग्य नहीं रह गया जैसा कि नीचे दी गई छवि से देखा जा सकता है। निर्माण

पुल का डी0पी0आर0 अर्थवान रूप से पुनरीक्षित कर दिया गया था एवं आधार कुआँ की गहराई को घटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक पॉयर जमीन में धूंस गया। इसके फलस्वरूप पुल का ढाँचा ढह गया जिसके कारण यह उपयोग के लायक नहीं रह गया।

कार्य बीच में ही रोक (अगस्त 2014) दिया गया और कम्पनी स्तर पर इसकी जाँच चल रही है।



मुजफ्फरपुर में रुन्नीसैदपुर-कटरा-केवत्सा पथ पर क्षतिग्रस्त पुल

एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कम्पनी कथित पुल के क्षतिग्रस्त होने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने में विफल रही और डी०पी०आर० में अप्रत्याशित परिवर्तन हेतु अभिलेखों में कोई यथोचित कारण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकी। इसके फलस्वरूप पुल—निर्माण के मद में व्यय की गई ₹ 5.42 करोड़ की राशि न केवल अवरुद्ध पड़ी रही बल्कि जनता को भी यथा विचारित लाभों से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी इस क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत/पुनरुद्धार हेतु अभी तक (सितम्बर 2015) कोई कदम उठाने में विफल रही।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि पूर्व की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कम्पनी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था एवं प्रशासनिक अनुमोदन पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर प्राप्त की गई थी उसी के अनुरूप कार्य निष्पादित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं चूंकि डी०पी०आर० में परिवर्तनों के औचित्य को कम्पनी सिद्ध नहीं कर सकी एवं पॉयर की गहराई में घटोत्तरी पुल के विघटन का एक कारण हो सकता है।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत पुलों का निर्माण

2.1.20 राज्य के विभिन्न गाँवों में नदियों एवं पथों पर अंतराल स्थानों पर पुल निर्माण के माध्यम से ग्रामीण सम्पर्कता प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (एम०एम०एस०एन०वाई०) की शुरुआत (2006–07) की। एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत ₹ 25 लाख से अधिक इकाई मूल्य वाली पुलों का निर्माण कार्य कम्पनी को प्रदान किया गया।

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 1916.50 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त 710 पुलों का निर्माण—कार्य सम्पन्न किया जिसमें 524 पुलों के निर्माण हेतु ₹ 1352.72 करोड़ की कुल प्रशासनिक स्वीकृति 2010–15 के दौरान प्राप्त हुई थी और 186 पुलों के मामलों में ₹ 563.78 करोड़ कुल राशि की प्रशासनिक अनुमोदन अप्रैल 2010 से पूर्व प्राप्त की गई थी। उपर्युक्त वर्णित 710 पुलों में से कम्पनी ने 2010–15 की अवधि के दौरान 540 पुलों का निर्माण कार्य ₹ 1365.09 करोड़ की कुल लागत पर सम्पन्न किया जिसमें से 312 पुलों (58 प्रतिशत) का निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2015 को ₹ 551.41 करोड़ की लागत वाली 170 पुलों का निर्माण पूर्णता की विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन था जिसमें से 61 पुलों के निर्माण कार्य में एक से 84 महीनों का विलम्ब हो गया।

नमूना जाँच में जाँच किए गए कार्य प्रमण्डलों द्वारा एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत पुलों के निर्माण का विवरण नीचे सारणी में दी गई है:

तालिका सं0 : 2.1.4

एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत निर्मित पुलों में समय एवं लागत वृद्धियों को दर्शाने वाली तालिका

क्रम सं0	कार्य-प्रमण्डल का नाम	पूर्ण किए गए पुलों की संख्या	विलम्ब से पूर्ण की गई पुलों की संख्या	विलम्ब का परास (दिनों/महीनों में)	लागत वृद्धि से पूर्ण पुलों की संख्या	लागत-वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	मुजफ्फरपुर	65	18	26 दिनों से 51 महीना	8	2.14
2	सीतामढ़ी	26	17	10 दिनों से 18 महीना	0	0
3	बेतिया	15	11	तीन से 44 महीना	4	0.64
4	नालन्दा	31	18	एक से 12 महीना	5	1.32
5	भागलपुर	52	32	एक से 38 महीना	7	2.04
6	पटना-2	59	45	20 दिनों से 38 महीना	2	1.34
कुल		248	141		26	7.48

स्रोत: कम्पनी से प्राप्त सूचनाएँ

248 पुलों में से 141 पुलों (56.85 प्रतिशत) का निर्माण कार्य 10 दिनों से 51 महीनों के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था। समय वृद्धि के अतिरिक्त 26 पुलों का निर्माण कार्य 7.48 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों में 248 निर्मित पुलों में 141 पुलों (56.85 प्रतिशत) का निर्माण 10 दिनों से 51 महीनों के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था। इन विलम्बों का प्रमुख कारण निविदाओं की अन्तिमीकरण में विलम्ब, भूमि-अधिग्रहण में विलम्ब, संवेदक द्वारा विलम्ब, प्रबन्धन के द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण, इत्यादि था। समय वृद्धि के अतिरिक्त 26 पुलों का निर्माण कार्य 7.48 करोड़ की लागत वृद्धि से सम्पन्न हुआ था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि कुछ अपरिहार्य कारणों मुख्यतः भूमि अधिग्रहण में विलम्ब एवं स्थानीय व्यवधान के कारण पहुँच-पथ को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका।

एम०एम०एस०एन०वाई० मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलों की अर्थवान् त्रुटियों की परिचर्चा निम्नवत् है :

निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

2.1.21 इस प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.1.12 का सन्दर्भ आमंत्रित किया जाता है।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि एम०एम०एस०एन०वाई० शीर्ष के अन्तर्गत नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: प्रमण्डलों द्वारा पूर्ण किए गए 337 पुलों में से 57 एन०आई०टी० के मामलों में निविदाओं का अन्तिमीकरण, निविदा बोलियों की वैधता अवधि की समाप्ति के उपरांत, 10 दिनों से 369 दिनों की विलम्ब की परास से सम्पन्न हुआ था। उपर्युक्त

57 एन०आई०टी० के मामलों में निविदाओं का अन्तिमीकरण दस दिनों से 369 दिनों के विलम्ब की परास से सम्पन्न हुआ

वर्णित 57 एन0आई0टी0 में से 21 एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण 10 से 95 दिनों की अवधि परास के विलम्ब से हुआ था, 33 एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण 101 से 200 दिनों की अवधि के परास के विलम्ब से पूर्ण हुआ था। इसके अतिरिक्त तीन निविदाओं का अन्तिमीकरण 201 दिनों से अधिक अवधि की विलम्ब से पूर्ण हुआ था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में एन0आई0टी0 आमंत्रित किया गया था एवं ससमय प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण, एवं ससमय संवेदकों के अभिलेखों की सत्यापन नहीं होने के कारण, निविदा बोली की वैधता अवधि के अन्तर्गत एन0आई0टी0 का अन्तिमीकरण नहीं हो सका। तथापि, तथ्य यही है कि प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान/प्राप्त करने में विलम्ब के कारण परियोजना में समय एवं लागत-वृद्धि हुई।

भूमि-अधिग्रहण में विलम्ब

2.1.22 इस प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.1.14 का सन्दर्भ आमंत्रित किया जाता है।

इस सन्दर्भ में हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

₹ 2.70 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत दो पुलों के निर्माण-कार्य का परित्याग कर दिया गया

- दो पुलों के निर्माण-कार्य, वस्तुतः भागलपुर जिला में सोनपुर एवं भवानीपुर मण्डल को जोड़ने वाली नाधा नदी के पार पुल एवं पीरपैंती नन्दी गोविन्द पथ में मरगंजधार पर पुल, ₹ 2.70 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण का परित्याग कर दिया गया था।
- एम0एम0एस0एन0वाई0 के अन्तर्गत पूर्ण किए गए 10 पुलों में से, यद्यपि पुल के हिस्से का निर्माण-कार्य ₹ 16.40 करोड़ की लागत पर सम्पन्न हो गया था, तथापि इन पुलों की पहुँच-पथों की पूर्णता में छः से 30 महीनों (**परिशिष्ट – 2.1.6** में निर्दिष्ट) का असाधारण विलम्ब हुआ था।
- चार निर्माणाधीन पुलों के मामलों में यद्यपि पुल के हिस्से का निर्माण-कार्य ₹ 10.57 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था तथापि इन पुलों को जोड़ने वाली पहुँच पथों का निर्माण 13 से 45 महीनों की अवधि (**परिशिष्ट – 2.1.7** में निर्दिष्ट) की समाप्ति के उपरांत भी अभी तक (जून 2015) अपूर्ण था। एक अप्रयुक्त पुल की हालिया छवि निम्नतः प्रदर्शित है :



भागलपुर जिला में लालूचक पर अपूर्ण पुल

16 पुलों पर
₹ 29.67 करोड़ के
लोक निधि का
व्यय न केवल
अवरुद्ध रहा बल्कि
जनता को यथा
विचारित होतों से
भी वंचित होना
पड़ा।

उपरोक्त के फलस्वरूप उल्लेखित 16 पुलों पर ₹ 29.67 करोड़ के लोक निधि का व्यय न केवल अभी तक (जून 2015) तक अवरुद्ध रहा बल्कि जनता को यथाविचारित हितों से भी वंचित होना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि विभिन्न कारणों यथा भूमि-अधिग्रहण में विलम्ब, अन्य विभागों से सहमति में विलम्ब, संवेदकों से हुई चूकें इत्यादि से पहुँच-पथों का निर्माण-कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। जबाब रखीकर्य नहीं है क्योंकि भूमि-अधिग्रहण में गतिरोधों की पहचान हेतु कम्पनी को भूमि उपलब्धता का आकलन आरम्भ में ही कर लेना चाहिए था।

बिना निविदा के कार्य का निष्पादन

कम्पनी ने, सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के लोक निधि का व्यय सतर्कता आयोग का दिनांक जुलाई 2007 का आदेश का सन्दर्भ किया जाए। उल्लंघन में पहुँच-पथ सहित पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 5.36 करोड़ इस सन्दर्भ में हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने उपर्युक्त वर्णित सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के उल्लंघन में पहुँच-पथ सहित पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 5.36 करोड़ का दो कार्यादेश नामांकन आधार पर निगत किया जो सी0भी0सी0 मार्गदर्शिका के अपवाद स्थितियों में नहीं था और इस हेतु कम्पनी ने अभिलेखों में कोई औचित्यों/कारणों को दर्ज नहीं किया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि कम्पनी की व्यावसायिक नियमों के अनुसार, कार्य नामांकन आधार पर प्रदान किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले को इंगित करने पर, यह प्रक्रिया जून 2015 से समाप्त कर दी गई है।

मवनों एवं अन्य ढाँचाओं का निर्माण

2.1.23 ₹ 613.09 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त वर्द्धमान आर्थिकज्ञान संस्थान (वी0आई0एम0एस0), पावापुरी, नालन्दा (बिहार) से सम्बन्धित निर्माण-कार्य कम्पनी द्वारा ₹ 454.09 करोड़ की अनुबन्ध राशि पर संवेदक को प्रदान (जनवरी 2011) किया गया, जिसकी अभिसूचित पूर्णता तिथि जुलाई 2013 थी। कार्य क्षेत्र में विभिन्न भवनों यथा आर्थिक्जान कालेज हेतु भवन, अस्पताल, सभागार, कर्मचारी आवास, अतिथिशाला, इत्यादि का निर्माण कार्य सम्पालित था। काशित परियोजनाओं की जाँच में निम्नलिखित त्रुटियां अधिवर्णित हुई :

- वृद्धि / मूल्य-वृद्धि से सम्बन्धित सविदा की उपवाक्य 11, अन्य बातों के साथ यह प्राक्घानित करती है कि कम्पनी द्वारा समयावधि की वृद्धि प्रदान करने की स्थिति में संवेदक को मूल्यों में वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, कम्पनी ने उपर्युक्त वर्णित उपवाक्य की उल्लंघन में विस्तारित समयावधि हेतु मूल्य वृद्धि प्रदान किया जिसके फलस्वरूप परिहार्य अधिभुतान हुआ एवं संवेदक को ₹ 18.51 करोड़ का अनुचित लाभ भी प्रदान हुआ (दिसम्बर 2014)।

मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित अनुबन्ध उपवाक्य की उपवाक्य 18.51 करोड़ का अधिभुतान का अधिवर्णतान किया गया

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि अधिभुगतान की गई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी आदेशों के उल्लंघन में संवेदक को एफ0ई0—500 स्टील के प्रयोग के लिए ₹ 3.81 करोड़ का परिहार्य अधिभुगतान किया गया

- संवेदक के साथ की गई अनुबन्ध, निर्माण कार्य में टी0एम0टी0 एफ0ई0—415 ग्रेड स्टील के उपयोग को निर्दिष्ट करता था। तथापि, बाजार में टी0एम0टी0 एफ0ई0—415 ग्रेड स्टील की अनुपलब्धता के कारण संवेदक को इस शर्त के साथ टी0एम0टी0 एफ0ई0—500 ग्रेड स्टील के प्रयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई कि वह इस मद में कोई भी अतिरिक्त शुल्क भारित नहीं करेगा। बाद में संवेदक द्वारा टी0एम0टी0 एफ0ई0—500 ग्रेड स्टील के मूल्य के पुनर्रक्षण करने के अनुरोध पर सचिव, आर0सी0डी0 की अध्यक्षता में आहूत बैठक (नवम्बर 2013) में यह निर्णय लिया गया कि संवेदक को टी0एम0टी0 एफ0ई0—500 ग्रेड स्टील की पुनर्रक्षित दर पर संवेदक को भुगतान 01 अगस्त 2013 के प्रभाव से किया जाएगा। तथापि, इसके उल्लंघन में, अगस्त से पूर्व की अवधि का भी भुगतान संवेदक को टी0एम0टी0 एफ0ई0—500 ग्रेड स्टील की पुनर्रक्षित दर के आधार पर किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ का अधि-भुगतान हुआ एवं संवेदक को अनुचित लाभ विस्तार भी प्रदान हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रारम्भ में भवनों के कुछ भाग का आरेखण दोनों ग्रेड अर्थात् एफ0ई0—415 तथा एफ0ई0—500 ग्रेड स्टील के आधार पर हुआ था। अतः एफ0ई0—500 से आरेखण हुए कार्यों हेतु एक अगस्त 2013 से पूर्वावधि में प्रयुक्त एफ0ई0—500 के लिए किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि उस समय की अधिसूची दरों में एफ0ई0—500 विद्यमान नहीं था। इसके अतिरिक्त, समिति ने अगस्त 2013 के प्रभाव से एफ0ई0—500 हेतु भुगतान का निर्णय लिया था। अतः अगस्त 2013 से पूर्वावधि में निष्पादित किए कार्यों में एफ0ई0—500 हेतु किया गया भुगतान समिति की आदेशों के उल्लंघन में था।

अनुशंसा

संवेदक को भुगतान करते समय कम्पनी को सरकारी आदेशों का अनुपालन करना चाहिए।

छात्रावासों का निर्माण

2.1.26 बिहार के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना के अन्तर्गत 38 छात्रावासों (होस्टलों) के निर्माण हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (बी0 एण्ड ई0बी0सी0डब्ल्यू0 डी0), बिहार सरकार ने ₹ 71.06 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान (मार्च 2009) किया तथा इन सभी 38 छात्रावासों का निर्माण-कार्य, कम्पनी को सौंप दिया गया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- 38 छात्रावासों में से मार्च 2015 तक ₹ 15.45 करोड़ की कुल लागत पर केवल सात² छात्रावासों का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया था एवं प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से पाँच वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत भी 25 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण होना शेष था। भूमि अनुपलब्धता के कारण छ:³ छात्रावासों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका था।

² बाँका, जमुई, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, नालंदा एवं शेखपुरा।

³ दरभंगा, लखीसराय, नवादा, शिवहर, सिवान एवं वैशाली।

- नमूना जॉच में जॉच किए गए छ. प्रमणडलों में, सम्बद्ध प्रमणडलों को 17 छात्रावास का निर्माण-कार्य प्रदान किया गया। उक्त 17 छात्रावासों में से केवल चार छात्रावास ही निर्मित किए गए थे एवं ₹ 14.60 करोड़ राशि व्यय करने के उपरांत भी शेष छात्रावासों का निर्माण-कार्य अपूर्ण था (परिषिक्षा - 2.1.8 में निर्दिष्ट)।

- कम्पनी ने 29 छात्रावासों हेतु ₹ 83.23 करोड़ राशि का पुनर्रक्षित प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जिसमें से केवल 14 छात्रावासों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त (जून 2015) हुआ था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि ससमय कार्य पूर्ण न कर पाने का मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता थी और भूमि उपलब्ध होने पर इन कार्यों को शीघ्र सम्पन्न किया जाएगा। प्रबन्धन का जावाब यह सम्पुष्ट करता है कि न तो कम्पनी और न ही सम्बद्ध विभाग स्थलों को पहचान एवं उनको अधिग्रहण में सक्रिय थी जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं में समय एवं लागत बढ़ि दृढ़ी।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्य सम्पादन करने से पूर्व भूमि एवं निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब को टाला जा सके।

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियन्त्रण

- 2.1.27** अनुबन्ध के अनुसार एवं निर्धारित मानकों, विधानों इत्यादि के अनुसार कार्यों की युणवता सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण काफी महत्वपूर्ण है।

हमलोगों ने निम्नलिखित मामलों में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के दृष्टांत प्रेक्षित किए:

पर्यावरकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

- 2.1.28** ₹१००००००० मार्गदर्शिका के अनुसार परामर्शदाताओं को नियुक्ति आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए एवं परामर्शदाताओं को भुगतेय फीस कार्यों की प्रगति से सम्बद्ध होना चाहिए। इस सन्दर्भ में हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- कम्पनी के पास पर्यावरकी परामर्शदाताओं (एस०सी०) की नियुक्ति हेतु कोई नीति नहीं थी। आवश्यकता को बिना ध्यान में रखे पर्यावरकीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति एड-हॉक आधार पर की जा रही थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि कम्पनी ने छ: कार्यों के मामले में (अनुबन्ध राशि ₹ 32.54 करोड़) एस०सी० नियुक्त किया था लेकिन एस०सी० की नियुक्ति निर्माण-कार्य की आरम्भावस्था में नहीं हुई थी एवं इनकी नियुक्ति तक 2.83 प्रतिशत से लेकर 68 प्रतिशत कार्य सम्पादित हो चुका था तथा इनकी नियुक्तियों में आठ महीनों से 30 महीनों तक का विलम्ब था।

- परामर्शदाता शुल्क न तो परियोजना लागत से सम्बद्ध था और न ही कार्यों की प्रगति से और यह परियोजना लागत की 0.70 प्रतिशत से लेकर 5.20 प्रतिशत तक के अन्तर्गत था।

- चैंकी एस०सी० की नियुक्ति उन कार्यों के सम्पादन हेतु की जा रही थी जिसे कम्पनी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था और जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा शतता

शुल्क का भुगतान किया जा रहा था, अतः एस०सी० को भुगतेय शुल्क की प्रतिपूर्ति शतता शुल्क से कर लेनी चाहिए थी तथापि, इसको कार्य-व्यायों में भारित किया जा रहा था।

अतः कार्यों की लगभग समाप्ति के उपरांत एस०सी० की विलम्ब से नियुक्ति से एस०सी० की नियुक्ति के मुख्य उद्देश्य का क्षय हो गया। इसके अतिरिक्त, एस०सी० को भुगतेय शुल्क को कार्य व्यायों के शीर्ष में भारित करने के फलस्वरूप राजकीय कोष को ₹ 32.54 करोड़ की हानि होगी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि कम्पनी बिहार सरकार की सतर्कता विभाग की आदेशों से मार्गदर्शित होती है। तथापि, कम्पनी ने इस दिशा में नीति तैयार करने हेतु सहमति प्रकट की।

सरकारी आदेशों के उल्लंघन में संवेदकों को भुगतान

2.1.29 बिहार सरकार ने कम्पनी को सूचित किया (मई 2009) कि प्रत्येक संवेदक अपनी विपत्रों के साथ फार्म एम० एवं एन० समर्पित करेगा एवं भुगतान करने से पूर्व खदानों से निकली सामग्रियों की खपत का सत्यापन जिला खदान कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने उर्ध्वकृत वर्गित सरकारी आदेशों के उल्लंघन में जिला खदान कार्यालय से फॉर्म एम० एवं एन० विना प्राप्त / सत्यापन किए संवेदक को भुगतान कर दिया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि वैसे मामलों में जहाँ संवेदक ने फॉर्म एम० एवं एन० समर्पित नहीं किया था, कम्पनी ने दुगनी दर पर रॉयल्टी की कटौती की थी एवं यह भी कहा कि संवेदकों के विपत्रों से खदान सामग्रियों को मूल्यों की कटौती करने से कार्य-सम्पादन में गतिरोध उत्पन्न होगी। जवाब स्थीकार्य नहीं है चूंकि दोगनी दर पर रॉयल्टी की कटौती करने से कम्पनी निर्दिष्ट खदानों से प्राप्त सामग्रियों के सत्यापन के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाती है। अतः इस सन्दर्भ में कम्पनी द्वारा सरकारी आदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रिया

2.1.30 कम्पनी के पास निर्माण गतिविधियों के दौरान विभिन्न प्रकार की जाँच करने हेतु एक आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला है। कंक्रीट शक्ति एवं ग्रेडिंग की नियांरण हेतु घनों की नमूनाएं, एग्रीटेस एवं मोटर की जाती हैं। इस सन्दर्भ में हमलोगों ने यह प्रेक्षित किया कि:

- यद्यपि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध कार्य प्रमण्डलों के पास है, तथापि इन कार्य प्रमण्डलों के पास स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण संकंध नहीं था और कार्य प्रमण्डल स्तर पर कोई गुणवत्ता नियंत्रण जाँच नहीं किया जा रहा था।
- स्वतंत्र नमूनों के संग्रहण का गुणवत्ता नियंत्रण न कर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला केवल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों की जाँच कर रही थी।

- ० गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला में स्टील, मोर्टार एवं सीमेंट की रासायनिक विश्लेषण हेतु सुविधाएँ मौजूद नहीं थी
- ० कम्पनी ने तीन पैकेजों यथा पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर पैकेज में एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत पुलों की गुणवत्ता नियन्त्रण जाँच का कार्य बाह्य परामर्शी अभिकरणों को प्रदान किया था। हमलोगों ने भागलपुर पैकेज के मामले में प्रेक्षित किया कि अनुबन्ध दिसम्बर 2012 में ही समाप्त हो गया था एवं नई अनुबन्ध केवल अक्टूबर 2013 में की गई थी जिसके फलस्वरूप नौ महीनों की अवधि के दौरान 85 पुलों का गुणवत्ता नियन्त्रण जाँच नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि इतने अधिक संख्या में परियोजना निर्माण कार्यों को देखते हुए, स्वतंत्र नमूनों का संग्रहण कठिन है। अग्रेतर यह भी कहा गया कि आवश्यक उपकरणों का क्रय प्रक्रियाधीन है। भागलपुर पैकेज के मामले में प्रबन्धन ने कहा कि बाह्य पक्ष गुणवत्ता जाँच के अभाव में गुणवत्ता जाँच यथासंभव कम्पनी की प्रयोगशाला में किया गया था।

अनुशंसा

कम्पनी को अपनी कार्य प्रमण्डलों में पर्याप्त जाँच सुविधाओं का सृजन करना चाहिए एवं प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच हेतु मुख्यालय की गुणवत्ता नियन्त्रण स्कंध द्वारा नमूनों का संग्रहण स्वतंत्र रूप से करना चाहिए।

कार्य लेखाओं का बंदीकरण एवं सम्बन्ध विभागों से समाशोधन

2.1.31 बिहार लोक कार्य विभाग विधान के अनुसार, सभी सम्पूर्ण कार्यों की लेखाओं की बंदी करना चाहिए एवं लेखा-पुस्तिकाओं में समुचित लेखांकन हेतु कार्य-वार निधियों का समाशोधन सम्बद्ध पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग से करना चाहिए। प्रशासनिक अनुमोदन राशि से पड़ी हुई अधिक/अल्प राशियों का लौटा देना अथवा उनकी प्रतिपूर्ति हेतु दावा करना चाहिए।

पूर्ण परियोजनाओं की लेखाओं की बंदी नहीं होने के कारण कम्पनी की वार्षिक लेखाओं में ₹ 11158.91 करोड़ की राशि बिहार सरकार से प्राप्त राशि के रूप में अधिदर्शित हुआ

नमूना जाँच में जाँच किए गए छ: कार्य प्रमण्डलों में हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि 2010–15 की दौरान पूर्ण किए गए 329 परियोजनाओं में 284 परियोजनाएँ ₹ 153.63 करोड़ की लागत-बचत के साथ सम्पूर्ण हुई थी जबकि 43 पुलों के मामलों में प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक कुल ₹ 43.67 करोड़ की राशि का व्यय हुआ था। तथापि, कम्पनी द्वारा लेखाओं की बंदी एवं इन राशियों का समाशोधन सम्बद्ध विभागों से नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप वर्ष 2014–15 (औपबन्धिक) की कम्पनी की वार्षिक लेखाओं में ₹ 11158.91 करोड़ की राशि बिहार सरकार से प्राप्त राशि के रूप में अधिदर्शित हुआ जिसमें पूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित निधियाँ भी सम्मिलित थीं।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2015) कि एम०एम०एस०एन०वाई० के अन्तर्गत निर्मित पुलों के मामलों में बचत एवं अधिव्यय का समायोजन आगामी वर्ष में किया जाता है। अन्य शीर्षों के अन्तर्गत पुलों के मामलों में प्रबन्धन ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए कदमों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रबन्धन का जवाब सम्पूर्ण परियोजनाओं के मामलों में सम्बद्ध विभागों से प्राप्त निधियों के मद में लेखाओं की समाशोधन नहीं करने की मुद्दों पर कोई सटीक प्रतिक्रिया नहीं प्रस्तुत कर सका।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.32 कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति नितव्ययी, दक्षाई एवं समुचित तरीकों से प्राप्त की जा रही है का समुचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का एक आवश्यक तन्त्र है।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त सनदी लेखाकारों (सी0ए0) की संस्थाएँ केवल लेखाओं के समेकीकरण का प्रमाणन एवं बैंक खाताओं का समांशोधन कर रही थी एवं इसमें कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुटूड़ करने हेतु कोई भी तकनीकी/औचित्य लेखापरीक्षा का समावेश नहीं था।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में आन्तरिक नियन्त्रण स्कंध आरम्भ करने की बात स्वीकार की।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

- बिना अनुबन्ध किए 70 परियोजनाओं के निष्पादन के मामलों में कम्पनी को ₹ 12.66 करोड़ की शतता शुल्क की हानि से बचायी होना पड़ा एवं एक पुल की पुनर्संक्षित प्राक्फलन पर ₹ 16.49 करोड़ की शतता शुल्क का दावा भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका।

कम्पनी द्वारा किए गए अनुबन्धों में अपनी शतता शुल्क के हिस्सों की दावा करने हेतु सतर्क रहना चाहिए।

- विभिन्न शीर्षों एवं एम0एम0एस0एन0वाई0 के अन्तर्गत निष्पादित की गई परियोजनाएँ त्रुटिपूर्ण था जिसके फलस्वरूप निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब एवं संवेदकों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब घटित हुआ। निविदाओं का अन्तिमीकरण विलम्ब से हुआ था, ₹ 132.28 करोड़ राशि की कुल 10 कार्यादिश बिना निविदा आमंत्रित किए निर्गत की गई थी। चार अपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य का परित्याग ₹ 44.83 करोड़ की राशि व्यय करने के उपरांत कर दिया गया था।

- पुलों एवं भवनों का निर्माण, संवेदकों को ₹ 9.91 करोड़ का अधिभुगतान, संवेदकों को ₹ 3.81 करोड़ की राशि का परिहार्य भुगतान, आधार कुओं की गहराई की वृद्धि की मद में ₹ 4.29 करोड़ का अविवेकपूर्ण भुगतान एवं संवेदकों को ₹ 18.51 करोड़ की अनुचित लाभ से ग्रसित था। संवेदकों को भुगतान करते समय सरकारी आदेशों एवं अनुबन्ध उपावधियों का अनुपालन होना चाहिए।

- पर्यावेक्षी परमर्शदाताओं की नियुक्ति, गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धति, सम्पूर्ण परियोजनाओं की लेखाओं की बन्दी एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के सम्बन्ध में कम्पनी का अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियन्त्रण त्रुटिपूर्ण था। कार्य प्रमण्डलों में पर्याप्त गुणवत्ता जौच सुविधाओं का सूजन भी करना चाहिए एवं प्रयोग में लाई जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच हेतु मुख्यालय की गुणवत्ता नियन्त्रण स्कंध को रखतंत्र रूप से नमूनाओं का संग्रहण करना चाहिए।

अध्याय - II

**2.2. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास
निगम लिमिटेड की संरचनात्मक
गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

2.2 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

भारत सरकार एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत विकास योजनाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति सीवरेज और सीवेज नेटवर्क, सड़क और जल निकासी एवं रीभर फ्रंट विकास आदि से संबंधित शहरी आधारभूत परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा उनमें तेजी लाने के मुख्य उद्देश्य से पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 16 जून 2009 को किया गया। कम्पनी को भारत सरकार की योजनाओं जैसे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०य०आर०एम०) के अन्तर्गत आवंटित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

वित्तीय प्रबन्धन

- कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक की अवधि में कुल ₹ 940.30 करोड़ की राशि प्राप्त किया। उपर्युक्त अवधि में निधि की उपयोगिता मात्र 1.03 प्रतिशत से 42.13 प्रतिशत के बीच रही। निधि की अल्प उपयोगिता का मुख्य कारण प्रारंभिक वर्षों में कम्पनी की अल्प गतिविधि, परियोजनाओं का धीमी गति से निष्पादन और निविदा का निरस्तीकरण था।

(कंडिका 2.2.6)

- दानापुर जलापूर्ति परियोजना में, मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरुद्ध दिए गए बैंक गारंटी की वैधता अवधि को नवीनीकरण कराने में कम्पनी असफल रही और निविदा को निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ की मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.2.9)

जे०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- संवेदक द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना, पटना जलापूर्ति परियोजना और दानापुर जलापूर्ति परियोजना की संविदा निरस्त कर दी गयी। एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य के शेष भाग को दूसरे संवेदक को आवंटित नहीं किए जाने के कारण ₹ 77.70 करोड़ की निधि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त इस योजना से मिलने वाले अभीष्ट लाभ से राज्य को वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 2.2.13, 2.2.14 एवं 2.2.15)

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पोषित परियोजनाएँ

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में कम्पनी ने ₹ 441.86 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति (ए०ए०) के साथ बक्सर, हाजीपुर, बेगुसराय और मुंगेर में सीवरेज प्रणाली ओर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की चार परियोजनाएँ शुरू की जिसकी पूर्ण होने की नियत तिथि दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच थी। संवेदक को कार्य देर से आवंटित किए जाने, जमीन की अनुपलब्धता और संवेदकों द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं/धीमे किए

जाने के कारण कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि से 16 से 19 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद जुलाई 2015 तक परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति मात्र 1.57 प्रतिशत से 18.14 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.2.18)

राज्य पोषित योजनाएँ

कम्पनी द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में ₹ 270.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के 12 निर्माण परियोजनाएँ शुरू की गई जिसमें मात्र पाँच परियोजनाएँ दो से 18 महीनों की देरी से पूर्ण की गई (जुलाई 2015)। सात परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था। जुलाई 2015 को निर्धारित तिथि से 9 से 26 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद इन परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति मात्र 7.45 प्रतिशत से 73.08 प्रतिशत थी। विलम्ब का कारण कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण डी०पी०आर० तैयार किया जाना तथा संवेदक को विलम्ब से कार्य आवंटित किया जाना था।

(कंडिका 2.2.20)

अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण

- कम्पनी निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार के भुगतान को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध करने में विफल रही, परिणामतः ₹ 9.53 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.22)

परिचय

2.2.1 बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में 16 जुन 2009 को निगमित की गई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य अपने प्रशासनिक विभाग अर्थात् शहरी विकास एवं आवास विभाग (श०वि० एवं आ०वि०), बिहार सरकार द्वारा आवंटित शहरी आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा उनमें तेजी लाना है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में विभिन्न आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाएँ यथा जलापूर्ति परियोजनाएँ, सीधरेज और सीधेज नेटवर्क परियोजनाएँ, सड़क और जल निकासी परियोजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाएँ, शहरी परिवहन परियोजनाएँ, शहरी पार्क परियोजनाएँ, रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट परियोजनाएँ इत्यादि जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ यथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०यू०आर०एम०), राष्ट्रीय गंगा नदी वेसिन प्राधिकरण (एन०जी०आर०बी०ए०) तथा एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) के साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं अन्तर्गत सम्मिलित थी; की शुरुआत की गई।

परियोजनाएँ शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा कम्पनी को निक्षेप कार्य के रूप में अर्थात् अनुसूचित लागत एवं सेन्टरेज (₹ 250 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं पर आठ प्रतिशत तथा ₹ 250 करोड़ से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं पर सात प्रतिशत) तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लागत का एक प्रतिशत आकस्मिक व्यय हेतु साँपी जाती है। निक्षेप कार्यों का कार्यान्वयन निविदा द्वारा या तो मद-दर आधार या बिल मात्रा की दर या टर्न-की आधार पर किए जाते हैं। कम्पनी ने निगमित किए जाने से अबतक मात्र निक्षेप कार्य का ही क्रियान्वयन किया है और खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा कोई निविदा प्राप्त नहीं किया है।

परियोजना का कार्यान्वयन श०वि० एवं आ०वि० द्वारा कार्य आवंटन के बाद शुरू होती है। शहरी स्थानीय निकाय कार्य निष्पादन के लिए कम्पनी व संवेदक के साथ

त्रि-पक्षीय समझौते के एक पक्ष के रूप में कार्य के निष्पादन में कम्पनी को सहायता तथा सुविधा प्रदान करते हैं। इस तरह से निर्मित परिसम्पत्ति संचालन और रख-रखाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सौप दिया जाता है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) या तो श०वि० एवं आ०वि० या कम्पनी द्वारा तैयार किया जाता है। डी०पी०आर० की समीक्षा करने के बाद कम्पनी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करती है जो निविदा आमंत्रण सूचना का आधार बनती है।

वर्षावार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्पनी को आवंटित परियोजनाएँ व तदनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति का विवरण नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है :

तालिका सं० : 2.2.1

(₹ करोड़ में)

योजनाएँ	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
ज०ए०न०य०आर०ए०	427.92 (10)	427.00 (1)	-	-	-	-	854.92 (11)
ए०न०जी०आर०वी०ए०	-	441.97 (4)	-	-	-	-	441.97 (4)
राज्य पोषित	229.08 (4)	-	0.80 (1)	13.79 (3)	-	26.69 (4)	270.36 (12)
कुल	657.00 (14)	868.97 (5)	0.80 (1)	13.79 (3)	-	26.69 (4)	1567.25 (27)

स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ।

कोष्ठ में दिए गए आँकड़े परियोजनाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है।

कम्पनी अप्रैल 2009 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 1567.25 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति (ए०ए०) के कुल 27 मुख्य निर्माण परियोजनाएँ प्राप्त की जिनमें 10 परियोजनाएँ (₹ 335.92 करोड़ की ए०ए०) पूर्ण किए गए तथा शेष 17 परियोजनाएँ (₹ 1231.33 करोड़ की ए०ए०) अपूर्ण थे (जुलाई 2015)। इन परियोजनाओं के विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 2.2.1** में दिये गये हैं। इस अवधि में कम्पनी ने ₹ 940.30 करोड़ की राशि श०वि० एवं आ०वि० से प्राप्त किया जिसमें मात्र ₹ 564.79 करोड़ की राशि (60.06 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

कम्पनी द्वारा सिर्फ वर्ष 2013–14 तक के लेखे पूर्ण किए गए थे और वर्ष 2014–15 के आँकड़े औपबंधिक थे। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में कम्पनी द्वारा उत्तरोत्तर लाभ दर्ज किया गया जो वर्ष 2010–11 में ₹ 31 लाख से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 8.78 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2014–15 में लाभ घटकर ₹ 5.57 करोड़ हो गया।

कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मंडल (बोर्ड) में निहित है जिसमें अध्यक्ष सहित ग्यारह निदेशक हैं। विकास आयुक्त, बिहार सरकार बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो बोर्ड के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कम्पनी की दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं। कम्पनी के संगठनात्मक ढाँचा को **परिशिष्ट – 2.2.2** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.2.2 कम्पनी की निर्माण कार्यविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2015 से जून 2015 के दौरान वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए किया गया। कम्पनी के मुख्यालय तथा इसके सभी आठ परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (ए०स०आई०य०) द्वारा संधारित अभिलेखों का चयन किया गया एवं उसकी जाँच की गई।

सरकार तथा प्रबन्धन को निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराने के लिए प्रवेश सम्मेलन 13 मार्च 2015 को आहूत किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार तथा प्रबन्धन को प्रतिवेदित की गई (जुलाई 2015) तथा इन पर चर्चा, 30 सितम्बर 2015 को आयोजित समापन सम्मेलन में किया गया जिसमें प्रधान सचिव, श0वि0 एवं आठविं, बिहार सरकार तथा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया। निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय सरकार तथा प्रबन्धन द्वारा व्यक्त विचारों को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- कम्पनी ने पर्याप्त रूप से अपने वित्तीय हितों की रक्षा की तथा विवेकपूर्ण तरीकों से अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया;
- विभिन्न आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शुरू करने से पूर्व उचित योजना बनाई गई थी और उनका भितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनुचित विलम्ब या लागत वृद्धि नहीं हुई; तथा
- कम्पनी में प्रचलित अनुश्रवण तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निम्नांकित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाए गए थे :

- भारत सरकार / बिहार सरकार, केन्द्रीय सरकर्ता आयोग (सी0भी0सी0) तथा प्रबन्धन द्वारा योजना क्रियान्वयन एवं परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित निर्देश;
- भारत सरकार / बिहार सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देश;
- बोर्ड के संकल्प और अन्य संबंधित नियमें और विनियमें;
- निष्पादन, पर्यवेक्षण और परियोजना कार्यों की निगरानी के लिए कम्पनी की योजना; तथा
- बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता और बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधान।

लेखापरीक्षा परिणाम

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.2.5 वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम परिशिष्ट – 2.2.3 में उल्लेखित हैं।

कम्पनी के वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम के अवलोकन से पता चला कि :

- कम्पनी का शुद्ध सम्पत्ति वर्ष 2010–11 में ₹ 5.27 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 27.62 करोड़ हो गई, जो कम्पनी के अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य का संकेतक था।
- कम्पनी का कुल टर्न–ओवर वर्ष 2010–11 में ₹ 2.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 209.05 करोड़ हो गया जो कम्पनी की गतिविधियों में वृद्धि के कारण हुआ था।

निधि की स्थिति

2.2.6 कम्पनी सुपुर्द किए गए संरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए श0वि0 एवं आ0वि0 से निधि प्राप्त करता है। वर्ष 2009–10 से 2014–15 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए श0वि0 एवं आ0वि0 से ₹ 940.30 करोड़ की निधि प्राप्त किया (परिशिष्ट – 2.2.4)। वर्ष–वार उपलब्ध निधि एवं उसके उपयोग की विस्तृत विवरणी तालिका 2.2.2 में दर्शायी गई है।

तालिका सं0 : 2.2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त निधि	उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	अंतिम शेष	उपयोगिता प्रतिशत में
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5	7=5/4*100
2009–10	0	101.00	101.00	0.05	100.95	0.05
2010–11	100.95	55.76	156.71	1.61	155.10	1.03
2011–12	155.10	166.12	321.22	6.29	314.93	1.96
2012–13	314.93	113.37	428.30	136.30	292.00	31.82
2013–14	292.00	255.60	547.60	230.71	316.89	42.13
2014–15	316.89	248.45	565.34	189.83	375.51	33.58

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि उपलब्ध निधि की उपयोगिता वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में 1.03 प्रतिशत से 42.13 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि में अंतिम शेष ₹ 155.10 करोड़ से ₹ 375.51 करोड़ के बीच थी। निधि के अल्प उपयोग के मुख्य कारणों में प्रारंभिक वर्षों में कम्पनी की अल्प गतिविधि, धीमी गति से निष्पादन और संविदा का निरस्तीकरण था।

अनुशंसा

कम्पनी को समय पर परियोजनाओं को कार्यान्वयन करके तथा अवरोधों को हटाते हुए निधि की उपयोगिता में सुधार लाना चाहिए।

निधि प्रबन्धन से संबंधित दूसरे महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे वर्णित है :

परियोजना निधि से परे कार्यों का निष्पादन

2.2.7 हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने 12 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 143.97 करोड़ की निधि प्राप्त की जिसके विरुद्ध इसने ₹ 157.45 करोड़ का व्यय किया। ₹ 13.48 करोड़ के अतिकित व्यय की पूर्ति अन्य परियोजना निधि (₹ 9.00 करोड़), परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज (₹ 3.67 करोड़) एवं स्वयं के स्रोतों (₹ 81 लाख) से की गई थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए प्रबन्धन ने कहा (अकट्टूर 2015) कि वेर्सी परियोजनाएँ जो पूर्णता के अंतिम चरण में थीं, को पूर्ण करने के लिए निधियों का उपयोग किया गया। जब भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित निधि के विचलन से उन परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधाएँ हो सकती हैं।

अनुशासा

अन्य खोतों के निधि से संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के उदाहरण से बचने के लिए कम्पनी को निधि के समस्य उपलब्ध हेतु योजना बनाने की आवश्यकता है।

मोबलाइजेशन अग्रिम स्वीकृति में अनियमितता

ब्याज देय
मोबलाइजेशन
अग्रिम प्रदान करने के लिए एक समान दर के अभाव के कारण कम्पनी ने संवेदक को ₹ 3.21 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया

2.2.8 कम्पनी ने ब्याज देय मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए एक समान दर निर्धारित नहीं किया। एक ही समय आवंटित अलग—अलग कार्यों के लिए ब्याज दरें भिन्न-भिन्न थीं। हमने प्रेक्षित किया कि बोध गया सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट (एस0टीपी0) के संवेदक के साथ अनुबन्ध (दिसम्बर 2011) के अन्तर्गत उसे एस0बी0आई0 मानकों के अनुसार 14.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर मोबलाइजेशन अग्रिम दिया गया था जबकि दूसरी अन्य नो परियोजनाओं में संवेदक को 10 प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम भुगतान किया गया था। इस प्रकार संवेदक से वस्तुल की जाने वाली ब्याज की एक समान दर को निर्धारित करने में विफल रहने के कारण कम्पनी ने संवेदक को ₹ 3.21 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए कहा (अकट्टूर 2015) कि कम्पनी एस0बी0आई0 दर पर मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज वस्तुलना आंखं कर चुकी है।

2.2.9 केन्द्रीय सरकार आयोग (सी0भी0सी0) द्वारा मोबलाइजेशन अग्रिम (एम0ए0) के संबंध में जारी दिशा-निर्देश (अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2011) अन्य बातों के साथ, यह निर्दिष्ट करती थी कि एम0ए0 अनिवार्यतः आवश्यकता आधारित होना चाहिए और अधिमानतः किस्तों में दिया जाना चाहिए तथा उत्तरवर्ती किस्तों पहले जारी किस्तों के संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण-पत्र संवेदक से प्राप्त होने के बाद ही निगत की जानी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित अनियमिताएँ पायी गयीः

- सीवरेज प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट, बक्सर के मामले में कम्पनी ने सी0भी0सी0 दिशा-निर्देशों (अकट्टूर 2012) के उल्लंघन में ₹ 5.20 करोड़ (संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) का एम0ए0 केवल एक ही किस्त में जारी किया।

तथ्य और आँकड़ों को स्वीकारते हुए प्रबन्धन ने कहा कि (अकट्टूर 2015) लेखापरीक्षा के सुझाव का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- बक्सर, राजगीर और बोधगया सीवरेज प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट के मामले में कम्पनी ने संवेदक को ₹ 99.60 लाख का मोबलाइजेशन अग्रिम परियोजना के संचालन और रख-रखाव (ओ0 एण्ड एम0) के घटक के लिए प्रदान किया, यद्यपि कार्य प्रगति में था, और संचालन एवं रख-रखाव परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद किया जाना था।

प्रबन्धन ने कहा (अकट्टूर 2015) कि एम0ए0 संवेदक को संविदा के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है। जब भी संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अग्रिम संचालन एवं रख-रखाव

घटक के विरुद्ध निर्गत किया गया था जो कि अनावश्यक था एवं सी0भी0सी० दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था।

- दो परियोजनाओं के मामले ₹ 761 करोड़ का एम0ए० [जलापूर्ति प्रणाली, मुजफ्फरपुर : ₹ 5.90 करोड़, सीवरेज प्रणाली, बेगूसराय : ₹ 1.71 करोड़ (एस0टी०पी० तथा आई०पी०एस० के लिए)] जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि जमीन की अनुपलब्धता की जानकारी संवेदक को मोबाइलजेशन अग्रिम निर्गत किए जाने के बाद हुई। जवाब से स्वतः स्पष्ट है कि संवेदक को मोबाइलजेशन अग्रिम इस संबंध में उचित ध्यान दिए बिना दिया गया था।

- दानापुर जलापूर्ति परियोजना के मामले में बैंक गारंटी, जो 20 अक्टूबर 2013 तक वैध था, के विरुद्ध ₹ 7.02 करोड़ का व्याप्रमुक्त मोबाइलजेशन अग्रिम संवेदक को जारी किया गया। हमने पाया कि संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण सविदा निरस्त कर दी गई(जुलाई 2014)। इसके अलावा, कम्पनी मोबाइलजेशन अग्रिम के विरुद्ध जमा बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराने में विफल रही। फलस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ (बकाया मोबाइलजेशन अग्रिम ₹ 5.84 करोड़ + नोर्मी चलन्त विपत्र से 538 दिनों के लिए 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज ₹ 0.86 करोड़) की मोबाइलजेशन अग्रिम की वसूली नहीं की जा सकी।

कम्पनी बैंक
गारंटी का
नवीनीकरण कराने
में विफल रहा
जिसके फलस्वरूप
₹ 6.70 करोड़ की
वसूली नहीं हो
सकी

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई और अक्टूबर 2015) कि मासिक भौतिक सत्यापन प्रणाली अब लागू की जा रही है और संवेदक को काली सूखी में डाला जा चुका है तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए कम्पनी को निर्देश जारी किया जा चुका है।

अनुशंसा

कम्पनी को सी0भी0सी० दिशा-निर्देशों के अनुसार मोबाइलजेशन अग्रिम स्वीकृत करने में उचित सावधानी रखने की आवश्यकता है।

आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन

2.2.10 कम्पनी श0वि�0 एवं आ0वि�0 द्वारा आवंटित आधारभूत विकास कार्यों को निष्पादित करती है। किसी आधारभूत संरचनात्मक परियोजना के निष्पादन के लिए उचित और प्रभावी योजना आवश्यक है। किसी परियोजना को समस्य पूर्ण करने के लिए एक निष्पादन योजना जो इसके विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के समय सूची निर्दिष्ट करती हो, निर्धारित की जानी चाहिए। योजना के परिक्षेत्र में सही तथा यथार्थवादी डीपीआर की तेजारी, स्थल निरीक्षण पर आधारित डिजाइन एवं आकलन, यथार्थवादी परिमाण विपत्र की तेजारी, अपेक्षित भूमि का आकलन एवं उपलब्धता और परियोजना के निष्पादन के लिए पर्याप्त निधि की सुनिश्चितता शामिल है। तत्पश्चात् स्थल की स्थिति के अनुलूप तकनीकी स्थीकृति, निविदा का आमंत्रण और कार्य का आवंटन या तो मदवार दर के आधार पर या परिमाण विपत्र या टर्नकी आधार पर दिए जाते हैं।

परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पाई गई कमियों का आगे की कांडिकाओं में वर्णन किया गया है:

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०य०आर०एम०)

2.2.11 भारत सरकार ने शहरी आधारभूत संरचनात्मक विकास को आर्थिक रूप से स्थाई तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०य०आर०एम०) आरम्भ किया (2005–06)। जे०एन०य०आर०एम० दो उप योजनाएँ से बना है, शहरी आधारभूत संरचना एवं प्रशासन (य०आई०जी०) तथा लघु ओर मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना (य०आई०डी०एस०एस०एम०टी०)। य०आई०जी० योजना में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार, 20 प्रतिशत बिहार सरकार तथा शेष 30 प्रतिशत स्थानीय शहरी निकायों (य०एल०वी०) द्वारा वहन किया जाना था। उसी तरह य०आई०डी०एस०एस०एम०टी० की योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना लागत का 80 प्रतिशत भारत सरकार, 10 प्रतिशत बिहार सरकार तथा शेष 10 प्रतिशत नोडल / क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाना था।

कम्पनी ने 11 में से पाँच परियोजनाओं को 14 से 24 महीने के विलम्ब से पूर्ण किया

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा ₹ 854.92 करोड़ के ए०ए० वाले 11¹ परियोजनाओं को लिया गया जिसमें पाँच परियोजनाएँ को ₹ 60.48 करोड़ की लागत के साथ 14 से 24 महीने के विलम्ब से पूर्ण किया गया। इसके अलावा शेष छः परियोजनाएँ जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 748.88 करोड़ की थी, का कार्य प्रगति में था जिसपर ₹ 168.76 करोड़ व्यय किए जा चुके थे (जुलाई 2015)। इन परियोजनाओं में पहले ही 13 से 28 महीने का विलम्ब हो चुका था तथा प्रगति 10.91 प्रतिशत से 63.80 प्रतिशत के परास में था (परिशिष्ट – 2.2.1)।

विभिन्न परियोजनाओं के धीमा कार्यान्वयन का मुख्य कारण डी०पी०आर० को वाहय स्रोतों से तैयार कराना तथा कार्य समाप्ति की अवधि सुनिश्चित किए बिना अन्य निविदा पूर्व क्रियाकलाप और परिणामतः संवेदक को कार्य आवंटन में विलम्ब, भूमि/स्थल उपलब्धता के बिना कार्य का आवंटन किया जाना, स्थल में परिवर्तन, डिजाईन में परिवर्तन इत्यादि है।

परियोजना-वार लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है:

नरकटियागंज तथा रोसड़ा में सड़क एवं ड्रेनेज परियोजनाएँ

2.2.12 नरकटियागंज एवं रोसड़ा में ड्रेनेज के साथ सड़क परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा जे०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 47.13 करोड़ तथा ₹ 29.21 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। इन परियोजनाएँ को शा०वी० एवं आ०पी०, बिहार सरकार द्वारा कम्पनी को दिसम्बर 2009 में दी गई। उपर्युक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ए०आई०टी० नवम्बर 2011 में प्रकाशित की गई। मार्च 2012 में कार्य संवेदकों को क्रमशः ₹ 33.85 करोड़ तथा ₹ 23.74 करोड़ की लागत पर आवंटित किया गया जिसकी कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि दिसम्बर 2012 थी। उपर्युक्त कार्य क्रमशः 14 तथा 17 माह के विलम्ब से फरवरी 2014 तथा मई 2014 में ₹ 24.71 करोड़ तथा ₹ 22.16 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया। विलम्ब के कारण डिजाईन में परिवर्तन तथा बाधा मुक्त पूर्ण स्थल की सुपूर्दगी नहीं होना था।

¹ य०आई०जी० की पाँच परियोजनाएँ तथा य०आई०डी०एस०एस०एम०टी० के छः परियोजनाएँ।

अवास्तविक प्राक्कलन के कारण, कार्य से असम्बन्धित मदें भी प्राक्कलन में शामिल था

हमने आगे प्रेक्षित किया कि :

- प्राक्कलन यर्थाथवादी नहीं थे और यह डी०पी०आर० की जाँच तथा स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना तैयार किया गया था जिसके फलस्वरूप कार्य से असंबंधित मदें जैसे छत, बालकोनी, छज्जा, लिनटेल, इत्यादि का निर्माण जिसकी लागत ₹ 4.78 करोड़ थी, सड़क तथा इंगेज निर्माण कार्य के प्राक्कलन में शामिल था।
- चूंकि प्राक्कलन उचित सावधानी के साथ तैयार नहीं किया गया था, प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक कार्य में बहुत विचलन पाया गया। यह देखा गया कि 24 मदों के मामले में वास्तविक कार्य की मात्रा परिमाण विपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से 4.39 से 99.56 प्रतिशत कम था (नरकटियांगंज – ₹ 16.31 करोड़, रोसड़ा – ₹ 8.61 करोड़) और आठ मदों के मामले में कार्य की मात्रा 148 से 1151 प्रतिशत तक बढ़ गया (नरकटियांगंज – ₹ 4.64 करोड़ तथा रोसड़ा – ₹ 13.90 करोड़)। 17 मदों से संबंधित कार्य जिसकी लागत ₹ 6.64 करोड़ (नरकटियांगंज – ₹ 3.45 करोड़ तथा रोसड़ा – ₹ 3.19 करोड़) थी बिलकुल नहीं कराई गई। इसके अलावा परियोजनाएँ कुल आवंटित लागत ₹ 66.35 करोड़ के विरुद्ध ₹ 46.87 करोड़ (75.52 प्रतिशत) की लागत से पूर्ण कर दिए गए।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि श०वि० एवं आ०वि० द्वारा उपलब्ध कराए गए डी०पी०आर० पर निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। प्रबन्धन के जवाब से स्वतः स्पष्ट है कि प्राक्कलन उचित सावधानी, स्थल सर्वेक्षण तथा डी०पी०आर० की जाँच किए बिना तैयार किया गया था। इसके अलावा सरकार ने कम्पनी को निर्देश दिया (अक्टूबर 2015) कि परियोजनाओं तथा स्थलों के चयन के उपरान्त ही डी०पी०आर को अन्तिम रूप दिया जाए।

अनुशंसा

कम्पनी को सही तथा यर्थाथवादी प्राक्कलन तैयार करने के लिए स्थल का वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता है।

मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना

2.2.13 मुजफ्फरपुर जिले में 24x7 जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से जे०एन०य०आर०एम० (यु०आई०डी०एस०एस०एम०टी०) के तहत मुजफ्फरपुर के जलापूर्ति प्रणाली के विस्तार तथा सुधार के कार्य का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा फरवरी 2009 में किया गया था। कथित कार्य श०वि० एवं आ०वि० द्वारा कम्पनी को दिसम्बर 2009 में सौंपा गया।

कम्पनी ने ₹ 69.88 करोड़ के अनुमानित लागत पर परियोजना के निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रित किया (जुलाई 2011)। कार्य एल०-१ निविदाकार को ₹ 59.31 करोड़ की अनुमानित लागत पर आवंटित किया गया (दिसम्बर 2011) जिसके पूर्ण होने की नियत अवधि जून 2014 तक थी। चूंकि कार्य की प्रगति काफी धीमी थी और संवेदक द्वारा जून 2014 तक मात्र ₹ 8.56 करोड़ (अर्थात् आवंटित लागत का 14.43 प्रतिशत) का कार्य ही सम्पन्न कराया गया था, कम्पनी द्वारा अंततः निविदा निरस्त कर दी गई (जून 2014) तथा निविदा निरस्तीकरण के 15 माह (सितम्बर 2015) व्यतीत हो जाने के बाद भी परियोजना के अपूर्ण भाग को दूसरे संवेदक को आवंटित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 8.56 करोड़ की निधि अवरुद्ध रही बल्कि एक वर्ष से अधिक का समय अधिव्यय हुआ।

हमने आगे प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी ने भूमि प्राप्त किए बिना निविदा को अंतिम रूप दे दिया था तथा दस स्थलों में से सात स्थलों 5 से 12 महीने की विलम्ब से संवेदक को सूब्द किए गए जिसके कारण परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि भविष्य में ई0पी0आर० को अनुमोदित करने के पूर्व भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

- संविदा के शर्तों की कांडिका 43 के अनुसार यदि संवेदक समय तालिका के अनुपालन में विफल होता है, विलम्ब की अवधि के लिए संविदा लागत का 0.10 प्रतिशत प्रति दिन की दर से निर्धारित दण्डराशि (एल0डी0) संवेदक के भुगतान से वसूल किया जाएगा। फिर भी संवेदक से निर्धारित दण्डराशि ₹ 3.68 करोड़ संवेदक के अनुरोध पर कम्पनी के वित्तीय हितों की उपेक्षा करते हुए वापस कर दी गयी (सितम्बर 2013)। फलतः संवेदक को अदेय लाभ पहुँचाया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि ₹ 3.68 करोड़ की निर्धारित दण्डराशि, निष्पादन गारंटी के नगदीकरण, प्रतिमूलि जमा तथा चलते विपत्रों से वसूल किया गया। संविदा निरस्तीकरण के समय निष्पादन गारंटी पुनः जब्त कर लिया गया। जबाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित दण्डराशि की कटौती अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के कारण संवेदक को दण्डित करने के लिए होता है तथा निष्पादन गारंटी का जब्तीकरण संवेदक द्वारा कार्य नहीं किए जाने तथा परिणामस्वरूप संविदा समाप्ति के लिए किया जाना था। इसके अलावा निर्धारित दण्डराशि की वापसी संविदा के प्रावधानों के विपरीत भी था।

- य०आई०डी०एस०एस०टी० की प्रभावी अवधि मार्च 2014 तक बढ़ा दी गयी थी। उपर्युक्त कार्य के लिए ₹ 49.36 करोड़ भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया था (अगस्त 2008)। यूंकि कम्पनी इस परियोजना को योजना की प्रभावी अवधि के भीतर पूर्ण करने में विफल रही, ₹ 29.62 करोड़² का अनुदान भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया गया।

इस प्रकार त्रिटीपूर्ण योजना, कार्य की धीमी गति से निष्पादन और परिणामी योजना के परित्यक्त किए जाने के कारण इस परियोजना के परिकल्पित लाभ से राज्य को वंचित रहना पड़ा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि उनके पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक विशेषज्ञता नहीं उपलब्ध होने के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुई।

² ₹ 98.72 करोड़ का 80 प्रतिशत = ₹ 78.98 करोड़ – ₹ 49.36 करोड़ = ₹ 29.62 करोड़

पटना जलापूर्ति परियोजना

शेष कार्य नये संवेदक को आवंटित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 59.90 करोड़ अवरुद्ध हुआ

2.2.14 कंडिका सं0 2.2.13 का संदर्भ उद्धृत है। इसी के अनुरूप, पटना जलापूर्ति परियोजना का कार्य ₹ 426.98 करोड़ की अनुमानित लागत पर ₹ 59.90 (अगस्त 2010) द्वारा कम्पनी को सौंपा गया था। कम्पनी द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत को पुनः आकलित कर ₹ 535 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2011) प्रदान की गई। कम्पनी ने मार्च 2012 में संवेदक को ₹ 548.83 करोड़ की लागत पर कार्य आवंटित किया। कार्य आवंटन के 27 माह व्यतीत हो जाने के बाद तथा ₹ 59.90 करोड़ के व्यय के उपरान्त कम्पनी ने संवेदक द्वारा कार्य की प्रगति धीमी होने के आधार पर संविदा निरस्त कर दिया (जुलाई 2014)। यह कार्य संविदा के निरस्तीकरण से 14 माह (सितम्बर 2015) व्यतीत हो जाने के बाद भी आवंटित नहीं किया गया था। परिणामतः ₹ 59.90 करोड़ की निधि अवरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त, राज्य को जे0एन0एन0यु0आर0एम0 योजना के तहत परिकल्पित इच्छित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

इस सम्बन्ध में हमने यह भी प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी ने भूमि प्राप्त किए बिना निविदा को अंतिम रूप दे दिया और 72 स्थलों में से 26 स्थलों को संवेदक को तीन से नौ महीने के विलम्ब से सौंपा गया था। इससे परियोजना के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
 - कम्पनी पटना नगर निगम से भूमि उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किए बिना तीन स्थलों अर्थात् राजेन्द्र नगर, अरफाबाद तथा कदम कुँआ पर कार्य प्रारम्भ किया तथा उस पर ₹ 55 लाख का व्यय किया। इन कार्यों का परित्याग कर दिया गया था क्योंकि जिस निर्माण स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया गया (डी0पी0आर0 के अनुसार स्थल) था उसे पहले से ही पार्क निर्माण के लिए आवंटित किया जा चुका था। इस तरह उस पर किया गया ₹ 55 लाख का व्यय व्यर्थ रहा।
 - कम्पनी द्वारा इस योजना को प्रभावी अवधि मार्च 2014 तक निष्पादित करवाने में विफल रहने के कारण राज्य को ₹ 159.92 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान से वंचित रहना पड़ा।
- प्रबन्धन ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा अवलोकन भविष्य में अनुपालन हेतु अंकित कर लिया गया है।

अनुशंसा

कम्पनी को निविदा पूर्व होने वाले गतिविधियों में विलम्ब से बचना चाहिए तथा संवेदक को कार्य आवंटन के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि परियोजना को पूर्ण करने में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

दानापुर जलापूर्ति परियोजना

2.2.15 कंडिका संख्या 2.2.13 से संदर्भ उद्धृत है। इसी के अनुरूप, दानापुर जलापूर्ति परियोजना का कार्य, श०वि० एवं आ०वि० के द्वारा कम्पनी को ₹ 68.96 करोड़ के अनुमानित लागत पर सौंपा गया (दिसम्बर 2009) था। ₹ 84.41 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति कम्पनी द्वारा प्रदान (जुलाई 2011) की गई।

निविदा के निरस्तीकरण के पश्चात कार्य के पुनः आवंटन में विफलता से ₹ 9.24 करोड़ अवरुद्ध हुआ

कार्य संवेदक को ₹ 70.19 करोड़ के लागत पर आवंटित (अक्टूबर 2011) किया गया था। संविदा को जुलाई 2014 में ₹ 9.24 करोड़ (13.17 प्रतिशत) के व्यय के बाद संवेदक द्वारा कार्य के धीमी निष्पादन/अकार्यान्वयन के कारण निरस्त कर दिया गया। संविदा के निरस्तीकरण (जुलाई 2014) के बाद 14 माह (सितम्बर 2015) व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य के अपूर्ण भाग को किसी संवेदक को आवंटित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.24 करोड़ के परियोजना कोष का अवरुद्धीकरण हो गया था तथा योजना के तहत मिलने वाले लक्षित लाभ से राज्य वंचित रहा।

हमने यह भी प्रेक्षित किया कि :

- श०वि० एवं आ०वि० को समर्पित (मार्च 2015) उपयोगिता प्रमाण-पत्र में संविदा के निरस्तीकरण के बावजूद संवेदक को दिए गए ₹ 5.84 के वसूलनीय मोबिलाईजेशन अग्रिम को व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि ₹ 5.84 करोड़ की असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम कम्पनी के लिए बहिंगमन अथवा लागत व्यय था एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र में सम्मिलित कर लिया गया था। प्रबन्धन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदा के निरस्तीकरण तथा संवेदक से असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम से संबंधित तथ्य, उपयोगिता प्रमाण-पत्र में स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाए गए थे। आगे, सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2015) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कम्पनी को निदेश दिया गया है।

- योजना के प्रभावी अवधि मार्च 2014 तक, कम्पनी के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण ₹ 20.69 करोड़³ के अगले अनुदान से राज्य वंचित रह गया था।

उपर्युक्त अवलोकन पर प्रबन्धन एवं सरकार के द्वारा वही जवाब दिया गया जैसा कि कंडिका 2.2.13 में बताया गया है।

अनुशंसा

कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बैंक प्रत्याभूति की वैधता अवधि का उचित ध्यान रखना चाहिए।

सीवरेज प्रणाली एवं सीवरेज शोधन यंत्र, बोधगया

2.2.16 बोधगया शहर के लिए "सीवरेज प्रणाली के अभिकल्पन, मुहैया, प्रस्तुतीकरण, जाँच तथा संबंधित कार्य को चालू करने को भारत सरकार के द्वारा ₹ 95.94 करोड़ के अनुमानित लागत पर यूआई०जी० योजना के अन्तर्गत फरवरी 2009 में अनुमोदित

³ ₹ 68.96 करोड़ का 50 प्रतिशत = ₹ 34.48 करोड़ – ₹ 13.79 करोड़ = ₹ 20.69 करोड़।

किया गया था। श०वि० एवं आ०वि० के द्वारा कम्पनी को परियोजना सौंपा (दिसम्बर 2009) गया। कम्पनी ने एल-१ निविदाकर्ता को ₹ 92.75 करोड़ के लागत पर टर्न की आधार पर कार्य आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। संविदा के अन्तर्गत परियोजना को 24 माह के भीतर दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था तथा इसके पश्चात् पाँच वर्ष तक संवेदक के द्वारा रख-रखाव अपेक्षित था। तथापि पूर्ण किए जाने के निर्धारित तिथि से 18 माह व्यतीत होने के बाद भी, ₹ 59.16 करोड़ (63.80 प्रतिशत) व्यय करने के पश्चात् उक्त परियोजना अपूर्ण (जुलाई 2015) थी।

इस संबंध में हमने प्रेक्षित किया कि :

- कार्य के क्षेत्र के अनुसार, 65.33 किमी० का सीवर तंत्र, मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन (संख्या में पाँच), 10 मिलियन लीटर प्रवाह (एम०एल०डी०) का सीवेज शोधन संयंत्र, 2570 गृह संबंध प्रकोष्ठ, 3607 मेनहोल का निर्माण किया जाना था। मार्च 2015 तक इसके विरुद्ध मात्र 58.06 किमी० (88.87 प्रतिशत) का सीवर तंत्र, 1122 गृह संबंध प्रकोष्ठ (43.66 प्रतिशत) तथा मेनहोल (82.20) निर्मित किए गए।
- कम्पनी ने डी०पी०आर० के प्रावधानों के आधार पर बोधगया शहर में 10 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के साथ 58.05 किमी० के सीवर तंत्र एवं 132 एच०पी० क्षमता वाले आठ मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन (आई०पी०एस०) के निर्माण के लिए, एन०आई०टी० जारी किया (जून 2011)। आई०पी०एस० की दर कार्य आधार पर आमंत्रित की गई थी। संविदा के अनुसार, कार्य के सौंपे जाने के बाद, संवेदक को वास्तविक कार्य-स्थल सर्वेक्षण के आधार पर एक नया रूपरेखा समर्पित करना था। हमने प्रेक्षित किया कि संवेदक के द्वारा आई०पी०एस० से संबंधित कार्य क्षेत्र को अत्यधिक कम कर दिया गया था। नए रूपरेखा के अनुसार, डी०पी०आर० में निर्दिष्ट 132 एच०पी० के आठ आई०पी०एस० के विरुद्ध 90 एच०पी० के मात्र पाँच आई०पी०एस०, का निर्माण किया गया। यह न केवल तीन आई०पी०एस० के संबंध में ₹ 1.31 करोड़⁴ के अधि-व्यय के रूप में परिणामित हुआ बल्कि संवेदक को अनुचित लाभ भी पहुँचाया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि आई०पी०एस० की संख्या कम किए जाने के बाद भी, आई०पी०एस० की सम्पूर्ण क्षमता (कुँआ की क्षमता) को कम नहीं किया गया। प्रबन्धन के जवाब में, लेखापरीक्षा के द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में कुछ नहीं कहा तथा यह पंप के कम किए गए क्षमता (यथा : एच०पी०) तथा लागत पर इसके प्रभाव के बारे में मौन था। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी को इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निदेश दिए गए हैं।

अनुशंसा

टर्न-की अनुबंध के मामले में, कम्पनी को संवेदक के द्वारा सुपुर्द किए गए नए रूपरेखा का लागत-लाभ विश्लेषण करना चाहिए।

खगौल जलापूर्ति परियोजना

2.2.17 खगौल क्षेत्र के परिवारों को टैरिफ आधारित सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, खगौल जलापूर्ति परियोजना का कार्य संवेदक को ₹ 16.65 करोड़ के

⁴ संवेदक द्वारा आठ आई०पी०एस० का उद्धृत दर ₹ 3.50 करोड़ था (यथा डी०पी०आर० के आधार पर)। इस तरह, तीन आई०पी०एस० की लागत = ₹ 3.50 ÷ 8 × 3 = ₹ 1.31 करोड़।

लागत पर दिया गया (अक्टूबर 2011)। कम्पनी, संवेदक तथा नगर परिषद, खगोल कम्पनी के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में, के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना को पूर्ण करने की अनुसृचित तिथि दिसम्बर 2012 थी जिसे विस्तार कर दिसम्बर 2014 कर दिया गया था। ₹ 14.57 करोड़ की लागत से परियोजना को पूर्ण करने के उपरान्त, इसे खगोल नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया (दिसम्बर 2014)।

परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाई गईः :

- समझौते के तकनीकी विशेष विवरण के भाग V कॉडिका 12.3 जिसके अन्तर्गत परियारों को जल संबंध के लिए किया विधि समाहित था, के शर्तों के अन्तर्गत जलाधूति योजना, खगोल को शुरू किया जाना था। माप पुस्तिका के आधार पर 6300 परियारों को गृह संबंध तथा जलमीटर के प्रतिस्तापन से संबंधित कार्य को संवेदक द्वारा वर्ष 2013–14 में ₹ 1.60 करोड़ के लागत से किया गया था। संवेदक को जुलाई 2014 तक ₹ 1.22 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। परन्तु कम्पनी द्वारा संवेदक द्वारा किए गए कार्य के सहायक विवरण यथा परियारों द्वारा सुपूर्द्ध आवेदनों की प्रति, उसके विरुद्ध जमा किए गए शुल्क तथा संवेदक द्वारा किए गए कार्य के संबंध में खगोल नगर परिषद के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति कम्पनी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, खगोल नगर परिषद ने भी पुष्टि किया (जून एवं सितम्बर 2015) कि संवेदक के द्वारा उन्हें भी गृह संबंध तथा जल मीटर के प्रतिस्तापन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। परिषद ने यह भी कहा (सितम्बर 2015) कि परियारों को जल की आपूर्ति के संबंध में मीटर पठन भी नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार परियारों को जल संबंध तथा उसके विरुद्ध मीटर पठन के विवरण के अभाव में ₹ 1.22 करोड़ का व्यय अनियमित / संदिध था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि परियारों को मीटर संबंध प्रदान किए जाने के समय समझौते के आधार पर उचित क्रियाविधि अपनाई गई थी। प्रबन्धन का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वे सम्बन्धित प्रतिस्तापन के विवरण जैसा कि उपर बताया गया है, उपलब्ध कराने में असफल हुए। इसके अतिरिक्त, परियोजना क्षेत्र में जल मीटर प्रतिस्तापन नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कम्पनी को निदेश जारी की गई है।

राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए०)

2.2.18 गंगा नदी में सफाई एवं संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार ने एन0जी0आर0बी0ए० की स्थापना (2009) में की। गंगा में प्रदूषण कठोरी सुनिश्चित करने हेतु एन0जी0आर0बी0ए० को बहुक्षेत्र कार्यक्रम (एन0जी0आर0बी0ए० कार्यक्रम) के विकास का अधिदेश दिया गया था। एन0जी0आर0बी0ए० कार्यक्रम के लागत को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 70:30 के अनुपात में साझा किया जाना था।

2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 441.86 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के चार परियोजनाओं यथा सीवेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन यंत्र बक्सर, हाजीपुर, बेगुसराय तथा मंगेर के नाम से लिया था। बक्सर, हाजीपुर तथा बेगुसराय की परियोजनाओं की समाप्त की अनुसृचित तिथि दिसम्बर 2013 थी जबकि मुंगेर परियोजना के लिए यह मार्च 2014 थी। जुलाई 2015 तक इन चार परियोजनाओं पर ₹ 29.88 करोड़ का व्यय हो गया था तथा कार्य प्रगति में था। समझौता मूल्य के 1.57

प्रतिशत से 18.14 प्रतिशत के परास में वित्तीय प्रगति के साथ इन परियोजनाओं का 16 से 19 माह का समय अधिव्यय हो चुका था। विलम्ब मुख्यतः कार्य आवंटन में विलम्ब तथा संवेदक को कार्यस्थल देर से हस्तांतरित किए जाने के कारण हुए थे। एन0जी0आर0बी0ए0 सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट - 2.2.1** में प्रदर्शित है।

इस योजना के अन्तर्गत संरचनात्मक परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा अग्रलिखित कंडिकाओं में की गई है :

बक्सर, हाजीपुर एवं बेगुसराय में सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन यंत्र

2.2.19 हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर शहर में सीवरेज प्रणाली के मुहैया, प्रस्तुतीकरण जाँच प्रदर्शन, जाँच एवं सीवरेज प्रणाली को चालू करने तथा सीवेज शोधन यंत्र (एस0टी0पी0) के अभिकल्पन एवं निर्माण से संबंधित कार्य को भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2010 में अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं का अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 113.62 करोड़, ₹ 65.40 करोड़ तथा ₹ 74.95 करोड़ था। परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि 24 माह थी तथा परिचालन एवं रख-रखाव के लिए अवधि पूर्ण होने से 60 माह थी। उपर्युक्त तीन परियोजनाओं के कार्य को क्रमशः ₹ 94.88 करोड़, ₹ 58.88 करोड़ तथा ₹ 52.05 करोड़ के लागत पर दिसम्बर 2013 तक कार्य सम्पन्न किए जाने की अनुसूचित अवधि के साथ संवेदक को प्रदान किया गया था। इन कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी तथा 43 माह (जुलाई 2015) के बीत जाने के बाद संवेदक के द्वारा केवल क्रमशः ₹ 17.21 करोड़ (18.14 प्रतिशत), ₹ 4.13 करोड़ (7.01 प्रतिशत) तथा ₹ 6.61 करोड़ (12.70 प्रतिशत) लागत के कार्य ही निष्पादन किए गए।

हमने पाया कि :

- बक्सर, हाजीपुर तथा बेगुसराय में सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन यंत्र के मामलों में, कम्पनी ने भूमि का स्वामित्व 29 माह से 36 माह के विलम्ब से प्राप्त किया जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। हमने प्रेक्षित किया मई 2011 में ₹ 2.86 करोड़ तथा जून 2011 में ₹ 8.49 करोड़ क्रमशः एस0टी0पी0, बेगुसराय तथा एस0टी0पी0, हाजीपुर के लिए भूमि अधिग्रहन हेतु भुगतान किए जाने के बावजूद, शीघ्र भूमि अधिग्रहन हेतु उच्च स्तर प्रबन्ध द्वारा किए प्रयास अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

- समझौते के उपबंध 64 के अनुसार, विवाद, यदि हो; के निवारण, चीन के लोक जनतंत्र के न्यायाधिकार क्षेत्र का विषय होगा जिसके परिणामस्वरूप विवाद होने की स्थिति में कम्पनी की कानूनी पक्ष गंभीर रूप में सीमित/जोखिमपूर्ण हो सकता था।

प्रबन्ध ने अवलोकन को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2015) कि इसे भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

- उपरोक्त एस0टी0पी0 तथा आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि को संवेदक को उपलब्ध कराने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ (बेगुसराय : ₹ 35 लाख, बेगुसराय : ₹ 69 लाख तथा हाजीपुर ₹ 1.67 करोड़) के परिहार्य मूल्य वृद्धि का भुगतान हुआ।

प्रबन्ध ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) तथा इसे भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि इस संबंध में कम्पनी को निदेश दी गई है।

राज्य पोषित आधारभूत विकास परियोजनाएँ

2.2.20 बिहार राज्य में आधारभूत विकास के लिए तथा लोक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने श०वि० एवं आ०वि० के माध्यम से उपर्युक्त योजना के तहत विभिन्न संरचनात्मक कार्य कम्पनी को सौंपा।

2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 270.36 करोड़ प्रशासनिक स्थीकृति वाले 12 संरचनात्मक परियोजना कम्पनी द्वारा ली गई जिसमें से मात्र पाँच परियोजनाएँ ₹ 115.31 करोड़ के लागत पर दो से 18 माह के समय अधिव्यय के साथ पूर्ण किए गए (जुलाई 2015)। आगे, ₹ 40.48 करोड़ के प्रशासनिक स्थीकृति वाले सात परियोजनाओं के कार्य प्रगति में थे जिस पर ₹ 17.41 करोड़ का व्यय हो चुका था। इन परियोजनाओं का समापन 7.45 से 73.08 प्रतिशत (**परिशिष्ट – 2.2.1**) के प्रास में प्रगति के साथ नौ से 26 माह के समय अधिव्यय से ग्रसित था। विलम्ब का मुख्य कारण परामर्शदाता द्वारा डी०पी०आर० का दोषपूर्ण निर्माण तथा कम्पनी द्वारा इसकी समीक्षा, भूमि हेतु अनापति प्रमाण–पत्र की अप्राप्ति तथा निविदा पूर्व स्तर के प्रत्येक कार्य हेतु किसी प्रकार की समय–सीमा का निर्धारण न होना था।

योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा अग्रलिखित कांडिकाओं में की गई है :

चक्रवाती जल निकास प्रणाली, सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन यंत्र, राजगीर

2.2.21 निकास तंत्र द्वारा चक्रवाती जल के संग्रहण, प्रवहन तथा निस्तारन के लिए समेकित प्रणाली प्रदान करने की दृष्टि से तथा क्षय जल के उचित प्रवहन, शोधन एवं निस्तारण के साथ उचित सीवरेज प्रणाली प्रदान करने विहार सरकार द्वारा कम्पनी को राजगीर में चक्रवाती जल निकास प्रणाली, सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज सोधन तंत्र के निर्माण के लिए ₹ 77.67 करोड़ की संचयी प्रशासनिक स्थीकृति प्रदान की गई (जनवरी 2010)। कम्पनी ने इस संचयी ₹ 00ए० को एस०टी०पी० के लिए ₹ 55.80 करोड़ तथा एस०डब्लू०डी०एस० के लिए ₹ 21.70 करोड़ में विमक्त कर दिया।

एस०डब्लू०डी०एस० के कार्य को दिसम्बर 2011 में संवेदक को ₹ 29.12 करोड़ की लागत पर मार्च 2014 तक पूर्ण करने की अनुसूची के साथ आवंटित किया गया था। कार्य ₹ 19.66 करोड़ की लागत से फरवरी 2014 में पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार, एस०टी०पी० के कार्य को मार्च 2012 में संवेदक को ₹ 47.37 करोड़ के लागत पर मार्च 2015 तक पूर्ण करने की अनुसूची के साथ आवंटित किया गया। एस०टी०पी० का निर्माण मार्च 2015 में ₹ 51.01 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर लिया गया था। तथापि, सीवरेज तंत्र से गृह के संबंध के कारण को अभी तक आरंभ भी नहीं किया गया था (जुलाई 2015) तथा उक्त परियोजना नगर परिषद को अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2015)।

परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमिताएँ भी पाई गईं :

- एस०टी०पी० के कार्य में, सीवरेज तंत्र के लंबाई तथा क्षमता में प्रावकलन के उपर क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके लिए संवेदक के साथ ₹ 12.87 करोड़ मूल्य का पूरक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त परिमाण विपत्र के व्यक्तिगत मद्दें पर 81.8 प्रतिशत तक के उच्च विचलन थे जो इंगित करता है कि प्रावकलन वास्तविक नहीं थे तथा वास्तविक कार्य–स्थल सर्वेक्षण के बिना ही तैयार किए गए थे।

अशुद्ध तथा
अवास्तविक प्रावकलन
कार्यान्वयन के समय
उच्च विचलन में
परिणामित हुआ

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि परामर्शदाता के द्वारा समर्पित डी०पी०आर० दोषपूर्ण था जिसके कारण लागत बढ़ गया। प्रबंध का जवाब अपने आप में एक स्वीकृति है कि प्राक्कलन दोषपूर्ण था तथा बिना कार्य-स्थल सर्वेक्षण के तैयार किया गया था।

वास्तविक किमी० के अनुसार लीड के भुगतान को सीमित करने में कम्पनी की विफलता ₹ 2.28 करोड़ के अधिक्वय के रूप में परिणामित हुआ

● एस०एब्ल०डी०एस० कार्य के एक तत्व यथा 7.89 किमी० लंबाई के समलंबिक निकास में पत्थर के टुकड़े का परिवहन निहित था। संवेदक को परिवहन लागत 165 किमी० के लीड के रूप में स्वीकृत था। यद्यपि, खनन कार्यालय के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के संवेदक से उद्घाटित हुआ कि पत्थर के टुकड़े उस खदान से प्राप्त किए गए थे जो कार्यस्थल से मात्र 70 किमी० दूर था। लीड के परिवहन का भुगतान 70 किमी० के बजाय 165 किमी० की दूरी हेतु किया गया था। यह न केवल ₹ 2.28 करोड़ के परिहार्य व्यय के रूप में परिणामित हुआ बल्कि उस सीमा तक संवेदक को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि विषय की जाँच की जा रही है तथा यदि अधिक भुगतान है तो संवेदक के सुरक्षित जमा में से वसूल की जाएगी।

कम्पनी अधिशेष मिट्टी के उपयोग तथा निपटान के तंत्र का विकास नहीं कर सकी जिसकी परिणति प्राप्ति तथा निपटान पर परिहार्य व्यय के रूप में हुई

● दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के आरंभ से ही कम्पनी को इस तथ्य की अच्छी तरह से जानकारी थी कि उक्त कार्य में मिट्टी भराई की आवश्यकता थी (एस०डब्ल०डी०एस० में 13600 घन मीटर मिट्टी भराई की आवश्यकता थी)। यद्यपि कम्पनी ने एस०डब्ल०डी०एस० तथा एस०टी०पी० कार्य में खोदे गए क्रमशः 66,272.01 घन मीटर तथा 18,556.30 घन मीटर मिट्टी का ₹ 99.78 लाख⁵ व्यय करने के उपरान्त, जिसमें लादना, उतारना तथा परिवहन व्यय शामिल था, निपटान कर दिया। आगे, कम्पनी ने 13503.22 घन मीटर तथा 5015.78 घन मीटर स्वच्छ मिट्टी क्रमशः राजगीर निकास तथा राजगीर सीवरेज के लिए ₹ 410 प्रति घन मीटर की दर से क्रय किया। अधिशेष मिट्टी को विक्रय योग्य वस्तु होने के कारण, देय राज्य शुल्क के भुगतानोपरान्त, उसी जगह पर ही बेच दी जानी चाहिए थी। उपलब्ध खोदे गए मिट्टी के उपयोग तथा अधिशेष खोदे गए मिट्टी का उसी जगह पर बिक्री से तिगुण उद्देश्य की पूर्ति हुई होती यथा, खोदे गए मिट्टी का निपटान व्यय व स्वच्छ मिट्टी की क्रय पर व्यय के विलोपन तथा इसके अतिरिक्त खोदे गए अधिशेष मिट्टी पर राजस्व की प्राप्ति हुई होती।

इस प्रकार, औचित्य की कमी के कारण कम्पनी को अधिशेष मिट्टी के निपटान पर ₹ 99.78 लाख का परिहार्य व्यय, स्वच्छ मिट्टी की प्राप्ति पर ₹ 42.52 लाख का परिहार्य व्यय हुआ तथा अधिशेष मिट्टी के विक्रय नहीं होने से ₹ 40.38 लाख⁶ की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि खोदी गई मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से मिश्रित थी इसलिए वे भरे जाने हेतु उपयुक्त नहीं थे। अतः खोदे गए मिट्टी के बिक्री का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी०पी०आर०/परिमाण विपत्र में खोदे गए मिट्टी में गाद/कीचड़ तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को परिमाणित नहीं किया गया था। आगे, प्रबंधन के द्वारा जवाब के समर्थन में मिट्टी जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया था। एस०टी०पी० कार्य में खोदे गए मिट्टी के निपटान नहीं

⁵ [66272.01 एम³ × ₹ 108प्रति एम³ = 71,57,377 (एस०डब्ल०डी०एस०)] + [18556.30 एम³ × ₹ 152 प्रति एम³ = 2820557.60 (एस०टी०पी०)] कुल = ₹ 99,77,934.60

⁶ (66272.01 एम³ + 18556.30 एम³) – (13503.22 एम³ + 5015.78एम³) = 66309.31एम³
66309.31 एम³ × ₹ 60.90 = ₹ 40,38,237

होने के मुद्दे को जवाब में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार (अक्टूबर 2015) ने प्रबंध निदेशक को इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया है।

- राजगीर के सीवेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन संयंत्र के कार्य में कम्पनी ने ₹ 83.80 प्रति घन मीटर (₹10पी0डब्लूडी0 एस0ओ0आर0 दर के आधार पर दर की गणना) के भराव दर से विभिन्न खण्डों में 74024 घन मीटर मिट्टी भरने हेतु उसी संवेदक से साथ पुरक समझौता किया। यह प्रक्षित किया गया कि 5015.78 एम³ मिट्टी के अन्य ढेर को ₹ 51.79 प्रति एम³ के निम्न दर पर भरा गया था जो बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग (बी0सी0डी0) एस0ओ0आर0 दर पर आधारित था। इस प्रकार संवेदक द्वारा किए गए 74024 एम³ मिट्टी भराव कार्य के संबंध में कम्पनी द्वारा बी0सी0डी0 एस0ओ0आर0 पर विचार नहीं किए जाने के कारण ₹ 23.70 लाख⁷ का परिवार्य अधिक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि सामान्य बैक भराव की स्थिति में बी0सी0डी0 के दर को लागू किया गया जबकि उस क्षेत्र जिसमें गाड़ी परिचालन के लिए सड़क निर्माण हेतु मिट्टी संधनन की आवश्यकता थी, सी0पी0डब्लूडी0 की दर को लागू किया गया। प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित परिमाण विपत्र में यांत्रिक विधि से भराव एवं संधनन हेतु वर्णन नहीं था। आगे, यांत्रिक संधनक के उपयोग के समर्थन में कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी कम्पनी को उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया (अक्टूबर 2015)।

अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण

अनुश्रवण

2.2.22 कम्पनी हेतु, अनुबंध समझौते के आधार पर तथा निर्धारित मानक एवं संहिता, आदि के आधार पर क्रियान्वयन कार्य के गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु, परियोजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया अनुमोदन स्तर से आरंभ होता है तथा क्रियान्वयन से पूर्णतर स्तर के दौरान चलता रहता है। कम्पनी में वास्तविक क्रियान्वयन कार्य का अनुश्रवण, संबंधित अभियंता तथा किराए के परामर्शदाता यथा निर्माण पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता, (सी0एस0क्यू0सी0) की जवाबदेही है। साथ ही निष्पादन कार्य / परियोजना के प्रगति के अनुश्रवण हेतु उच्च स्तर प्रबंधन उत्तरदायी होता है।

परियोजनाओं के अनुश्रवण में पाई गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है :

- बिहार पी0डब्लूडी0 सहिता के अनुसार, लेखा बही में उचित लेखांकन हेतु, सभी पूर्ण किए गए कार्य के लेखों को बंद किया जाना चाहिए तथा कार्य वार निधि लेखों की पुस्तिका में उचित गणना हेतु संबंधित विभाग से मिलान किया जाना चाहिए। प्रशासनिक स्वीकृति की तुलना में किसी राशि आधिक्य या कमी होने पर वापस / दावा की जानी चाहिए। हमने पाया कि बिहार पी0डब्लूडी0 सहिता के उल्लंघन में कम्पनी द्वारा पूर्ण किए गए नो परियोजनाओं के संबंध में परियोजनाओं के पूर्ण करने की तिथि

⁷ प्रति एम³ भराव लागत की दर में अन्तर = सी0पी0डब्लूडी0 एस0ओ0आर0 दर ₹ 83.80 प्रति एम³-बी0सी0डी0 एस0ओ0आर0 दर ₹ 51.79 प्रति एम³, प्रति एम³ दर में अन्तर ₹ 32.01। कुल अतिरिक्त भुगतान = 32.01 × 74024.92 = ₹ 23,69,537.68

से चार से 29 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी परियोजनाओं के खाता को बंद नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी ने पूर्ण परियोजनाओं के खातों को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है तथा संविधित विभाग के साथ खातों के भिलान का कार्य प्रगति में है। लारकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कम्पनी को निर्देशित किया गया है।

कम्पनी में निमाण पर्यवेक्षण एवं युग्मकर्ता नियंत्रण नीमोएस0क्यू0सी0)

प्रमाणशास्त्राता की भूमिका

- कार्य संवेदक को कार्यादेश जारी किए जाने के तुरंत बाद कम्पनी निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सी0एस0क्यू0सी0 की नियुक्ति करता है। हमने प्रेषित किया कि सी0एस0क्यू0सी0 की नियुक्ति अस्थाई तरीके से उसकी वास्तविक आवश्यकता का विचार किए बिना की जाती है। दो परियोजनाओं यथा सड़क एवं निकास, रोसड़ा तथा जल आपृति परियोजना, बोधगया के मामले में प्रबंधन ने सी0एस0क्यू0सी0 की नियुक्ति कार्य संवेदक के साथ समझौता हस्ताक्षर की तिथि से नौ से 12 माह के विलम्ब से की। उस समय तक संवेदक के द्वारा नौ प्रतिशत से 37 प्रतिशत कार्य पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका था। इस प्रकार सी0एस0क्यू0सी0 की विलम्ब से नियुक्ति से सी0एस0क्यू0सी0 के नियुक्ति का उद्देश्य असफल हुआ।
- प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) तथा बताया कि कुछ मामलों में सी0एस0क्यू0सी0 की तेजाती देर से की गई यद्यपि सी0एस0क्यू0सी0 के वैकल्पिक पर्यवेक्षण तंत्र की खोज की जा रही है।
- बारिखायारपुर एवं मुरलीगंज में सड़क एवं निकास परियोजनाओं के मामले में सी0एस0क्यू0सी0 के भुगतान, परियोजना की प्रगति से संबद्ध था। यद्यपि अन्य परियोजनाओं में सी0एस0क्यू0सी0 के भुगतान, कार्य के प्रगति से संबद्ध नहीं था लेकिन मासिक आधार पर किया जाता था तथा इसलिए कार्य संवेदक द्वारा कार्य के अनिष्पादन / रुकाव की स्थिति में भी सी0एस0क्यू0सी0 को लगातार मासिक आधार पर भुगतान किया जाता रहा जो ₹ 9.93 करोड़ (**परिशिष्ट - 2.2.5**) तक के निष्कल व्यय के रूप में परिणामित हुआ।

सी0एस0क्यू0सी0 को किया गया भुगतान कार्य की प्रगति से सम्बद्ध नहीं था आश्वासन प्राप्त करने की परिणति से ₹ 9.53 करोड़ के निष्कल व्यय के रूप में हुई

प्रबंधन ने अवलोकन को स्वीकार करते समय बताया (अक्टूबर 2015) कि सी0एस0क्यू0सी0 के मामले में लागत को न्यूनतम करने हेतु पद्धति का अन्वेषन किया जा रहा है।

अनुशंसा

कम्पनी को अपनी अनुश्रवण प्रक्रिया को मजबूत करनी चाहिए तथा सी0एस0क्यू0सी0 के भुगतान को कार्य की प्रगति से संबद्ध करनी चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण

2.2.23 आन्तरिक नियंत्रण एक प्रबन्धन का साधन है जिसका प्रयोग न्यायोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि प्रबन्धन उद्देश्यों की प्राप्ति सक्षम, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित तरीके से हो सहा है। कम्पनी में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रेषित की गई थी :

- कम्पनी ने कोई कार्यात्मक परिचालन पुस्तिका तैयार नहीं किया था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मानव संसाधन /लेखांकन कार्य आदि हेतु प्रारूप पुस्तिका परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की जा चुकी है तथा यह समीक्षाधीन है।

- स्कंध बही के संधारण तथा स्कंध के आवधिक भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई भी प्रणाली कम्पनी में अस्तित्व में नहीं थी। दो⁸ परियोजनाओं के निरस्तीकरण के उपरान्त संवेदक से प्राप्त किए गए ₹ 26.58 करोड़ की सामग्री की स्थिति में स्कंध बही के संधारण नहीं किए जाने के दृष्टांत पाए गए। इसके अतिरिक्त, उसके संबंध में भौतिक सत्यापन भी नहीं (मार्च 2015) किया गया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भविष्य में लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुपालन हेतु कम्पनी के प्रबंध निदेशक को निदेशित किया गया है।

अनुशंसा

कार्यात्मक परिचालन पुस्तिका के निर्माण द्वारा कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करनी चाहिए। स्कंध बही उचित रूप में अवश्य संधारित की जानी चाहिए तथा आवधिक भौतिक सत्यापन हेतु नीचे चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

- 2009–10 से 2014–15 की अवधि के दौरान कार्य के आवंटन करने में विलम्ब, परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन, संविदाओं का निरस्तीकरण तथा शेष कार्य के आवंटन नहीं किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा निधि की उपयोगिता का परास 1.03 प्रतिशत और 42.13 प्रतिशत के बीच रहा। कम्पनी को अवरोधों को हटाते हुए, परियोजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन द्वारा निधि की उपयोगिता में सुधार करनी चाहिए।
- दानापुर जलापूर्ति परियोजना में, ₹ 6.70 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली नहीं हुई थी क्योंकि कम्पनी बैंक प्रत्यासूति नवीनीकरण करने में असफल रही तथा संविदा निरस्त हो गया। कम्पनी को सी०भी०सी० के दिशा-निर्देशों के दृष्टिकोण से मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी की वेधता अवधि पर उचित निगरानी रखनी चाहिए।

- जे०एन०एन०य०आर०ए०५० योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना, पटना जलापूर्ति परियोजना तथा दानापुर जलापूर्ति परियोजना, के लिए संविदाएँ, संवेदक के द्वारा निष्पादन नहीं किए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए। एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य के शेष भाग को किसी को आवंटित नहीं किए जाने की परिणति ₹ 77.70 करोड़ के राशि की कोष के अवरुद्धीकरण के रूप में हुई।

⁸ जलापूर्ति परियोजना, मुजफ्फरपुर तथा पटना।

• मुजफ्फरपुर जलापूर्ति परियोजना में कार्यान्वयन में विलम्ब हेतु संवेदक से वसूल किए गए ₹ 3.68 करोड़ के परिनिर्धारित हरजाना को बाद में कम्पनी के वित्तीय हितों तथा समझौते के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए, वापस कर दिया गया।

कम्पनी को समझौते के प्रावधानों का पालन कर अपने वित्तीय हितों की रक्षा करनी चाहिए।


• संवेदकों को कार्य आवंटित किए जाने में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता तथा संवेदक द्वारा कार्य का धीमा क्रियान्वयन/अक्रियान्वयन के कारण, एन०जी०आर०बी०ए० पोषण के अधीन लिए गए बक्सर, हाजीपुर, बेगुसराय तथा मुंगेर के सीवरेज प्रणाली तथा सीवेज शोधन यंत्र की चार परियोजनाओं के मामले में, जूलाई 2015 तक उनके समापन के अनुसूचित तिथि से 16 से 19 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी, वित्तीय प्रगति 1.57 प्रतिशत से 18.14 प्रतिशत था।

• 2010–15 की अवधि के दौरान लिए गए 12 परियोजनाओं में से मात्र पाँच परियोजनाएँ, दो से 18 माह के समय अधिव्यय के साथ पूर्ण किए गए। शेष सात परियोजनाओं के मामले में, जूलाई 2015 तक समापन की अनुसूचित तिथि से नौ से 26 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी वित्तीय प्रगति मात्र 7.45 से 73.08 प्रतिशत था। विलम्ब का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा डी०पी०आर० के दोषपूर्ण निर्माण तथा संवेदक को कार्य आवंटन करने में विलम्ब था।

कम्पनी को, भूमि की ससमय उपलब्धता तथा संवेदकों को ससमय कार्य आवंटन सुनिश्चित करते हुए, परियोजना के अनुसूचित तिथि के भीतर समापन सुनिश्चित करनी चाहिए।


• कम्पनी की अनुश्रवण प्रक्रिया अपर्याप्त थी तथा यह पर्यवेक्षण एवं गुण नियंत्रण हेतु यह निर्माण पर्यवेक्षण एवं गुण नियंत्रण (सी०एस०क्य०सी०) परामर्शदाता पर निर्भर था। कम्पनी सी०एस०क्य०सी० के भुगतान को कार्य की प्रगति से संबद्ध करने में विफल रहा जो ₹ 9.53 करोड़ के निष्कल व्यय के रूप में परिणामित हुआ।

कम्पनी को अपनी अनुश्रवण प्रक्रिया को सुदृढ़ तथा सी०एस०क्य०सी० के भुगतान को कार्य की प्रगति से संबद्ध करनी चाहिए।



अध्याय - III

- 3. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण**



अध्याय – III

3. कार्य सम्पादन पर लेखापरीका के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांचिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीका परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.1 संवेदकों को अनुचित लाभ

सी०भी०सी० की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, चलत अग्रिम की वसूली नहीं होने पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०भी०सी०) की मार्गदर्शिकाएँ (अप्रैल 2007) यह प्रावधानित करती है कि संवेदक को चलत अग्रिम¹ (एम०ए०) का भुगतान आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और इसकी वसूली समयबद्ध होनी चाहिए न कि कार्य की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि संवेदक द्वारा काम नहीं करने या धीमी गति से काम करने की स्थिति में अग्रिम की वसूली आरम्भ की जा सके और इस तरह वैसे अग्रिम के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। उपर्युक्त वर्णित मार्गदर्शिकाएँ यह भी प्रावधानित करती हैं कि संवेदक द्वारा विपत्रों को विलम्ब से समर्पित करने या अन्य किसी कारणों से, विलम्ब से हुई वसूली पर स्पष्ट रूप से व्याज भारित किया जाना चाहिए।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2015) से यह उद्धारित हुआ कि कम्पनी ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, उसमें सुधार और विस्तार के लिए सात निविदाएँ [अर्थात् निविदाएँ आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०)] आमंत्रित (जुलाई 2013) की जो अन्य बातों के साथ, कार्य की आपूर्ति एवं कार्य के निर्माण घटकों की कुल लागत की 10 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज मुक्त चलत अग्रिम का प्रावधान करता था। छ: संवेदकों को, अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 की अधिसूचित कार्यसमाप्ति अवधि के साथ, आपूर्ति और निर्माण कार्योंके निषादान हेतु नवम्बर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 14 अभिमाय पत्र (एल०ओ०ए०) निर्गत किए गए थे। तदनुसार कम्पनी द्वारा 12 एल०ओ०ए० के विलद्ध पैंच अभिमाय पत्र संवेदकों को ₹ 48.15 करोड़ का चलत अग्रिम प्रदान किया गया था जो संवेदकों के विपत्रों से 10 प्रतिशत की दर से समायोजित किया जाना था। एल०ए०ओ० में अधिसूचित अवधि की समाप्ति के उपरान्त चलत अग्रिम के बकाया राशि पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उपर्युक्त उल्लेखित सातों एन०आई०टी० के दायरे में आने वाले सभी कार्य अधिसूचित अवधि के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संवेदकों द्वारा, अब तक (मार्च 2015), पूर्ण नहीं किया गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी, सी०भी०सी० की मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन करते हुए, अधिसूचित अवधि के उपरान्त असमायोजित चलत अग्रिम की बकाया राशि पर भारित किए जाने वाले ब्याज हेतु कोई भी उपवाक्य अपनी एन०आई०टी० / एल०ओ०ए० में शामिल करने में विफल रहा। वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, कम्पनी

¹ चलत अग्रिम संवेदकों/ए०सियों को सामग्री एवं श्रम के खल पर लाने के लिए दिया जाता है।

मार्च 2015 तक संवेदकों के पास ₹ 34.09 करोड़ की असमायोजित चलंत अग्रिम पर ₹ 1.01 करोड़² के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि ब्याज मुक्त चलंत अग्रिम के रूप में दिए गए ₹ 48.15 करोड़ में से ₹ 32.65 करोड़ संवेदकों के विपत्रों से काट लिया गया है और शेष ₹ 15.50 करोड़ की बकाया राशि संवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा हाल ही में जारी किए गए कार्यादेशों में ब्याज सहित चलंत अग्रिम के लिए प्रावधान शामिल किया गया है।

इस प्रकार, सी0भी0सी0 की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं करने और कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी करने के कारण, ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹ 15.50 करोड़ की चलंत अग्रिम अभी भी वसूलनीय था (अक्टूबर 2015)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.2 राजस्व की हानि

रेलवे कर्षण सेवा उपभोक्ता के संविदा मांग में बढ़ोतरी में अत्यधिक विलम्ब एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 6.85 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2006–07³, अन्य बातों के साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी0ई0आर0सी0 टैरिफ आदेश 2010–11⁴, रेलवे की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मर क्षमता, संविदा माँग की 200 प्रतिशत तक, रखने की अनुमति देता है। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुसार अनुमत्य सीमा से अधिक क्षमता वाली ट्रान्सफॉर्मर का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी संविदा माँग तदनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ा दी जानी चाहिए।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, [सम्प्रति साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड⁵ (कम्पनी)] की अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2013) कि:-

- कर्मनासा ग्रिड उप केन्द्र में पूर्व मध्य (ई0सी0) रेलवे, मुगलसराय का वरीय मंडल विद्युत अभियंता, एक आर0टी0एस0 उपभोक्ता, जिसकी संविदा माँग 7.5 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी के अनुमति से दो ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग कर रहा था, जिसमें एक ट्रान्सफॉर्मर (सितम्बर 1993 से स्थापित) की क्षमता 18.5 एम0भी0ए0 एवं दूसरे ट्रान्सफॉर्मर (मार्च 2012 से स्थापित) की क्षमता 21.6 एम0भी0ए0 था। तथापि टैरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार कम्पनी उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ता की भार वृद्धि में विफल रहा।

² कार्य पूर्ण होने हेतु अधिसूचित समयावधि के उपरान्त अवधि हेतु गणनित।

³ नवम्बर 2006 से लागू।

⁴ दिसम्बर 2010 से लागू।

⁵ बी0एस0ई0बी0 के पुनर्गठन के पश्चात, जी0एस0एस0, कर्मनाशा के आर0टी0एस0 उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

- कथित उपभोक्ता की संविदा माँग, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार, नवम्बर 2006 से नवम्बर 2010 के लिए 12.33 एम०भी०ए०⁶, दिसम्बर 2010 से मार्च 2012 के लिए 9.25 एम०भी०ए०⁷ और अप्रैल 2012 से मई 2013 के लिए 10.80 एम०भी०ए०⁸ गणना की गयी। टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कथित आर०टी०एस० उपभोक्ता का तदनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था।

कम्पनी द्वारा कथित उपभोक्ता की संविदा माँग जून 2013 में ही बढ़ाकर 10.80 एम०भी०ए० किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने एवं कथित उपभोक्ता की संविदा—माँग में अत्यधिक विलम्ब से बढ़ोतरी के फलस्वरूप नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क एवं उर्जा शुल्क के मद में ₹ 8.23 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को ब्याज के रूप में ₹ 6.85 करोड़ की परिणामी हानि भी वहन करनी पड़ी।

कम्पनी ने कहा कि (अक्टूबर 2015) उपभोक्ता ने नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क और उर्जा शुल्क के मद में ₹ 8.23 करोड़ की राशि का भुगतान (जून 2015) कर दिया था। तथापि, तथ्य यही है कि संविदा माँग की बढ़ोतरी में अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹ 6.85 करोड़ के ब्याज का हानि वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.3 संविदा माँग की वृद्धि में विलम्ब

मौजूदा उपभोक्ता के संविदा माँग की वृद्धि की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 45.70 लाख के राजस्व अर्जित करने की अवसर की हानि हुई।

बिहार विद्युत नियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०) (वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन का मानकों) विनियम, 2006 की कंडिका 17, कंडिका 15 (4) (ख) के साथ पठित, यह निर्दिष्ट करता है कि एक मौजूदा उपभोक्ता की संविदा माँग की वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी⁹ उच्च विभव सेवाएँ (एच०टी०एस०) या हाई विभव निर्दिष्ट सेवाओं (एच०टी०एस०एस०) श्रेणी के मामले में 145 दिनों के भीतर उपभोक्ता का लोड बढ़ाया जाएगा जहां 33 के०भी० लाइन का निर्माण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त संशोधित बी०ई०आर०सी० (वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन के मानकों) विनियम, 2006 में, कंडिका 4(ख) (10) एच०टी०एस० श्रेणी में लोड की वृद्धि के मामलों में विद्युत आपूर्ति की शुरुआत के लिए निर्धारित शुल्क की प्राप्ति से 90 दिनों की समय सीमा तय करता है।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [सम्प्रति, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड¹⁰] की एक इकाई विद्युत आपूर्ति अंचल (ई०एस०सी०), पटना के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से उदघासित हुआ कि:

- एक मौजूदा निम्न विभव औद्योगिक सेवाएँ (एल०टी०आई०एस०) – I उपभोक्ता ने अपनी संविदा माँग में वृद्धि कर एच०टी०एस० – II श्रेणी में 33 के०भी० प्रणाली पर

⁶ 18.5 एम०भी०ए०/150 प्रतिशत = 12.33 एम०भी०ए०।

⁷ 18.5 एम०भी०ए०/200 प्रतिशत = 9.25 एम०भी०ए०।

⁸ 21.6 एम०भी०ए०/200 प्रतिशत = 10.8 एम०भी०ए०।

⁹ लाइसेंसी का अर्थ भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अंतर्गत उर्जा आपूर्ति के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति, कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से है।

¹⁰ नवम्बर 2012 में विघटित बी०एस०ई०बी० से निर्मित पाँच कम्पनियों में से एक।

1250 किलो वोल्ट एम्पीयर (के०भी०ए०) करने के लिए आवेदन दिया (28 अगस्त 2012), जिसमें विद्युत आपूर्ति फरवरी 2013 से आरम्भ किया जाना था।

● ई०एस०सी० पटना ने 10 दिनों की निर्धारित अवधि की तुलना में 146 दिनों की विलम्ब के उपरान्त, 22 जनवरी 2013 को कन्द्रीय विद्युत आपूर्ति एरिया बोर्ड, पटना (एरिया बोर्ड) को व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ लोड बढ़ाने के प्रस्ताव को अग्रेषित किया। तथापि, एरिया बोर्ड ने जनवरी 2014 तक आवेदित भार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

● ई०एस०सी० के विद्युत अधीक्षण अभियंता (ई०एस०ई०) के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन (अगस्त 2013) के आधार पर कथित उपभोक्ता का लोड बढ़ाने के आवेदन 30 जनवरी 2014 को ई०एस०ई०, पटना द्वारा वापस माँग लिया गया था। ई०एस०ई० द्वारा 08 फरवरी 2014 को लोड वृद्धि को स्वीकृत किया गया। तदुपरान्त उपभोक्ता ने 14 फरवरी 2014 को प्रतिभूति राशि जमा किया और 21 मई 2014 को उपभोक्ता के साथ एक एच०टी० अनुबन्ध किया गया। 481 दिनों की असामान्य विलम्ब के उपरान्त 24 जून 2014 को कथित उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति आरम्भ की गई।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि संविदा माँग में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब मुख्य रूप से कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण हुई थी चूंकि प्रत्येक स्तर पर वस्तुतः भार वृद्धि के प्रस्ताव को तैयार करने और उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करने में, एच०टी० समझौता करने में और विद्युत आपूर्ति आरम्भ करने में विलम्ब था जिसका औचित्य अथवा कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 45.70 लाख के राजस्व अर्जित करने की अवसर की हानि हुई।

तथ्यों और आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने कहा कि इस सम्बन्ध में जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का एक निर्णय लिया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.4 न्यून दर पर विपत्रीकरण के कारण राजस्व की हानि

खराब मीटर के न बदले जाने और उपभोक्ता की श्रेणी एच०टी०एस०-I में परिवर्तित नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 53.28 लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश¹¹ यह निर्दिष्ट करती है कि गैर-घरेलू सेवाएँ श्रेणी (एन०डी०एस०) हेतु निम्न विभव सेवा (एल०टी०एस०) टैरिफ, एल०टी० उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 किलोवाट (के०डब्ल्यू०) (मार्च 2012) तथा 70 के०डब्ल्यू० (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतू लागू है। 75 किलो वोल्ट एम्पीयर (के०भी०ए०) या उससे अधिक वाले भार, उच्च विभव सेवा (एच०टी०एस०)-I श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [अब साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)] की एक इकाई, विद्युत आपूर्ति मण्डल, कंकड़बाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2014) से यह प्रदर्शित हुआ कि :

● एक उपभोक्ता का, 72 के०डब्ल्यू० के सम्बद्ध भार पर एन०डी०एस०-II श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक उपभोग (एम०एम०सी०) इकाई के आधार पर मार्च 2009 से विपत्रीकरण किया जा रहा था। चूंकि एन०डी०एस०-II टैरिफ 60 के०डब्ल्यू०/70

¹¹ टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), और टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

के०डब्ल्य० के भार तक ही लागू है, इस उपभोक्ता को 60 के०डब्ल्य०/70 के०डब्ल्य० से अधिक भार पर विद्युत आपूर्ति, टैरिफ आदेश के उल्लंघन में था।

- चूँकि इस उपभोक्ता को अनुमत्य सीमा से अधिक विद्युत आपूर्ति की जानकारी कम्पनी को थी, तथापि उचित कदम उठाते हुए उपभोक्ता की श्रेणी को एन०डी०एस० – II से एच०टी०एस० – I में परिवर्तित करने की जवाबदेही कम्पनी पर थी। तथापि, कम्पनी यह कर पाने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि उपभोक्ता का उर्जा मीटर भी सितम्बर 2007 से खराब था। वितरण लाइसेंसी के निष्पादन के मानकों के अनुसार, कम्पनी द्वारा शहरी क्षेत्रों में खराब मीटर सात दिनों के भीतर बदल दिये जाने चाहिए थे। तथापि, कम्पनी द्वारा सात वर्ष बीतने के बाद सितम्बर 2015 में मीटर बदला गया। यह कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति के साथ कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता का द्योतक था।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2015) कि उपभोक्ता का भार सितम्बर 2015 से एच०टी०एस० – I में परिवर्तित कर दिया गया है और मार्च 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि के लिए ₹ 53.28 लाख का विपत्रीकरण (सितम्बर 2015) भी किया जा चुका है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वसूली की संभावना नगण्य है जैसा कि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की नियम 10.18 के अनुसार उपभोक्ता से दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त किसी राशि की वसूली तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह राशि लाइसेंसी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए बकाया शुल्कों के साथ निरंतर वसूलनीय राशि के रूप में न प्रदर्शित की जा रही हो।

इस प्रकार खराब मीटर के निर्धारित समयसीमा के भीतर न बदले जाने के साथ साथ कम्पनी द्वारा समय पर उपभोक्ता की श्रेणी एन०डी०एस० – II से एच०टी०एस० – I में नहीं परिवर्तित करने एवं कम दर पर विपत्रीकरण के कारण मार्च 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि के लिए ₹ 53.28 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

3.5 कार्यादेशों का अनियमित प्रदान होना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी०भी०सी० की दिशा-निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.04 करोड़ के कार्य का नामांकन के आधार पर अनियमित रूप से आवंटन प्रदान किया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०भी०सी०) ने सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी०भी०ओ०) को, अपने सम्बन्धित बोर्ड/प्रबन्धन को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय¹² में नामांकन के आधार पर कार्य/क्रय/परामर्शी संविदा प्रदान करने में पारदर्शिता बरतने सम्बन्धित निर्देश से अवगत कराने के लिए, एक आदेश निर्गत (जुलाई 2007) किया। सी०भी०सी० ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा प्रदान करने में निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी, एक मूलभूत आवश्यकता है, चूँकि संविदा प्रदान करने के किसी अन्य तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में दिये गये समता के अधिकार, जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों की समता निहित है, की उपेक्षा होती है।

¹² 2006 की एस०एल०पी० (असैनिक) सं० 10174 से उत्पन्न।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य, इसके निगमों, प्राधिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा सरकारी संविदाओं को सामान्य रूप से सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से ही प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक अधिग्राहियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और जिससे सभी निविदाकारों के साथ बराबरी का एवं स्पष्ट व्यवहार किया जा सके और अनियमिताओं, भ्रष्टाचार इत्यादि को दूर किया जा सके।

बिहार स्टेट पावर होलिडंग कम्पनी लिमिटेड, पटना की अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से उद्घाटित हुआ कि कम्पनी ने, बिना लोक निविदा आमंत्रित किए, स्टाफ क्वार्टर के रख—रखाव एवं अन्य कार्यों से सम्बन्धित ₹ 3.04 करोड़ के 46 कार्यादिश संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को नामांकन के आधार पर प्रदान किया (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014)। इसके अतिरिक्त, हमलोगों ने प्रेषित किया कि उपर्युक्त वर्णित कम्पनी द्वारा नामांकन के आधार पर प्रदान की गई सरकारी संविदाएँ न तो अपवाद रखकर परिस्थितियों में दी गई थीं और न ही अभिलेखों में औचित्य अथवा कारणों दर्ज पाया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित सी०भी०सी० के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए ₹ 3.04 करोड़ के कार्यों का आवंटन न सिर्फ अनियमित था बल्कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति में भी बाधक फलित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (मई 2015); जावाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ

३.६ लेबर सेस की कटौती न करना

संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अनिवार्य कटौती को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की दायित्व का सृजन हुआ।

बिहार सरकार ने, जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1966¹³ (अधिनियम), की फरवरी 2008 में निर्गत अधिसूचना में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम, नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए व्यय का एक प्रतिशत की दर से सेस की कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है।

अधिनियम की धारा ३ (२) के अनुसार, निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्र से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए इसे “भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड” (कल्याणकारी बोर्ड) के पास रेखांकित डिमांड ड्रापट के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा ८ यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक व्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

¹³ अधिनियम की धारा २(ख) यह प्रावधानित करता है कि भवन या अन्य निर्माण कार्य का अर्थ भवनों, मार्गों, सड़कों, रेलवे, ऊर्जा के उत्पादन, संचरण एवं वितरण, इत्यादि के निर्माण, सुधार, मरम्मत, देखभाल और विघटन से है परन्तु इसमें कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आता है शामिल नहीं होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015) कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुबंधी कम्पनियाँ वस्तुतः साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड लेबर सेस के मद में अधिदेशात्मक अनिवार्य कटौती नहीं कर रही थीं। इसके फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की राशि, जिसको सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा करना था, संवेदकों के विपत्रों से नहीं काटा गया। इसके परिणामस्वरूप, लेबर सेस के मद में कल्याणकारी बोर्ड, बिहार सरकार के प्रति अप्रैल 2011 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए ₹ 12.93 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि सेस की देय राशि की गणना कर ली गयी है और निधि की उपलब्धता होने पर कल्याणकारी बोर्ड को भुगतान किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए, कहा कि वर्ष 2015–16 से लेबर सेस की कटौती की जा रही है।

अतः संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अनिवार्य कटौती को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.93 करोड़ की अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

टैरिफ आदेशों एवं बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप दापिडक शुल्क का न्यून निर्धारण एवं ₹ 76.50 लाख से न्यून विपत्रीकरण हुआ।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (बी0ई0एस0सी0) के अनुसार विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग की स्थिति में बी0ई0एस0सी0 में निर्धारित सूत्रानुसार विद्युत शुल्क की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश¹⁴ यह निर्दिष्ट करती है कि गैर-घरेलू सेवाएँ वर्ग (एन0डी0एस0) हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) टैरिफ, एल0टी0 उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 67 के0भी0ए0 / 60 के0डब्ल्यू0 (मार्च 2012 तक) तथा 78 के0भी0ए0 / 70 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतु लागू है। 75 के0भी0ए0 / 67.5 के0डब्ल्यू0 या उससे अधिक वाले भार उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I¹⁵ श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के गोपालगंज प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि एक एन0डी0एस0 उपभोक्ता (उपभोक्ता सं0 : जी0पी0–15752) के परिसर के निरीक्षण के क्रम में स्वीकृत संविदा भार 21 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध सम्बद्ध भार 137 के0डब्ल्यू0 पाया (सितम्बर 2010) गया। इसी प्रकार हाजीपुर प्रमंडल के एक एन0डी0एस0 उपभोक्ता (उपभोक्ता सं0 : बी0एन0पी0–1546) के परिसर के निरीक्षण (अक्टूबर 2013) के क्रम में स्वीकृत संविदा भार 30 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध सम्बद्ध भार 172 के0डब्ल्यू0 पाया गया। तथापि, उपभोक्ता सं0 : जी0पी0–15752 एवं

¹⁴ टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), और टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

¹⁵ एच0टी0एस0–I टैरिफ न्यूनतम संविदा मांग 75 के0भी0ए0 और अधिकतम संविदा मांग 1500 के0भी0ए0 की संस्थापना के लिए विद्युत की आपूर्ति पर लागू है।

उपभोक्ता सं0 : बी0एन0पी0—1546 पर बी0ई0एस0सी0 में निर्धारित सूत्रानुसार प्रभार्य दांडिक शुल्क कमशः ₹ 41.61 लाख एवं ₹ 38.78 लाख के विरुद्ध कम्पनी द्वारा मात्र ₹ 11.89 लाख एवं ₹ 17.11 लाख दांडिक शुल्क के रूप में भारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप दांडिक शुल्क का ₹ 51.39 लाख से न्यून निर्धारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ताओं का सम्बद्ध भार एन0डी0एस0 श्रेणी के लिए निर्धारित भार से अधिक पाया गया था, उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण एच0टी0एस0—I श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। तथापि, उपभोक्ताओं की श्रेणी एच0टी0एस0—I में परिवर्तित करने और तदनुसार विपत्रीकरण करने में कम्पनी विफल रही। अतः उपर्युक्त वर्णित उपभोक्ताओं श्रेणी को कम्पनी द्वारा एच0टी0एस0—I श्रेणी में परिवर्तित करने में विफलता एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण करने के कारण अक्टूबर 2010 से मार्च 2014 की अवधि के लिए ₹ 25.11 लाख का न्यून विपत्रीकरण हुआ।

इस प्रकार, कम्पनी के बी0ई0एस0सी0 टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप दांडिक शुल्क का न्यून निर्धारण एवं ₹ 76.50 लाख से न्यून विपत्रीकरण हुआ एवं उपभोक्ताओं को इस सीमा तक अनुचित लाभ भी विस्तारित हुआ।

कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उपभोक्ता संख्या— बी0एन0पी0—1546 के विरुद्ध ₹ 71.65 लाख की दांडिक शुल्क की वसूली के लिए सर्टिफिकेट परिवाद जून 2015 में दायर किया गया है। उपभोक्ता सं0 जी0पी0—15752 के संबंध में यह कहा गया कि मई 2015 में पुनः निरीक्षण किया गया और कथित उपभोक्ता का भार मात्र 50 के0डब्ल्यू0 पाया गया और तदनुसार ₹ 41.59 लाख का विपत्रीकरण किया (फरवरी 2015) गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता संख्या जी0पी0—15752 के संबंध में कम्पनी पूर्व निरीक्षण के क्रम में पाये गये अधिक लोड के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षित दांडिक शुल्क अभी वसूल भी किया जाना है (अक्टूबर 2015)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

3.8 उपभोक्ता का गलत वर्गीकरण

स्ट्रीट लाईट उपभोक्ता के कम्पनी द्वारा गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका विपत्रीकरण न्यून दर पर किये जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा 2008—09 से 2014—15 के लिए अनुमोदित टैरिफ आदेशों की अनुच्छेद 6 यह प्रावधानित करता है कि स्ट्रीट लाईट सर्विस (एस0एस0) निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, समिति, पंचायत इत्यादि एवं ऐसे क्षेत्र, जो नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में सिग्नल प्रणाली सहित स्ट्रीट लाईट सेवा प्रणाली विद्युत की आपूर्ति पर लागू हैं, बशर्ते एक आपूर्ति बिन्दू से सम्बद्ध लैम्पों की संख्या पाँच से कम न हो। इसके अलावा, कथित टैरिफ आदेश स्ट्रीट लाईट के मीटरीकृत एवं अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को क्रमशः एस0एस0—I एवं एस0एस0-II में वर्गीकृत करती है और तदनुसार विपत्रीकरण का प्रावधान करती है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के गोपालगंज प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ (सितम्बर 2014) कि एक अमीटरीकृत उपभोक्ता, अधिसूचित क्षेत्र समिति, मीरगंज, जिसका सम्बद्ध भार 380 के0डब्ल्यू0 था, एस0एस0—I श्रेणी के अन्तर्गत अप्रैल 2010 से विपत्रीकृत किया जा रहा था। चूंकि कथित उपभोक्ता एक अमीटरीकृत उपभोक्ता था अतः इसका विपत्रीकरण प्रचलित

टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार एस0एस0-II श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के एस0एस0-I श्रेणी के तहत गलत वर्गीकरण एवं उसका न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण, कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 6.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.96 करोड़ किया गया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2015) कि ₹ 2.33 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण (मई 2015) कर लिया गया है और उपभोक्ता की श्रेणी भी एस0एस0 – II परिवर्तित कर दी गई है। तथापि, तथ्य यही है कि ₹ 3.08 करोड़ की राशि अभी भी वसूलनीय (अक्टूबर 2015) है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.9 पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्रय पर परिहार्य व्यय

कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मरों (पी0टी0आर0) की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, अब बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), अपने से विधित हुई कम्पनियों में से एक, ने बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 (बी0एफ0आर0) के अनुसार भविष्य में क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया को अंगीकार (जुलाई 2008) किया। संविदा हेतु सामान्य सिद्धांत से संबंधित बी0एफ0आर0 का नियम 30 (viii) (अ), यह प्रावधानित करती है, कि मूल्य विभिन्नता उपवाक्य केवल दीर्घावधि संविदा में प्रदान की जा सकती है और जहाँ आपूर्ति अवधि 18 महीनों से अधिक हो जबकि अल्पकालिक संविदाओं में स्थिर और स्थायी मूल्यों का प्रावधान होना चाहिए।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि कम्पनी ने बी0एफ0आर0 के उल्लंघन में मूल्य विभिन्नता के आधार पर दो 50 एम0भी0ए0 और दो 100 एम0भी0ए0 पावर ट्रांसफॉर्मरों¹⁶ (पी0टी0आर0) की क्रय हेतु दो¹⁷ निविदायें आमंत्रित (सितम्बर 2010 और अक्टूबर 2011) की जबकि आपूर्ति क्रयादेश निर्गत होने की तिथि से नौ महीनों के अंतर्गत किया जाना था। दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 का क्रय सीतामढी ग्रिड सब-स्टेशन (जी0एस0एस0) और सबौर जी0एस0एस0 पर स्थापना हेतु था जबकि दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 का क्रय बेगूसराय जी0एस0एस0 और फतुहा जी0एस0एस0 पर स्थापन उद्देश्य हेतु था। कम्पनी ने अप्रैल 2011 और जुलाई 2012 में क्रमशः दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 और दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को दो¹⁸ क्रय आदेश निर्गत किया। आपूर्ति अवधि के दौरान, ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न घटकों की कीमतों में मूल्य वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी को मूल्य वृद्धि उपवाक्य के मद में ₹ 95.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

¹⁶ दो 50 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की स्थलीय लागत ₹ 3.97 करोड़ और दो 100 एम0भी0ए0 पी0टी0आर0 की स्थलीय लागत ₹ 6.54 करोड़।

¹⁷ एन0आई0टी0 सं0: 178 / पी0आर0 / बी0एस0ई0बी0 / 11 दिनांक अक्टूबर 2010 और एन0आई0टी0 सं0: 181 / पी0आर0 / बी0एस0ई0बी0 / 2010 दिनांक सितम्बर 2010।

¹⁸ क्रयादेश सं0: 11 / ई0बी0 दिनांक 03.04.2012 और क्रयादेश सं0: 16 / ई0बी0 दिनांक 19.07.2012।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि चूंकि ट्रांसफॉर्मर के लिए आपूर्ति अवधि 18 महीनों से कम की थी, अतः कम्पनी को, कथित ट्रांसफॉर्मरों का क्रय इस हेतु बी0एफ0आर0 के नियम 30 (viii) (अ) के अनुसार स्थिर मूल्यों के आधार पर ही करना चाहिए था।

प्रबंधन ने बताया (मई 2015) कि पी0टी0आर0 का क्रय परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर न्यायोचित था चूंकि ट्रांसफॉर्मर के घटकों की कीमत लगातार बदलती रहती हैं यहाँ तक कि छोटी अवधि में भी। इसके अलावा, एक स्थिर मूल्य प्रणाली को अपनाने की स्थिति में “स्थिर मूल्य” बनाए रखने के क्रम में निविदाकार उच्च स्तर पर मूल्य भी उद्धृत कर सकता है जो मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुए भुगतान की राशि से ज्यादा भी हो सकता है। तथापि, तथ्य यही है कि कम्पनी बी0एफ0आर0 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थायी मूल्य के आधार पर पी0टी0आर0 की क्रय में विफल रहा।

इस प्रकार, कम्पनी की ओर से वित्तीय हितों की अनदेखी और एक स्थायी आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मर की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 95.77 लाख का परिहार्य अधिव्यय फलित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.10 क्रय किए गए गेहूँ के अनुचित भंडारण के कारण हानि

अनुचित भंडारण एवं क्रय किए गए गेहूँ की ससमय ढुलाई में विफलता के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट तथा कमियों के कारण ₹ 20.09 करोड़ का हानि फलित हुआ।

बिहार सरकार (अप्रैल 2012) ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को रबी विपणन ऋतु (आर0एम0एस0) 2012–13 में राज्य में गेहूँ की क्रय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। कम्पनी एवं प्राथमिक कृषि साख समितियाँ¹⁹ (पैक्स) को क्रय एजेंसियों के तौर पर अधिकृत किया गया। कम्पनी को पैक्स एवं किसानों से प्राप्त गेहूँ भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) को ₹ 1426.04 प्रति किवंटल की दर से आपूर्ति करना था। गेहूँ सरकार द्वारा निर्धारित मानकों²⁰ के अनुसार क्रय किया जाना था। गेहूँ का क्रय 15 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2012 की अवधि में किया जाना था और इस प्रकार क्रय किये गये गेहूँ को 31 दिसम्बर 2012 तक एफ0सी0आई0 को आपूर्ति किया जाना था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015) से पता चला है कि कम्पनी के चार जिला कार्यालयों अर्थात् भमुआ, भोजपुर, बक्सर और पटना कार्यालयों द्वारा 87230.12 मीट्रिक टन (एम0टी0) गेहूँ का क्रय किया गया एवं जून 2012 से फरवरी 2013 तक की अवधि के दौरान एफ0सी0आई0 को 50123.36 मीट्रिक टन गेहूँ पहुँचाया गया। क्रय किए गये गेहूँ की शेष मात्रा 37106.76 एम0टी0 या तो एफ0सी0आई0 के ससमय नहीं पहुँचाया गया या घटिया गुणवत्ता के आधार पर एफ0सी0आई0 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। एफ0सी0आई0 द्वारा गेहूँ की अस्वीकृति के बाद, कम्पनी द्वारा विभिन्न बिक्री केन्द्रों द्वारा क्रय किए गए गेहूँ के नमूने, गुणवत्ता परीक्षण हेतु एफ0सी0आई0 को भेजे गए थे। वर्णित गुणवत्ता परीक्षण से भी उद्घाटित (मई 2013) हुआ कि नमूने

¹⁹ प्राथमिक कृषि साख समितियाँ बिहार सरकार द्वारा गेहूँ एवं अन्य फसलों की क्रय हेतु नामित समितियाँ हैं।

²⁰ गेहूँ अच्छी विपणन योग्य स्थिति में होनी चाहिए। नभी 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, विजातीय तत्व, अन्य खाद्यान्न, क्षतिग्रस्त अन्न एवं आंशिक क्षतिग्रस्त अन्न कमशः 0.75%, 2%, 2% और 6% से अधिक नहीं होना चाहिए।

संक्रमित थे। इसके अतिकित, अभिलेखों से यह भी उद्घाटित हुआ कि गेहूँ की ससमय ढुलाई नहीं होने एवं क्रय किए गए गेहूँ के अवैज्ञानिक भंडारण के परिणामस्वरूप 37106.76 एम0टी²¹ भंडार की गई गेहूँ की गुणवत्ता में गिरावट हुई।

कम्पनी ने, गेहूँ की गुणवत्ता में अग्रेतर गिरावट को टालने हेतु, उपर्युक्त वर्णित जिलों में नीलामी के माध्यम से गेहूँ की शेष मात्रा का निपटान (मार्च और जुलाई 2013) किया। क्रय किए गये 37106.76 एम0टी0 गेहूँ की शेष मात्रा में से, मात्र 28076.96 एम0टी0 गेहूँ ₹ 31.54 करोड़ के लिए नीलाम किया गया था जोकि अन्यथा अच्छी हालत में एफ0सी0आई0 को आपूर्ति करने पर ₹ 40.05 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को गेहूँ की नीलामी के मद में ₹ 8.49 करोड़ एवं 9029.80 एम0टी0 गेहूँ की कमी के कारण ₹ 11.60 करोड़²² की हानि वहन करना पड़ा।

इस प्रकार, एफ0सी0आई0 हेतु क्रय की गई गेहूँ की ससमय ढुलाई में कम्पनी की विफलता एवं गेहूँ की दीर्घावधि तक अनुचित भंडारण के फलस्वरूप गेहूँ की गुणवत्ता में आई गिरावट एवं अनाज की कमियों के कारण ₹ 20.09 करोड़ हानि फलित हुआ।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.11 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान

तीन कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 31 करोड़ का अनियमित अंशदान दिया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 181²³ यह प्रावधानित करती है कि एक कम्पनी के निदेशक मण्डल सदाशयी धर्मार्थ एवं अन्य कोष में अंशदान कर सकती है बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदान की कुल राशि शीघ्र पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के पाँच प्रतिशत, से अधिक हो, तो कम्पनी की आम सभा में कम्पनी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि तीन कम्पनियों वस्तुतः बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एल0), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बी0एस0बी0सी0सी0एल0) एवं बिहार राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी0एस0बी0सी0एल0) ने कुल ₹ 31 करोड़ की राशि वर्ष 2013–14 के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया जो कि शीघ्र पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों हेतु उनकी औसत लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि अंशदान राशि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक था, आम सभा में अंशधारकों की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कम्पनियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 31 करोड़ का अनियमित अंशदान दिया (फरवरी 2014 से मार्च 2014)।

बी0आर0पी0एन0एल0, ने कहा (फरवरी 2015) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान हेतु निर्णय को, कम्पनी के अंशधारकों ने असाधारण आम सभा में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके अतिकित बी0एस0बी0सी0सी0एल0 ने कहा (जनवरी 2015) कि इस अंशदान की तिथि

²¹ भमुआ – 6009.38 एम0टी0, भोजपुर – 8554.77 एम0टी0, बक्सर – 16380.95 एम0टी0 एवं पटना – 6161.66 एम0टी0।

²² न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि ₹ 1285 प्रति किंवंतल पर गणनित।

²³ 12 सितम्बर 2013 से प्रभावी।

के उपरान्त बोर्ड की आहूत बैठक में कम्पनी द्वारा की गई अंशदान का अनुसमर्थन एवं अंशधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशकों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। बी०एस०बी०सी०एल० ने अपने प्रारम्भिक उत्तर में कहा (मई 2015) कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान सी०एस०आर० व्यय का एक हिस्सा था, जिसके लिए आम सभा की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बी०आर०पी०एन०एन०एल० एवं बी०एस०बी०सी०सी०एल० के प्रशासनिक विभागों ने कम्पनियों के प्रबन्धन के जवाब से सहमति जताई।

कम्पनियों/विभागों का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि एक वास्तविक धर्मार्थ या किसी अन्य कोष में अंशदान केवल आम सभा में कम्पनी की पूर्व सहमति के साथ किया जा सकता है और इस तरह का अंशदान कार्योत्तर अनुमोदन के माध्यम से नियमित नहीं किया जा सकता है।

मामला कम्पनियों/सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल और जुलाई 2015) किया गया; बी०एस०बी०सी०एल० प्रबन्धन तथा प्रशासनिक विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

3.12 अधिशेष निधि का अतार्किक निवेश

दो कम्पनियों द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न कर अधिशेष निधियों का निवेश करने के कारण ₹ 31.06 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धान्त यह इंगित करता है कि एक व्यापारिक इकाई का अधिशेष धन, इस तरह से निवेशित किया जाना चाहिए कि यह व्यापारिक इकाई के संसाधनों को अधिकतम करें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को भी संसाधनों के अधिकतमीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनी वित्तीय हितों का ध्यान रखना चाहिए।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बी०एस०टी०बी०पी०सी०एल०) एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०ई०डी०सी०एल०) के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015) से उद्घाटित हुआ कि :

- बी०एस०टी०बी०पी०सी०एल० द्वारा अपने अधिशेष निधि ₹ 55.09 करोड़ का निवेश (मई 2011 से अप्रैल 2014) विभिन्न बैंकों के साथ अल्प दर ब्याज प्रदान करने वाली 19 सावधि जमाओं में किया। यह प्रेक्षित किया गया बी०एस०टी०बी०पी०सी०एल० द्वारा एक ही तिथि पर परिपक्वता की उसी अवधि हेतु कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज की अधिकतम दर की तुलना किये बिना कम ब्याज दर पर अधिशेष धन का निवेश किया गया। बी०एस०टी०बी०पी०सी०एल० द्वारा अपने अधिशेष निधि को सावधि जमाओं में अल्प दर पर निवेश करने के अतार्किक वित्तीय निर्णय के कारण ₹ 24.52 लाख के ब्याज की हानि हुई।
- बी०एस०ई०डी०सी०एल० ने ₹ 10.76 करोड़ और ₹ 7.74 करोड़ की अपनी अधिशेष निधि का निवेश (जून 2013 से जुलाई 2013) अल्प दर पर ब्याज प्रदान करने वाली क्रमशः तीन और सात सावधि जमाओं में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में किया तथापि उसी तिथि के दिन ₹ एक करोड़ तक के जमा पर तुलनात्मक रूप में उसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज का दर अधिक था। बी०एस०ई०डी०सी०एल० द्वारा अपने अधिशेष निधि सावधि जमाओं में अल्प दर पर निवेश करने के अतार्किक वित्तीय निर्णय के कारण ₹ 6.54 लाख के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने तथ्यों और आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखा परीक्षा अवलोकन, भविष्य में अनुपालन हेतु अंकित कर लिया गया है।

इस प्रकार, कम्पनियों को उनके द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न कर अधिशेष निधियों का निवेश करने के कारण ₹ 31.06 लाख के ब्याज की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) है।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.13 नियोजन का अभाव

नियोजन के अभाव के साथ ही साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय सारणी का पालन करने में कम्पनी द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.57 करोड़ के दण्ड की कटौती हुई।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी०एस०पी०पी०) के साथ सर्वशिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) के तहत पुस्तकों की आपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन (एम०ओ०य०) पर हस्ताक्षर करती है। कथित समझौता ज्ञापन, अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक वर्ष, मार्च के अन्त तक पाठ्य-पुस्तकों/मुद्रण सामग्री का मंडल तक वितरण पूर्ण हो जाएगा, जिसमें विफल रहने पर बी०एस०पी०पी० द्वारा दंड भारित किया जा सकता है जो कम्पनी को स्वीकार्य होगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संविक्षा से उद्घाटित हुआ कि:

- यद्यपि, पाठ्य पुस्तकों की वितरण हेतु एक समय सीमा एवं/अथवा लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कम्पनी बी०एस०पी०पी० द्वारा तय समय-सारणी का पालन करने में विफल रहा।
- कम्पनी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति में छः से सात महीनों का विलम्ब था, जिसके लिए बी०एस०पी०पी० द्वारा दण्ड के रूप में कम्पनी की विपत्रों से ₹ 47.57²⁴ करोड़ की कुल कटौती की गयी।

हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि कम्पनी समय पर पाठ्य-पुस्तकों की मुद्रण/आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ योजना विकसित करने में विफल रहा है और पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण और आपूर्ति की प्रत्येक स्तर अर्थात् निविदा को अंतिम रूप देने, कागजों का क्रय, सेट बनाने के साथ ही पाठ्य-पुस्तकों के प्रेषण में चार से सात महीने का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक वर्ष 2012–13 में कम्पनी द्वारा ₹ 22.88 करोड़ के दण्ड के भुगतान के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2013–14 में भी ऐसे अनुचित विलम्बों के दृष्टांत पाए गए। यह न केवल मुद्रण समय-सारणी के अनुपालन नहीं होने का द्योतक था बल्कि मुद्रण-कार्य के समय पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा नियोजन के अभाव को दर्शाता है।

इस प्रकार, नियोजन का अभाव और कम्पनी द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा तय की गई मुद्रण और आपूर्ति समय-सारणी का पालन करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.57 करोड़ के दण्ड की कटौती हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2015) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कागजों की आपूर्ति में विलम्ब एवं, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से पांडुलिपियाँ की प्राप्ति में विलम्ब,

²⁴ शैक्षणिक वर्ष 2012–13: ₹ 22.88 करोड़ और शैक्षणिक वर्ष 2013–14: ₹ 24.69 करोड़।

कार्यक्रम क्रियान्वयन के मध्य में बी0एस0पी0पी0 द्वारा प्रार्थित पुस्तकों में परिवर्तन इत्यादि के परिणामस्वरूप पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब हआ था। इसके अतिरिक्त, बी0एस0पी0पी0 द्वारा कम्पनी पर दण्ड के रूप में भारित किए गए ₹ 47.57 करोड़ की राशि की वापसी हेतु प्रयत्न किया जा रहा है।

जवाब तर्कसंगत नहीं है चूँकि विभिन्न चरणों में विलम्ब नियमित प्रकृति के थे और पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर उनके प्रभाव और उसके एवज में लगाए दण्ड को पुस्तकों के ससमय मुद्रण एवं वितरण हेतु एक सुदृढ़ योजना बनाकर टाला जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.14 कम्पनी को हानि

सेट-निर्माताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट-निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल कर पाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), अन्य कार्यों के अतिरिक्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी0एस0पी0पी0) को सर्वशिक्षा अभियान योजना (एस0एस0ए0) के अन्तर्गत पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के बीच वितरण हेतु पुस्तकों की आपूर्ति करता है। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी, निजी मुद्रकों को आदेश देता है, जो कम्पनी की ओर से, पुस्तकें मुद्रण कर इनकी आपूर्ति सेट-निर्माता के गोदामों में करते हैं। सेट निर्माता, कम्पनी की ओर से, जिलों के सम्बन्धित मंडलों को पुस्तकों की आपूर्ति करते हैं। एस0एस0ए0 हेतु वर्ग-वार/छात्र-वार/जिला-वार पाठ्य पुस्तकों के सेट बनाने एवं प्रखण्ड-वार ढुलाई हेतु निविदा प्रलेख की उपावाक्य 18, अन्य बातों के अलावा, यह प्रावधानित करती है कि बोलीदाता, कम्पनी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, प्लास्टिक चैट बैग में पाठ्य पुस्तकों का सेट बनाकर सभी वर्ग-वार/छात्र-वार/जिला-वार पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रखण्ड स्तर तक सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, पारगमन में या अन्यथा हानि, क्षति और कमी, बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2014) से उदघासित हुआ कि :

- एस0एस0ए0 के शैक्षणिक वर्ष 2012–13 और 2013–14 के लिए कुल 19,53,99,521 पुस्तकों का मुद्रण हुआ एवं इनकी आपूर्ति मुद्रकों द्वारा सेट-निर्माताओं को की गई।
- तथापि, सेट-निर्माताओं द्वारा, उपर्युक्त वर्णित शैक्षणिक वर्ष हेतु विभिन्न जिलों के लिए केवल 19,33,32,330 पुस्तकों की आपूर्ति की गयी थी। इस प्रकार, मुद्रकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों की संख्या की तुलना में सेट-निर्माताओं द्वारा ₹ 5.20 करोड़ मूल्य के 18,53,498²⁵ पुस्तकों की कम आपूर्ति की गयी थी।

हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था चूँकि सेट-निर्माता द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई भी तंत्र अस्तित्व में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी में मुद्रकों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या और

²⁵ अंत शेष 213693 पुस्तकों का समायोजन करने के बाद।

सेट-निर्माता द्वारा विभिन्न जिलों के लिए आपूर्ति की गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या के समाशोधन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी जिलों के सम्बन्धित ब्लॉक में मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की अनुश्रवण में विफल रहा। कम्पनी यह भी सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सभी मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सेट बनाने हेतु किया गया एवं इसकी आपूर्ति लक्षित प्रखण्डों में कर दी गई।

- कम आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों के मूल्य ₹ 5.20 करोड़ की राशि सेट-निर्माता के विपत्रों से वसूल कर लिया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी द्वारा यह नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

इस प्रकार, सेट-निर्माताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही सेट-निर्माताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई पुस्तकों की लागत वसूल करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 5.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया गया; जवाब प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2015)।

५१७। ३।१२। १८

(पी० के० सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना

दिनांक 22 जनवरी 2016

प्रतिहस्ताक्षरित


शशी कान्त शर्मा

(शशी कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 25 जनवरी 2016



परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1

(कंडिका 1.1 एवं 1.15 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों / लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(कॉलम 5 से 12 की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संवित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [*]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [₹]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-00	2013-14	3.71	27.93	(-)58.45	1.89	(-)4.99	-	0.82	(-)2.25	-	71
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	1.75	2.63	(-)1.92	-	(-)0.22	-	1.74	(-)0.05	-	21
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2015-16	0.05	-	(-)1.78	-	0.03	-	1.14	0.03	2.63	अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग			5.51	30.56	(-)62.15	1.89	(-)5.18	-	3.70	(-)2.27	-	92
	वित्त												
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2006-07 2007-08 2008-09	2015-16	15.12	53.48	(-)155.24	3.06	(-)1.45	-	31.29	1.72	5.50	39
5.	बिहार राज्य पिछळा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	2006-07	3.62	16.00	0.53	0.64	(-)0.29	-	3.86	0.39	10.10	18
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2010-11	2015-16	28.29	27.55	(-)8.49	3.24	(-)0.01	-	43.69	0.86	1.97	30
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1995-96	2014-15	1.00	0.15	(-)0.13	-	0.01	-	1.01	0.03	2.97	07
	प्रक्षेत्रवार योग			48.03	97.18	(-)163.33	6.94	(-)1.74	-	79.85	3.00	3.76	94
	आधारमूल												
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2008-09	2014-15	0.10	0.43	(-)10.84	1.05	3.06	-	(-)10.31	3.06	-	350
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12 2012-13	2014-15	3.50	-	182.17	117.37	106.99	0.05	316.84	106.99	33.77	272
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13 2013-14	2014-15	5.00	-	8.69	28.76	14.59	0.25	13.90	26.96	193.96	140

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/ कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संवित लाभ (+)/ हानि(-)	आर्वत्त	शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [*]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	20.00	193.00	225.63	749.07	58.57	(-)690.97	370.63	58.57	15.80	109
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	5.00	-	14.28	220.93	10.94	-	24.86	10.94	44.01	81
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14 2014-15	2014-15 2015-16	20.00	-	111.26	83.34	72.63	**	131.26	72.63	55.33	230
प्रक्षेत्रवार योग				53.60	193.43	531.19	1200.52	266.78	(-)690.67	847.18	279.15	32.95	1182
विनिर्माण													
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2011-12 2012-13 2013-14	2014-15 2014-15 2014-15	5.66	6.00	35.04	57.57	8.14	-	70.41	9.06	12.87	69
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.97	-	7.04	31.55	9.29	-	20.68	9.29	44.92	01
16.	बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	5.00	-	39.57	3155.31	132.87	3.58	50.17	132.87	264.84	240
प्रक्षेत्रवार योग				20.63	6.00	81.65	3244.43	150.30	3.58	141.26	151.22	107.05	310
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-01	2013-14	99.04	466.43	(-)28.18	9.12	(-)1.42	(-) 11.01	279.75	4.49	1.61	171
18.	बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2015-16	8923.96	91.32	-	-	-	-	9504.03	-	-	335
19.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	2005.42	2133.87	-	-	-	-	4414.22	-	-	441
20.	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	2307.08	289.30	(-)24.19	223.21	(-)24.19	(-) 23.15	4115.92	(-)9.99	-	1641
21.	नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13 2013-14	2014-15	2170.84	1548.48	(-)714.34	2581.26	(-)74.26	635.96	5854.03	(-)29.62	0.51	3706
22.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	2268.85	2097.11	(-)1410.37	4038.28	(-)268.69	1656.42	5194.74	(-)248.63	-	5665
23.	बिहार ग्रिड कम्पनी	2014-15	2015-16	20.05	38.50	-	-	-	(-)0.74	58.55	-	-	21

क्रम सं०	प्रक्षेत्र / कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	लिमिटेड												
24.	पीरपेंटी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
25.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग	-	-	17795.24	6665.01	(-2177.08	6851.87	(-368.56	2257.48	29421.24	(-)283.75	-	11980
	सेवाएँ												
26.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2015-16	5.00	-	9.38	9.79	2.16	-	75.64	2.16	2.86	261
27.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1990-91	2012-13	4.46	3924.83	(-)46.04	140.14	(-)11.18	(-) 3.37	39.12	(-) 3.02	-	661
28.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	6.74	-	2.31	0.36	2.49	-	9.05	2.49	27.51	37
	प्रक्षेत्रवार योग			16.20	3924.83	(-)34.35	150.29	(-)6.53	(-)3.37	123.81	1.63	1.32	959
	विविध												
29.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	2.29	-	0.32	22.81	0.28	(-)0.40	1.17	0.28	23.93	108
30.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1999-00 2000-01	2014-15 2014-15	0.48	-	1.64	12.59	4.15	-	2.12	4.15	195.75	77
	प्रक्षेत्रवार योग	-	-	2.77	-	1.96	35.40	4.43	(-)0.40	3.29	4.43	-	185
	योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)	-	-	17941.98	10917.01	(-)1818.55	11491.3 4	39.50	1566.62	30620.33	153.41	0.50	14802
	(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें												
	वित्त												
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	2014-15	2015-16	77.84	228.47	(-)421.65	5.03	(-)17.66	***	54.76	(-)0.59	-	180
	प्रक्षेत्रवार योग			77.84	228.47	(-)421.65	5.03	(-)17.66		54.76	(-)0.59	-	180

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	प्रक्षेत्र / कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सेवाएँ												
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2005-06	2015-16	101.28	547.79	(-)902.98	56.33	(-)59.23	-	(-)713.22	(-)22.09	-	750
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	2014-15	6.42	-	5.42	66.94	0.81	(-)8.47	19.26	0.99	5.14	158
	प्रक्षेत्रवार योग			107.70	547.79	(-)897.56	123.27	(-)58.42	(-)8.47	(-)693.96	(-)21.10	-	908
	योग (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)			185.54	776.26	(-)1319.21	128.30	(-)76.08	(-)8.47	(-)639.20	(-)21.69	-	1088
	कुल योग (का+ख)			18127.52	11693.27	(-)3137.76	11619.6 4	(-)36.58	1558.15	30017.13	131.72	0.44	15890
	(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	5.00	49.68	11.20	-	2.17	-	26.70	2.42	9.06	अनुपलब्ध
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	6.72	-	(-)10.57	-	(-)0.00 ¹	-	4.86	0.00 ²	-	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	5.60	8.55	(-)0.86	0.01	(-)0.26	-	9.53	(-) 0.13	-	अनुपलब्ध
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1990-91 1991-92	2013-14	7.57	12.60	(-)34.73	3.70	(-)2.22	-	(-)6.64	(-)1.65	-	136
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2010-11	2.10	1.12	(-)7.82	-	(-)0.92	(-)0.14	(-) 0.07	(-)0.19	-	09
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	0.57	1.54	(-)1.03	-	(-)1.03	-	2.35	(-)0.87	-	53
7.	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
8.	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
9.	स्काडा एयो फॉर्सेस्ट्री लिमिटेड, आरा	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध

¹ ₹ 45,560

² ₹ 45,560

क्रम सं०	प्रक्षेत्र / कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
12.	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगोल	-	-	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग	-	-	27.56	73.49	(-)43.81	3.71	(-)2.26	(-) 0.14	36.73	(-)0.42	-	198
	वित्त												
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	1.44	-	(-)0.03	-	(-)0.01	-	5.86	0.23	3.92	54
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	6.28	1.16	(-)0.44	-	(-)0.10	(-)0.01	7.08	0.01	0.14	अनुपलब्ध
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	7.18	21.23	(-)16.56	15.22	(-)1.42	(-)0.53	1.86	(-)0.27	-	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1988-89 to 2003-04 2004-05	2015-16	14.04	66.56	(-)133.78	-	(-)13.56	-	127.62	(-)4.22	-	768
	प्रक्षेत्रवार योग			28.94	88.95	(-)150.81	15.22	(-)15.09	(-) 0.54	142.42	(-)4.25	-	871
	आधारभूत संरचना												
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	2015-16	7.00	2.03	(-)23.60	10.35	(-)2.41	-	(-)15.09	(-)2.41	-	146
	प्रक्षेत्रवार योग			7.00	2.03	(-)23.60	10.35	(-)2.41	-	(-)15.09	(-)2.41	-	146
	विनिर्माण												
18.	बिहार सोलरैंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	0.66	0.89	(-)0.32	-	(-)0.32	(-) 0.24	1.67	(-)0.21	-	अनुपलब्ध
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-	-	-	05
20.	कुमारधुबी मेटल कारिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1994-95	1995-96	2.17	6.63	(-)8.16	10.89	(-)2.39	-	0.91	(-)2.01	-	अनुपलब्ध
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1987-88	1998-99	1.21	4.51	(-)0.22	0.75	(-)0.15	-	1.02	(-)0.10	-	अनुपलब्ध
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2002-03	1.26	-	(-)0.49	0.41	(-)0.10	-	0.52	(-)0.10	-	अनुपलब्ध

क्रम सं०	प्रक्षेत्र / कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अनितमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23.	बैलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	9.97	322.95	(-)72.31	-	(-)9.20	(-)4.67	(-)10.24	(-)3.20	-	अनुपलब्ध
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	3.62	4.25	(-)0.74	-	(-)0.17	-	6.87	(-)0.17	-	52
27.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1983-84	1987-88	0.67	0.02	(-)0.06	-	(-)0.03	-	0.80	(-)0.03	-	अनुपलब्ध
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.94	1.28	(-)0.16	-	(-)0.03	-	1.16	(-)0.03	-	अनुपलब्ध
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	4.98	2.27	(-)0.32	-	(-)0.09	(-)0.02	3.72	(-)0.09	-	51
	प्रक्षेत्रवार योग			25.48	343.30	(-)82.78	12.05	(-)12.48	(-)4.93	6.43	(-)5.94		108
	सेवाएँ												
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	2.00	1.22	(-)0.01	4.94	(-)0.10	(-)0.03	3.75	0.10	2.69	23
	प्रक्षेत्रवार योग			2.00	1.22	(-)0.01	4.94	(-)0.10	(-)0.03	3.75	0.10		23
	विविध												
31.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	1.56	10.72	(-)0.31	-	(-)0.06	0.00 ³	1.44	(-)0.06	-	अनुपलब्ध
32.	बिहार राज्य ग्लेज़ टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	0.16	3.66	(-)0.51	-	(-)0.08	-	3.50	0.06	-	32
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	0.40	0.81	(-)0.01	-	(-)0.01	-	0.69	(-)0.01	-	अनुपलब्ध
34.	झंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.42	0.46	(-)0.02	-	(-)0.01	(-)0.03	0.59	(-)0.01	-	13

³ ₹ 36,000

क्रम सं०	प्रक्षेत्र / कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2015 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आर्वत्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव*	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2015 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	1.03	2.14	(-)0.67	-	(-)0.32	-	2.49	(-)0.16	-	अनुपलब्ध
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1986-87	1.47	9.18	(-)2.13	-	(-)1.49	-	6.15	(-)1.49	-	अनुपलब्ध
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1983-84	1987-88	0.09	1.05	(-)0.01	-	(-)0.02	-	0.17	(-)0.02	-	-
38.	भवानी ऐकिटव कार्बन लिमिटेड	1985-86	1989-90	0.02	-	(-)0.01	-	(-)0.01	-	0.01	(-)0.01	-	अनुपलब्ध
39.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	5.14	14.13	(-)2.92	-	(-)0.37	(-)0.01	2.56	(-)0.29	-	अनुपलब्ध
40.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	-	6.09	-	-	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				10.29	48.24	(-)6.59	-	(-)2.37	(-)0.04	17.60	(-)1.99		45
योग-ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				101.27	548.23	(-)307.60	46.27	(-)34.71	(-)5.68	191.84	(-)14.91		1391
कुल योग (क+ख+ग)				18228.79	12241.50	(-)3445.36	11665.9 1	(-)71.29	1552.47	30208.97	116.81	0.39	17281

उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं० 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं० 7 से 12, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) के अन्तर्गत अन्य कम्पनियों के रूप में सम्मिलित हैं।

* लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सी०ए०जी० के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बॉण्डों जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचलन पूँजी, के योग का द्योतक है। कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची IV में संशोधन के फलस्वरूप नियोजित उपरांत पूँजी की गणना अंशधारकों का कोष (जैसा कि अंश पूँजी, आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि संचित हानि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद के मुक्त संचय) एवं दीर्घकालीन ऋणों के योग से की गई।

\$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल को गणना लाभ-हानि लेखे पर आय एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** इन सा०क्ष०उ० की लेखाओं की सी०ए०जी० द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में है।

*** सांविधिक निगमों के लेखाओं की सी०ए०जी० द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में हैं, जो कि इन निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

परिशिष्ट – 1.2

(कंडिका 1.11 में संदर्भित)

साठें०३० जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	साठें०३० का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण हैं	प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में है				
				अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य जो निर्दिष्ट होने हैं (अर्थसाहाय्य)	कुल
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-00	3.71	-	2.28	59.69	-	61.97
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	0.26	-	7.14
3.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2008-09	15.12	-	53.48	-	-	53.48
4.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	3.62	17.74	7.49	-	-	25.23
5.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2010-11	28.29	2.10	-	90.00	-	92.10
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1995-96	1.00	-	0.01	-	0.50	0.51
7.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-	11.00
8.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-2001	99.04	-	157.70	-	-	157.70
9.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2005.42	211.24	-	3.47	-	214.71
10.	बिहार स्टेट पावर ड्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2307.08	721.94	-	70.00	-	791.94
11.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2170.84	848.83	14.08	816.09	1087.74	2766.74
12.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2268.85	661.00	27.58	-	1794.03 [#]	2482.61
13.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	5.00	-	-	-	12.00	12.00

14.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1990-91	4.46	0.81	1201.23	-	-	1202.04
15.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	6.74	-	-	363.90	-	363.90
16.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2000-01	0.48	-	-	-	23.00	23.00
	कुल (क)		8931.37	2464.91	1469.48	1414.41	2917.27	8266.07
ख. कार्यशील सांविधिक निगमें								
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2005-06	101.28	-	456.77	-	-	456.77
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	6.42	-	-	16.00	31.37	47.37
	कुल (ख)		107.70	-	456.77	16.00	31.37	504.14
	कुल (क+ख)		9039.07	2464.91	1926.25	1430.41	2948.64	8770.21

* आँकड़े साठें हैं द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर आधारित हैं

आँकड़ों में अर्थसाहाय्य एवं अनुदान की राशि सम्मिलित

परिशिष्ट – 2.1.1

(कंडिकाएँ 2.1.1 एवं 2.1.24 में संदर्भित)

कम्पनी को आवंटित परियोजनाओं एवं कम्पनी द्वारा पूर्ण किये गए परियोजनाओं की विवरणी


वर्ष		प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान संकलित		कुल		पूर्ण किए		अपूर्ण	
		परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
2010–11	पुलें	240	3502.89	303	1378.86	543	4881.76	195	797.70	348	4084.06
	अन्य संरचनाओं	41	714.51	42	47.21	83	761.726	5	9.94	78	751.78
2011–12	पुलें	348	4084.06	171	1174.59	519	5258.64	255	875.54	264	4383.10
	अन्य संरचनाओं	78	751.78	51	66.12	129	817.9	32	30.68	97	787.22
2012–13	पुलें	264	4383.10	263	2366.42	527	6749.52	134	744.10	393	6005.42
	अन्य संरचनाओं	97	787.22	4	11.46	101	798.68	15	61.28	86	737.40
2013–14	पुलें	393	6005.42	148	4401.56	541	10407	98	1193.55	443	9213.43
	अन्य संरचनाओं	86	737.40	146	135.45	232	872.85	24	24.91	208	847.94
2014–15	पुलें	443	9213.43	127	670.73	570	9884.16	139	579.50	431	9304.66
	अन्य संरचनाओं	208	847.94	4	10.50	212	858.44	17	27.09	195	831.35
कुल				1259	10262.90			914	4344.29	626	10136.01

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिषिक्त - 2.1.2

(कंडिका 2.1.1 में संदर्भित)

ଫରେଲି



परिशिष्ट – 2.1.3

(कंडिका 2.1.5 में संदर्भित)

(अ) वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (औपबंधिक)	2014–15 (औपबंधिक)
प्रदत्त पूँजी	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
संचय एवं आधिक्य	166.50	250.14	313.34	385.19	464.86
गैर-चालू देनदारियाँ	4945.30	6622.74	8063.44	9809.14	11725.38
चालू देनदारियाँ एवं प्रावधानें	20.27	42.68	32.26	38.27	44.89
कुल	5135.57	6919.06	8412.54	10236.10	12238.63
सकल सम्पत्तियाँ	62.48	63.75	64.89	64.80	70.37
कम : मूल्यहास	17.32	24.02	29.56	34.11	42.41
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	45.16	39.73	35.33	30.68	27.96
पूँजीगत कार्य में प्रगति	0.03	0.29	0.51	0.52	0.55
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमें	5090.38	6879.04	8376.70	10204.90	12210.12
कुल	5135.57	6919.06	8412.54	10236.10	12238.63

(ब) वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का कार्यकारी परिणाम

कार्यकारी परिणाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (औपबंधिक)	2014–15 (औपबंधिक)
कुल आय	114.69	175.61	141.94	159.22	183.22
कुल व्यय	44.05	49.62	34.95	39.04	44.12
कर एवं समायोजन से पूर्व लाभ / (हानि)	70.63	125.99	106.99	120.18	139.09
शतता शुल्क अर्जित	86.91	118.20	117.37	127.86	145.08
कुल आय की शतता शुल्क प्रतिशत	75.78	67.31	82.69	80.30	79.18
सावधि जमा पर व्याज	16.88	33.77	15.96	26.39	34.50
कुल आय का सावधि जमा पर अर्जित व्याज का प्रतिशत	14.71	19.23	11.24	16.57	18.83

स्रोत: कम्पनी की वार्षिक लेखें

परिशिष्ट – 2.1.4

(कंडिका 2.1.14 में संदर्भित)

विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्ण हुए पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष 2010–15 के दौरान पूर्ण किये गये पुल का नाम	प्रमण्डल के नाम	पुल के हिस्से की पूर्ण होने की तिथि	पहुँच पथ हिस्से के पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब महीने में	पुल हिस्से की लागत (₹ लाख में)
1.	जटवाधाट पर पुल	मुजफ्फरपुर	31 जनवरी 2012	30 अप्रैल 2014	15	1154.10
2.	पनचाने नदी पर 2.29 किलोमीटर पर निजय—गोनवान पथ पर पुल	नालन्दा	16 जुलाई 2012	19 फरवरी 2013	7	72.00
3.	भोर—पगरा पथ पर 3रे किमी० पर पुल	पटना—2	23 मार्च 2013	30 दिसम्बर 2013	9	137.07
4.	भोर—पगरा पथ पर 12वें किमी० पर पुल	पटना—2	26 जून 2013	09 जून 2014	11	93.87
5.	खैरा सत्तारधाट पथ पर 32वें किमी० पर पुल	पटना—2	26 मई 2012	10 जून 2013	12	37.63
कुल						1494.67

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.1.5

(कंडिका 2.1.14 में संदर्भित)

विभिन्न मदों के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	वर्ष 2010–15 के दौरान पूर्ण किये गये पुल का नाम	प्रमण्डल के नाम	पुल के हिस्से की पूर्ण होने की तिथि	पहुँच पथ हिस्से के पूर्ण होने की तिथि	जून 2015 तक समयावधि में विलम्ब (महीनों में)	पुल हिस्से की लागत (₹ लाख में)
1.	चकिया—केशरिया—सत्तारघाट पथ पर 19वें किमी० पर पुल	मुजफ्फरपुर	14 अगस्त 2013	अपूर्ण	22	121.95
2.	अजानकोट—भरकुरवाघाट पर बुढ़ी गंडक पर पुल	मुजफ्फरपुर	30 सितम्बर 2014	अपूर्ण	9	1933.19
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग-77, फरदो नाला पर मारीपुर बिजली घर से सकरी चौक पथ पर पुल	मुजफ्फरपुर	30 मई 2014	अपूर्ण	13	197.47
4.	तुर्की चौक से पक्की सराय चौक (राष्ट्रीय राजमार्ग-77) के रास्ते माधोपुर पर पुल	मुजफ्फरपुर	12 नवम्बर 2014	अपूर्ण	7	176.65
5.	मन्दारघाट पर पुल	सीतामढ़ी	29 जून 2012	अपूर्ण	32	4030.00
6.	जमुई कौआकोल पथ के मिसिंग लिंक पर गढ़ी रूपवावेल के 8वें किमी० पर पुल	भागलपुर	20 अगस्त 2012	अपूर्ण	34	464.14
	कुल					6923.4

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.1.6

(कांडिका 2.1.22 में संदर्भित)

मु0मं0से0नि0यो0 मद के अन्तर्गत पूर्ण हुए पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं0	वर्ष 2010–15 के दौरान पूर्ण किये गये पुल का नाम	प्रमण्डल के नाम	पुल के हिस्से की पूर्ण होने की तिथि	पहुँच पथ हिस्से के पूर्ण होने की तिथि	महीनों में विलम्ब	पुल हिस्से की लागत (₹ लाख में)
1.	डकरा नदी पर पुल	भागलपुर	01 जुलाई 2011	07 मार्च 2012	8	538.77
2.	भत्तबलिया—छठघाट पर पुल	पटना 2	04 जून 2011	05 जनवरी 2012	7	164.21
3.	दाहा नदी के पार सिवान—गुथनी पथ पर पुल	पटना 2	26 जनवरी 2012	28 जुलाई 2014	30	153.78
4.	गण्डकी नदी के पार मोहम्मदपुर पथ पर पुल	पटना 2	23 जुलाई 2011	26 जनवरी 2013	6	125.37
5.	मनझोलिया गाँव में नहर पर पुल	पटना 2	15 दिसम्बर 2013	31 जुलाई 2014	7	39.07
6.	गण्डकी नदी के पार हरिहरपुर पर पुल	पटना 2	24 मई 2013	26 फरवरी 2014	8	157.35
7.	खेड़ छपड़ा के नजदीक पुल	पटना 2	26 दिसम्बर 2013	31 जुलाई 2014	7	64.39
8.	दाहा नदी के पार हरपुर पर पुल	पटना 2	24 जुलाई 2013	25 मई 2014	10	186.08
9.	भोड़े—पगड़ा पथ पर 5वें किमी0 पर पुल	पटना 2	24 जुलाई 2013	15 फरवरी 2014	6	99.93
10.	धमाई नदी के पार पचरुखिया पर पुल	पटना 2	26 जुलाई 2013	02 जून 2013	10	110.68
	कुल					1639.63

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.1.7

(कंडिका 2.1.22 में संदर्भित)

मुमोसोनियो मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलों के मामलों में पहुँच पथ के निर्माण में हुए विलम्बों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	वर्ष 2010–15 के दौरान पूर्ण किये गये पुल का नाम	प्रमण्डल के नाम	पहुँच पथ हिस्से के पूर्ण होने की तिथि	जून 2015 तक समयावधि में विलम्ब (महीनों में)	पुल हिस्से की लागत (₹ लाख में)
1.	धमई नदी पर सरैया बसंतपुर के बीच पुल	पटना 2	24 जुलाई 2013	23	273.75
2.	माधवपुर–भखारी गाँव को जोड़ने हेतु दाहा नदी पर पुल	पटना 2	25 जुलाई 2013	23	241.84
3.	मुझौना गाँव से भैरोपुर में गण्डक नदी पर पुल	पटना 2	07 मई 2014	13	173.83
4.	लालूचक पर जमुनिया नदी पर पुल	भागलपुर	30 सितम्बर 2011	45	368.03
कुल					1057.45

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.1.8

(कंडिका 2.1.26 में संदर्भित)

पूर्ण हुए अथवा पूर्ण होने वाले छात्रावासों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं०	प्रमण्डल / जिला का नाम	ए०ए० की राशि	संशोधित ए०ए०	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	किया गया व्यय	पूर्ण नहीं होने के कारण
कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर							
1.	पूर्वी चम्पारण	187.00	285.12	31-12-12	कार्य अपूर्ण	188.62	संशोधित ए०ए० अप्राप्त
2.	मुजफ्फरपुर	187.00	270.63	31-12-12	कार्य अपूर्ण	185.30	संशोधित ए०ए० अप्राप्त
कार्य प्रमण्डल, सीतामढ़ी							
3.	शिवहर	187.00	-	-	-	0	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना वापस कर दी गई
4.	सीतामढ़ी	187.00	286.29	01-01-13	कार्य अपूर्ण	185.30	
कार्य प्रमण्डल, बेतिया							
5.	पश्चिमी चम्पारण	187.00	308.02	26-06-12	कार्य अपूर्ण	185.17	संशोधित ए०ए० अप्राप्त
कार्य प्रमण्डल, नालन्दा							
6.	लखीसराय	187.00	-	-	-	0	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना वापस कर दी गई
7.	नवादा	187.00	-	-	-	5.45	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना वापस कर दी गई
8.	नालन्दा	187.00	261.35	20-12-11	15-12-13	239.80	
9.	शेखपुरा	187.00	254.92	21-03-12	30-11-13	239.60	

कार्य प्रमण्डल, भागलपुर							
10.	जमुई	187.00	257.33	22-12-11	31-10-13	208.40	
11.	बांका	187.00	263.88	31-03-13	30-03-14	261.60	
12.	मुंगेर	187.00	279.07	26-07-13	कार्य अपूर्ण	159.69	संशोधित ए0ए0 अप्राप्त
13.	भागलपुर	187.00	295.41	31-03-13	कार्य अपूर्ण	185.30	संशोधित ए0ए0 अप्राप्त
कार्य प्रमण्डल, पटना-2							
14.	गोपालगंज	187.00	333.73	31-03-13	कार्य अपूर्ण	185.30	संशोधित ए0ए0 अप्राप्त
15.	सारण	187.00	324.00	28-02-13	कार्य अपूर्ण	185.30	संशोधित ए0ए0 अप्राप्त
16.	सिवान	187.00	-	-		0.97	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना वापस कर दी गई
17.	वैशाली	187.00	-	-		0.65	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना वापस कर दी गई

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.2.1

(कंडिका 2.2.1, 2.2.11, 2.2.18 एवं 2.2.20 में संदर्भित)

विभिन्न योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

पूर्ण परियोजनाएँ :

क्रम सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासनिक अनुमोदन (₹ करोड़ में)	प्राप्त निधि (₹ करोड़ में)	समझौता लागत (₹ करोड़ में)	किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान (₹ करोड़ में)	समझौते के अनुसार समापन की अनुसूचित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	समय वृद्धि (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जे०ए०ए०य०आ०ए०म० (य०आ०डी०ए०स०ए०म०टी०⁴)									
1	सड़क जल निकासी परियोजना, मुरलीगंज	2009–10	11.44	10.97	10.94	6.83	मार्च 2012	सितम्बर 2013	18
2	सड़क जल निकासी परियोजना, नरकटियागंज	2009–10	47.13	25.71	33.85	21.35	दिसम्बर 2012	फरवरी 2014	14
3	सड़क जल निकासी परियोजना, बखिलयारपुर	2009–10	5.11	4.03	3.58	2.78	जनवरी 2012	जुलाई 2013	18
4	सड़क जल निकासी परियोजना, रोसड़ा	2009–10	29.21	22.08	23.74	19.83	दिसम्बर 2012	मई 2014	17
जे०ए०ए०य०आ०ए०म० (य०आ०डी०जी०⁵)									
5	जलापूर्ति योजना, खगौल	2009–10	13.15	9.21	16.64	9.69	दिसम्बर 2012	दिसम्बर 2014	24
05			106.04	72.00	88.75	60.48			

	राज्य पोषित परियोजनाएँ								
6	चक्रवात जल निकासी योजना, राजगीर	2009–10	21.90	21.50	29.11	19.66	मार्च 2014	फरवरी 2014	शून्य

⁴ मध्यम तथा लघु शहरों के लिए शहरी आद्यारभूत संरचना विकास योजना।⁵ शहरी आद्यारभूत संरचना तथा शासन।

7	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन यंत्र, राजगीर	2009–10	55.80	50.55	51.31	51.01	मार्च 2015	मार्च 2015	शून्य
	पार्क का विकास								
8	कंकड़बाग	2009–10	0.65	0.65	0.98	0.94	अगस्त 2012	फरवरी 2014	18
	शास्त्रीयार्क		0.85	0.85	1.27	1.10	मार्च 2013	मार्च 2013	शून्य
	अनिसाबाद		0.70	0.70	0.62	0.75	सितम्बर 2013	जून 2014	9
9	बुद्ध स्मृति पार्क (बी0एस0पी0) और संग्रहालय	2009–10	149.18 ⁶	40.85 ⁷	125.53	41.21 ⁸	सितम्बर 2013	पूर्ण	शून्य
10	नूरानीबाग पार्क	2011–12	0.80	0.80	0.61	0.64	सितम्बर 2013	नवम्बर 2012	02
कुल	05		229.88	115.90	209.43	115.31			

अपूर्ण परियोजनाएँ :

क्रम सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासनिक अनुमोदन (₹ करोड़ में)	प्राप्त निधि (₹ करोड़ में)	समझौता लागत (₹ करोड़ में)	जुलाई 2015 तक किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान (₹ करोड़ में)	प्रतिशत में प्रगति (कॉल.7 / कॉल.6×100)	समझौते के अनुसार समाप्ति की अनुसूचित तिथि	जुलाई 2015 तक समय वृद्धि (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0)								
11	जलापूर्ति योजना, मुजफ्फरपुर	2009–10	98.72	49.36	59.31	8.56	14.43	जून 2014	13
	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (यू0आई0जी0)								
12	जलापूर्ति योजना, फुलवारी	2009–10	24.70	17.29	27.68	15.56	56.21	मार्च 2013	28
13	जलापूर्ति योजना, बोध गया	2009–10	33.56	17.29	28.99	16.34	56.36	सितम्बर 2013	22
14	जलापूर्ति योजना, दानापुर	2009–10	68.96	31.03	70.18	9.24	13.17	सितम्बर 2013	22

⁶ ₹ 135.57 करोड़ (बी0एस0पी0) + ₹ 13.61 करोड़ (बी0एस0पी0 संग्रहालय)

⁷ ₹ 27.24 करोड़ (बी0एस0पी0) + ₹ 13.61 करोड़ (बी0एस0पी0 संग्रहालय)


⁸ ₹ 28.37 करोड़ (बी0एस0पी0) + ₹ 12.84 करोड़ (बी0एस0पी0 संग्रहालय)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासनिक अनुमोदन (₹ करोड़ में)	प्राप्त निधि (₹ करोड़ में)	समझौता लागत (₹ करोड़ में)	जुलाई 2015 तक किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान (₹ करोड़ में)	प्रतिशत में प्रगति (कॉल.7 / कॉल. 6×100)	समझौते के अनुसार समाप्त की अनुसूचित तिथि	जुलाई 2015 तक समय वृद्धि (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	जलापूर्ति योजना, पटना	2010–11	427.00	157.48	548.83	59.90	10.91	मार्च 2014	16
16	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन यंत्र, बोध गया	2009–10	95.94	49.89	92.72	59.16	63.80	दिसम्बर 2013	19
कुल	06		748.88	322.50	827.71	168.76			
एन०जी०आर०बी०ए० परियोजनाएँ									
17	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, हाजीपुर	2010–11	113.62	40.73	94.88	17.21	18.14	दिसम्बर 2013	19
18	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, बेगूसराय	2010–11	65.40	20.09	58.88	4.13	7.01	दिसम्बर 2013	19
19	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, बक्सर	2010–11	74.95	19.69	52.05	6.61	12.70	दिसम्बर 2013	19
20	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, मुंगेर	2010–11	188.00	35.41	122.85	1.93	1.57	मार्च 2014	16
कुल	04		441.97	115.92	328.66	29.88			
राज्य पोषित ढाँचागत विकास परियोजनाएँ									
21	जलापूर्ति योजना, झंझारपुर	2012–13	4.43	1.60	4.16	0.31	7.45	सितम्बर 2014	10
22	जलापूर्ति योजना, नौबतपुर	2012–13	0.99	0.99	1.02	0.41	40.20	सितम्बर 2014	10
23	शहिद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क	2012–13	8.37	7.58	7.56	4.84	64.02	मई 2013	26
24	मौयालोक परिसर, पटना का नवीनीकरण	2014–15	3.97	3.97	3.38	1.79	52.96	अक्टूबर 2014	09
25	डीलक्स शौचालय का निर्माण								
	राजगीर	2014–15	0.55	0.36	0.55	0.34	61.82	अप्रैल 2014	15

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	प्रशासनिक अनुमोदन (₹ करोड़ में)	प्राप्त निधि (₹ करोड़ में)	समझौता लागत (₹ करोड़ में)	जुलाई 2015 तक किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान (₹ करोड़ में)	प्रतिशत में प्रगति (कॉल.7 / कॉल. 6×100)	समझौते के अनुसार समापन की अनुसूचित तिथि	जुलाई 2015 तक समय वृद्धि (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बोधगया		1.52	0.62	0.78	0.57	73.08	अक्टूबर 2013	22	
	गया		0.13	0.55	0.12	21.82	अप्रैल 2014	16	
26	बस टर्मिनल का निर्माण, जहानाबाद	2014–15	5.29	4.00	2.68	1.36	32.46	अप्रैल 2015	
27	पटना में बस क्यू आश्रय का निर्माण	2014–15	15.36	7.50	13.72	7.67	55.90	-	-
कुल	07		40.48	26.75	30.40	17.41			

परिशिष्ट – 2.2.2
(कंडिका 2.2.1 में संदर्भित)
संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट – 2.2.3

(कंडिका 2.2.5 में संदर्भित)

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*
I. अंश पूँजी एवं दायित्व					
1. अंशधारकों की निधि					
(अ) अंश पूँजी	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(ब) संचय और अधिशेष	0.27	2.98	5.50	14.28	22.62
2. गैर चालू दायित्व					
अन्य दीर्घावधि दायित्व	162.68	346.99	497.35	5.58 ⁹	31.35
3. चालू दायित्व					
(अ) अन्य चालू दायित्व	0.36	12.16	11.92	845.11	1103.40
(ब) अल्पावधि प्रावधान	0.33	0.97	3.79	12.14	10.93
कुल अंश पूँजी एवं दायित्व	168.64	368.10	523.56	882.11	1173.30
II. परिसम्पत्तियाँ					
1. गैर चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) अचल सम्पत्तियाँ					
(i) सकल सम्पत्तियाँ	1.28	1.46	2.16	2.48	2.80
घटाये: मूल्य ह्रास	0.12	0.23	0.44	0.82	1.53
शुद्ध सम्पत्तियाँ	1.16	1.23	1.72	1.66	1.27
पूँजीगत कार्य में प्रगति	0	0	0	368.74	555.39
(ब) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	0.23	62.94	108.38	89.04	53.87
2. चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) असैनिक कार्य में प्रगति	0	4.72	139.55	0 ¹⁰	0
(ब) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	163.06	295.29	263.34	400.01	545.79
(स) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	3.59	0.08	0.33	10.82	11.51
(द) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	0.60	3.84	10.24	11.84	5.47
कुल	168.64	368.10	523.56	882.11	1173.30
नियोजित पूँजी ¹¹	167.95	354.97	507.85	24.86	58.97
शुद्ध मूल्य ¹²	5.27	7.98	10.50	19.28	27.62
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ¹³ (प्रतिशत में)	0.18	0.61	0.60	35.32	9.45

* वित्तीय वर्ष 2014–15 के आँकड़े औपबंधिक हैं।

⁹ विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधि को चालू सम्पत्तियों के रूप में पुनः वर्गीकरण करने के कारण 2013–14 में नियोजित पूँजी घटा, 2013–14 के पहले इसे गैर चालू सम्पत्तियों के रूप में दिखाया गया था।

¹⁰ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची III के अनुपालन में आँकड़ों के पुनः वर्गीकरण के कारण।

¹¹ नियोजित पूँजी शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य में प्रगति को शामिल कर) तथा कार्यशील पूँजी योग को दर्शाती है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची IV में संशोधन के परिणाम स्वरूप नियोजित पूँजी की गणना अंशधारकों की निधि (यथा अंश पूँजी, आवंटन के लिए बकाया अंश आवेदन पूँजी तथा संचयी हानियों, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद मुक्त संचय) + दीर्घावधि ऋण।

¹² शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूँजी + संचय तथा अधिशेष – अस्पृश्य सम्पत्तियाँ को दर्शाती हैं।

¹³ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल कर पश्चात लाभ / नियोजित पूँजी ×100 दर्शाती है।

कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*
आय					
परिचालन से आय	1.57	11.10	107.72	220.93	205.43
अन्य आय	0.46	1.52	2.04	1.58	3.62
कुल आय	2.03	12.62	109.76	222.51	209.05
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	0.79	1.50	2.11	2.64	3.39
मूल्य हास और परिशोधन व्यय	0.17	0.30	0.21	0.45	0.70
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	0.01	0.11	0.12	0.02	0.04
प्रशासनिक व्यय	0.60	1.64	2.67	2.98	3.68
परियोजना व्यय	0	4.37	98.82	205.48	193.20
मुख्यमंत्री राहत कोष में दान	-	2.00	2.00	-	1.00
कुल व्यय	1.57	9.92	105.93	211.57	202.01
पूर्व की अवधि में आय	00	00	00	0.17	00
कर पूर्व लाभ	0.46	2.70	3.83	11.11	7.04
घटाये: आयकर का प्रावधान	0.15	0.54	0.77	2.33	1.47
कर के बाद लाभ सी/एफ बैलेंस शीट को	0.31	2.16	3.06	8.78	5.57
परिचालन आय से परिचालन लाभ का प्रतिशत	29.30	24.32	3.56	5.03	3.43
सेन्टेज एवं आकस्मिकता अर्जित	1.57	6.73	8.90	15.45	12.23

* वित्तीय वर्ष 2014–15 के ऑकड़े औपबंधिक हैं।

परिशिष्ट – 2.2.4

(कंडिका 2.2.6 में संदर्भित)

31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में योजना-वार निधि प्राप्ति को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

योजना	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल
यूआई0जी0	44.52	7.08	121.70	21.17	70.00	54.64	319.11
यूआई0डी0एस0एस0एम0टी0	54.28	0.00	3.00	46.61	8.00	3.00	114.89
एन0जी0बी0आर0ए0	00	35.37	8.32	21.00	66.04	23.55	154.28
राज्य योजना	2.20	13.31	33.10	24.59	56.14	92.94	222.28
ए0डी0बी0	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	45.65	60.00
बी0यूआई0डी0एफ0	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	28.67	69.74
कुल	101	55.76	166.12	113.37	255.60	248.45	940.30

परिशिष्ट – 2.2.5

(कंडिका 2.2.22 में संदर्भित)

सी0एस0क्यू0सी0 को अधिभुगतान/निष्फल व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना के समझौते लागत	मार्च 2015 तक किये गये व्यय	सी0एस0क्यू0सी0 को व्यय की अधिकतम सीमा (नीति के अनुसार)	सी0एस0क्यू0सी0 को किए गए भुगतान की वास्तविक राशि (मार्च 2015 तक)	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	सी0एस0क्यू0सी0 को भुगतान, यदि कार्य की प्रगति से जुड़ा हुआ	अतिरिक्त भुगतान/निष्फल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8=5*7/100	9=6-8
1	जलापूर्ति योजना, दानापुर	70.18	9.24	0.84	0.95	13.17	0.11	0.84
2	जलापूर्ति योजना, फुलवारी	27.69	14.36	0.33	0.49	51.88	0.17	0.32
3	जलापूर्ति योजना, मुजफ्फरपुर	59.31	8.56	0.71	0.68	14.43	0.10	0.58
4	जलापूर्ति योजना, झंझारपुर	4.16	0.31	0.05	0.008	7.45	0.004	0.004
5	जलापूर्ति योजना, बोधगया	28.99	15.92	0.35	0.49	54.52	0.19	0.30
6	जलापूर्ति योजना, पटना	548.83	59.90	4.77	3.38	10.91	0.52	2.86
7	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, बक्सर	52.05	6.25	0.62	0.56	12.00	0.07	0.49
8	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, हाजीपुर	94.88	15.21	1.14	0.71	16.03	0.18	0.53
9	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, मुंगेर	122.85	1.93	1.23	0.43	1.57	0.02	0.41
10	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, बेगूसराय	58.88	3.75	0.71	0.73	6.37	0.05	0.68
11	सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, बोधगया	92.75	57.21	1.11	1.13	61.70	0.68	0.45
12	तुफान जल निकासी योजना और सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र, राजगीर	85.10	62.54	1.02	2.54	82.48	0.84	1.70
13	जहानाबाद बस स्टैंड	2.68	0.87	0.03	0.04	32.46	0.01	0.03
14	नदी फ्रॅंट विकास, पटना	254.52	30.52	5.38	0.99	11.99	0.65	0.34
	कुल		286.57		13.13		3.60	9.53

